लोक सभा

वाद विवाद

द्वितीय माला

खंड ३४, १९५९/१८८१ (शक)

१ अगस्त से १२ सितम्बर १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३४ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३४—अंक २१ से ३१—३१ अगस्त से १२ सितम्बर, १९५९/९ से ३१ भाद्र १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

९ भाद्र, १८८१ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९६२ से ९७०, ९७२, ९७४ से ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८४ और ९८५	२६६९–९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६१, ९७१, ९७३, ९७७, ९७८, ९८१, ९८३ और ९८६ से १०१०	२६९३–२७०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०९ से १९०० .	२७०६–४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७४४–४५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	२७४५
राज्य सभा से सन्देश . . .	२७४५
याचिका का उपस्थापन	२७४५
सदस्य के सभा से बाहर जाने के बारे में	
विधेयक पुरस्थापित . .	२७४६–४७
(१) जिनेवा अभिसमय विधेयक . . .	२७४८
(२) केरल विनियोग विधेयक .	२७४८
सरकारी बचत बैंक (संशोधन) विधेयक . .	२७४८–६०
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२७४८–६०
खण्ड २ से ९ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . .	२७६०
सरकारी बचत प्रमाण पत्र विधेयक .	२७६०–६३
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७६०–६२
खण्ड २ से १३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . .	२७६२–६३
लोक ऋण (संशोधन) विधेयक . .	२७६४–६५
विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२७६४–६५
खण्ड २, ३ और १ पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७६५

पृष्ठ

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २७६६—८९

सभा का कार्य . . २७८६—८९

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा। २७८९—९४

दैनिक संक्षेपिका २७९५—२८०२

अंक २२—मंगलवार, १ सितम्बर, १९५९

१० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०११, १०१२, १०३७, १०१४ से १०२१ और १०२३ . . . . २८०३—२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . २८६४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३, १०२२, १०२४ से १०३६ और १०३८ से १०५२ . . २८२४-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७२ २८३६—६४

स्थगन प्रस्ताव . २८६५—६८

(१) स्थल सेनाध्यक्ष का कथित त्याग-पत्र

(२) खाद्य स्थिति

स्थगन प्रस्तावों के निबटाने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में . २८७०

दामोदर घाटी निगम की नहर के टूटने के बारे में वक्तव्य . २८६८—७०

विधेयक-पारित—

केरल विनियोग विधेयक . . . २८७०

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २८७१—८३

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (दिल्ली) . २८८३—८९

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (हिमाचल प्रदेश) . २८८९—९३

शस्त्र विधेयक . . . . २८९३—९६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिये प्रस्ताव। .

हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्राइवेट) लिमिटिड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २८९६—२९१६

दैनिक संक्षेपिका . . २९१७—२२

अंक २३—बुधवार, २ सितम्बर, १९५९

११ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०५४ से १०५६, १०५८ से १०६१, १०६३ से १०६६, १०६९ से १०७१, १०७३ से १०७५, १०७७ और १०७८ . २९२३—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५७, १०६२, १०६७, १०६८, १०७२, १०७६ और १०७९ से १०९४ . . . . . २९५१—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १९७३ से २०७१ . २९६२—३०१०

स्थगन प्रस्ताव . . . ३०१०—१८

स्थल सेनाध्यक्ष का त्याग-पत्र

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३०१८—२२

पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३०२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . ३०२२

उनचासवां प्रतिवेदन

भाखड़ा बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३०२३—२४

विधेयक पुरस्थापित ३०२५

(१) त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक, १९५९ ।

(२) विनियोग (संख्या ७) विधेयक, १९५९ ।

त्रावणकोर-कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) अध्यादेश के बारे में विवरण . . . ३०२५—२६

राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३०२६—६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३०६५—७१

अंक २४—गुरुवार, ३ सितम्बर, १९५९

१२ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०९५ से ११०२, ११०४ से ११०७, ११०९, ११११ और १११३ . . . . . ३०७३—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०३, ११०८, १११०, १११२ और १११४ से ११३१ . . . . . ३०९६—३१०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०७२ से २१४४ . ३१०४—३१

विषय-सूची

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . ३१३२—३४

कलकत्ता में स्थिति

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१३४

राज्य सभा से सन्देश ३१३४–३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१३५–३६

अम्बाला की बाढ़ में सेना द्वारा सहायता

जानकारी का प्रश्न ३१३६–३७

संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी कार्य के लिये प्रतिरक्षा मंत्री की अनुपस्थिति

विधेयक—पारित . . ३१३७

विनियोग (संख्या ७) विधेयक ।

राज-भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३१३८—८२

दैनिक संक्षेपिका . . ३१८९—९४

अंक २५—शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९

१३ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११३२ से ११३६, ११३८, ११३९, ११४४, ११४० से ११४३, ११४६, ११४९ से ११५१ और ११५३ से ११५६ . . ३१९५—३२२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ११ . . . ३२२१—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३७, ११४५, ११४७, ११४८, ११५२ और ११५७ से ११७८ . . . . . ३२२५—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४५ से २२१७ . . . ३२३५—६३

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ३२६४—६९

पश्चिम बंगाल में स्थिति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२६९

राज्य सभा से सन्देश . . . ३२६९–७०

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक . . . ३२७०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

विशेषाधिकार समिति . ३२७०

दसवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३२७०—७२

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री के बीच हुई बातचीत ।

	पृष्ठ
सभा का कार्य	३२७२–७३
समिति के लिये निर्वाचन	३२७३
लोक लेखा समिति	
खान (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित	३२७३
राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२७४—९४
सभा के कार्य के बारे में	३२९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उनचासवां प्रतिवेदन।	३२९४
तिब्बत का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के बारे में संकल्प	३२९४—३३२०
हैदराबाद में अथवा बंगलौर में लोक-सभा का सत्र होने के बारे में संकल्प	३३२०
दैनिक संक्षेपिका	३३२१—२७

अंक २६—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५९

१६ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
* तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ से ११८४, ११८६ से ११९६ और ११९८ से १२०१	३३२९—५३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ और १३	३३५४—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५, ११९७, १२०२ से १२१३ और १२१५	३३५७—६३
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २३०८ और २३१० से २३२५	३३६३—३४१२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३४१३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४१३—१६
राज्य सभा से सन्देश	३४१६
नंगल में हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	३४१६—२०
विशेषाधिकार समिति	३४२०
दसवां प्रतिवेदन	
जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३४२०—४१
दैनिक संक्षेपिका	३४४२—४८

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक—२७—मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

१७ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

* तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२१८, १२२० से १२२६ और १२२८ से १२३२ . . . . . ३४४९—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१९, १२२७ और १२३३ से १२५२ . . ३४७२—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३२६ से २३९३ . . . ३४८१—३५०६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३५०६—०७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ३५०७

सोलहवां प्रतिवेदन ।

हुगली नदी में एक छोटे जहाज की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५०७—०८

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . ३५०८—२४

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३५२४—२९

कार्य मंत्रणा समिति ३५३९

तैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५४०—४५

अंक २८—बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९

१८ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

* तारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२५८, १२६० से १२६७ १२६९, १२७० और १३०० . . . . ३५४७—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ . . . . ३५७०—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५९, १२६८, १२७०क, १२७१ से १२७४, १२७४क, १२७५ से १२९९, १३०१ से १३०३, १३०३क, १३०४ से १३०९, १३०९क, और १३१० . ३५७५—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३९४ से २४३७, २४३९ से २४८५, २४८७ से २५०५, २५०५-क, २५०५-ख, २५०५-ग . ३५९४—३६४२

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखा गया पत्र . . .	३६४२
राज्य सभा से सन्देश . .	३६४२
याचिका समिति .	३६४२
कार्यवाही सारांश ।	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	३६४३
छठा प्रतिवेदन ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	३६४३
पचासवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	३६४३
सातवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या १९७८ के उत्तर की शुद्धि	३६४३–४४
कार्य मंत्रणा समिति	३६४४––४६
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ।	
त्रावणकोर कोचीन मोटर गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक	३६४६––५३
विचार करने के लिये प्रस्ताव ।	
खण्ड १ से ४	३६५३
पारित करने के लिये प्रस्ताव	३६५३
भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	३६५३—६४
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३६६४—८३
आधे घण्टे की चर्चा .	३६८३––९१
(एक) एवरो ७४८ का निर्माण ।	
(दो) डकोटा विमानों के स्थान पर अन्य विमानों का रखा जाना	
दैनिक संक्षेपिका	३६९२—३७००

अंक २९––गुरुवार, १० सितम्बर, १९५९

१९ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

* तारांकित प्रश्न संख्या १३११ से १३२१ और १३२३ से १३२५ .	३७०१—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३२२, १३२६ से १३३४, १३३४-क, १३३५ से १३५२, १५२-क, और १३५३ से १३६२	३७२४––४१

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०६ से २६२६, २६२६-क, २६२६-ख, २६२६-ग, और २६२६-घ ३७९१–९२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२६ के उत्तर में शुद्धि ३७९२

स्थगन प्रस्ताव . ३७९२—९४

जलूस पर कथित हमला ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७९४—९६

राज्य-सभा से सन्देश . . ३७९६

विविध व्यक्तिगत (विधियां) विस्तार विधेयक . ३७९७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर की शुद्धि . ३७९७

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ३७९७–३८०३

खण्ड २ तथा १ . ३८०३

पारित करने के लिये प्रस्ताव . ३८०३

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३८०३—२०

भाखड़ा बांध की एक सुरंग के हायस्ट चैम्बर की दुर्घटना के बारे में प्रस्ताव ३८२०—५०

तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३८५०–५३

दैनिक संक्षेपिका ३८५४–६२

अंक ३०—शुक्रवार, ११ सितम्बर, १९५९

२० भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १३६३ से १३६५, १३६७ से १३७०, १३७३ से १३७५ और १३७८ से १३८१ ३८६४–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६६, १३७१, १३७२, १३७६, १३७७, १३८२ से १३९०, १३९०-क, १३९०-ख, १३९१ से १४०२, १४०२-क, १४०३ से १४०९ . . . . . ३८८६–३९०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२७ से २७११, २७१३ से २७२१ और २७२३ से २७२७, २७३० और २७३१ . . . ३९०१–४४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर में शुद्धि ३९४४

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . ३९४५

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३९४५—४६
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश में संशोधन	३९४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश।	३९४७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	३९४७
राज्य सभा से सन्देश .	३९४७
अनुपस्थिति की अनुमति . .	३९४८
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९ के उत्तर की शुद्धि	३९४८
डाक तथा तार बोर्ड के बारे में वक्तव्य . . .	३९४८—५०
भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३९५०—६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पचासवां प्रतिवेदन।	३९६७
निर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—वापस लिया गया	३९६७—७०
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ आश्रम (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये सहमति प्रस्ताव।	३९७०—८७
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १९८ का संशोधन)। विचार करने के लिये प्रस्ताव।	३९८७—९०
आधे घण्टे की चर्चा	३९९०—९९
(१) मद्रास में सहकारी चीनी मिलें।	
(२) आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना।	
दैनिक संक्षेपिका .	४०००—०८

अंक ३१—शनिवार, १२ सितम्बर, १९५९

२१ भाद्र १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ से १८ .	४००९—१४
स्थगन प्रस्ताव	४०१४—१६

विषय-सूची

	पृष्ठ
भारत के प्रधान मन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बारे में	४०१४–१५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०१५
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
कार्यवाही सारांश	
राज्य सभा से सन्देश	४०१५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४०१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।	४०१६–१७
(१) सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान द्वारा शिकायत।	
(२) सी हाक जैट विमानों की खरीदारी।	
भाखड़ा बांध के बारे में वक्तव्य	४०१७
भारत-चीन सम्बन्धों पर श्वेतपत्र के बारे में प्रस्ताव	४०१७–५९
गोरखपुर श्रम संगठन के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	४०५९—६४
दैनिक संक्षेपिका	४०६५–६६
आठवें सत्र का कार्यवाही सारांश	४०६७–६८

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

१७ भाद्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के 'पाइल फाउन्डेशन्स' में नुक्स

+

†*१२१६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री साधन गुप्त :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री मुरारका :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नाथ पाई :

†मूल अंग्रजी में

231 (Ai) L.S.D.—1.

डा० राम सुभग सिंह :
श्री वोडयार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कालिका सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने में 'पाइल फाउन्डेशन्स' में नुक्स के मामले की जांच करने के लिये भिलाई के इस्पात कारखाने के भूतपूर्व चीफ़ इंजीनियर, श्री के० सुब्बारमन्, की अध्यक्षता में अभी हाल में एक उच्च-शील समिति नियुक्त को है;

(ख) क्या इस हमिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या उपपत्तियां[1] हैं ; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इंजीनियरों की एक समिति नियुक्त की गयी थी। इस संबंध में मैं १० अगस्त, १९५९ को दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(ख) समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इन दोषों से कारखाने की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** 'इस्कोन' (लोहा और इस्पात कंपनी संघ,) ने यह कहा है कि इससे काम की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोक भट्टी की पहली बेटरी समय पर गर्म हो चुकी है और आशा है कि पहली धमन भट्टी नवम्बर तक चालू हो जायेगी।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि 'पाइलिंग' के समय एक इंजीनियर ने सरकार को एक पृथक् पत्र द्वारा यह सूचना दी थी कि इसकी 'पाइलिंग' बड़ी दोषपूर्ण है और इस प्रकार की 'पाइलिंग' कहीं नहीं की जाती ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां, यह सच है कि 'पाइलिंग' की इन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था और इसके आधार पर ही हम इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं और इसके लिये 'इस्कोन' ने १० वर्ष की गारन्टी दी है। किन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि यह बात हमारे नोटिस में कैसे आई, अर्थात्, किसी के पत्र लिखने पर अथवा किसी और तरीके से।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री स० मो० बनर्जी :

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** यह दस वर्ष की गारन्टी क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Findings.

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले आप मेरा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करें तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** मुझे बड़ा अफसोस है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** 'इस्कोन' ने पूरा यकीन दिलाया है कि परियोजना 'बोर पाइल्स' वाली सब नींवें इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त होंगी। और वे संविदा की प्रत्येक शर्त के अनुसार होंगी। इस की पुष्टि में उन्होंने यह गारंटी दी है कि यदि दस वर्ष तक बोर पाइल्स वाली फाउन्डेशन के बैठने के कारण किसी भी काम में नुक्सान हुआ तो वह इसका हर्जाना देने के लिये तैयार है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह त्रुटि सरकार को कब पता लगी ? क्या इसके लिये कम्पनी से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या उसका कोई उत्तर मिला था ? क्या यह सच है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** आप एक समय पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** सरकार को इस त्रुटि का कब पता चला और क्या यह सच है कि इसके कारण 'इस्कोन' को दी जाने वाली एक बड़ी रकम रोक ली गयी है ? यदि हां, तो यह रकम कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को कई महीने पहले इस त्रुटि का पता चल गया था। किन्तु हमने इस समय तक 'इस्कोन' का कोई रुपया नहीं रोका है क्योंकि एक तो उन्होंने हमें उक्त गारन्टी दे दी है और दूसरे वह इन त्रुटियों को दूर करने के उपाय कर रहे हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या इन त्रुटियों के लिये जो कम्पनी जिम्मेवार है वह 'इस्कोन' की एक संघटक कम्पनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां। इसी कारण से 'इस्कोन' ने सभी त्रुटियों को दूर किया है और उक्त गारन्टी दी है। यदि वह कम्पनी उसकी सदस्य कम्पनी न होती तो 'इस्कोन' को उसकी गारन्टी देने की क्या ज़रूरत थी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या 'इस्कोन' के साथ हुए करार में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या नये करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** 'इस्कोन' और भारत सरकार के बीच जो करार हुआ था। वह वैसे का वैसा ही है। केवल सरकार की तरफ़ से अब उसमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड हिस्सा ले रही है। हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी उसी संविदा पर दृढ़ रहना चाहती है। अब उसमें केवल थोड़ा सा रूपभेद करना पड़ेगा और इस वर्ष की गारन्टी की शर्त को और शामिल करना पड़ेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार द्वारा नियुक्त इंजीनियरों की समिति ने कारखाने के कुछ भागों के चट्टों को बिल्कुल गिराने का सुझाव दिया है ? यदि हां तो क्या 'इस्कोन' का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** पहले प्रश्न का उत्तर है 'नहीं' इसलिये दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री नागी रेड्डी :** 'हानि' की मात्रा को देखते हुए क्या सरकार १० वर्ष की गारन्टी से सन्तुष्ट है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि काम में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि इससे अवश्य बहुत भारी हानि हुई है। हिन्दुस्तान स्टील का विचार है कि १० वर्ष की गारन्टी पर्याप्त है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि इस नुक्स का तभी पता चला जब कि कोई इमारत गिर पड़ी और हमारे परामर्शदाताओं को, जिनको हम करोड़ों रुपया देते हैं, तब तक इसका कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी हालत में इन परामर्शदाताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि इस बात की जांच करने का मुख्य कर्त्तव्य इन परामर्शदाताओं का ही है कि काम निर्दिष्ट विवरण के अनुसार हुआ है ? परामर्शदाता इस उत्तरदायित्व से अपना मुह नहीं मोड़ सकते। किन्तु गारन्टी को देखते हुए यह बताना बड़ा कठिन है कि क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी चाहिये और यदि हां, तो क्या।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** 'स्मेल्टिंग शॉप' के 'बोर पाइल्स' को मूल संविदा में क्यों नहीं रखा गया है और यह काम किसी दूसरे ठेकेदार से क्यों करवाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मूल संविदा में 'पाइल्स' का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में जब विस्तृत बोरिंग की गयी तब 'पाइलिंग' आवश्यक समझा गया। इसके लिये किसी भिन्न फर्म के साथ ठेका नहीं किया गया। यह काम भी 'इस्कोन' की एक सदस्य फर्म को दिया गया।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने कहा है कि परामर्शदाता इंजीनियर यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह इसकी देखभाल के जिम्मेवार है फिर उन्होंने इस लापरवाही के लिये क्या स्पष्टीकरण दिया है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं पहले इसका उत्तर दे चुका हूं। यह उनकी ग़लती है और सभी गलतियों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या यह जानने के लिये किसी दूसरी पार्टी से जांच करवाई गयी है कि 'इस्कोन' द्वारा जो उपाय किये जा रहे हैं उसके बाद कोई त्रुटि नहीं रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुख्य उत्तर में ऐसी जांच का ही उल्लेख किया गया है। हमने पांच इंजीनियरों की एक तालिका नियुक्त की है। उनके नाम ये हैं : श्री के० सुब्बारमन, भिलाई के इस्पात कारखाने के भूतपूर्व चीफ़ इंजीनियर, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के श्री एस० डी० कुंगर और डा० के० एल० राव, कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्त श्री टी० एम० मलकानी और रेलवे बोर्ड के निर्देशक श्री ओ० एस० मूर्ति। जहां तक समिति के अधिकार का प्रश्न है यह 'इस्कोन' को निर्दिष्ट विवरणों के अनुसार काम देने के उत्तरदायित्व में कोई छट नहीं दे सकती। सरकार ने इस लिये यह अतिरिक्त सावधानी अपनायी है ताकि ठीक से यह पता लग सके कि 'इस्कोन' ने जो अतिरिक्त काम किया है वह बिल्कुल ठीक है या नहीं। इसलिये इस समिति के रहते हुए भी यह ठेकेदारों का ही मुख्य कर्तव्य है कि वे निर्दिष्ट विवरण के अनुसार काम दें।

†**श्री त्यागी :** क्या परामर्शदाताओं से भी कोई गारन्टी ली गयी है ? और यदि हां, तो क्या हम दंड स्वरूप इस नुक्सान की रकम को उनसे वसूल कर सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** चाहे उनके साथ करार में कोई दंड की शर्त हो या न हो कर्तव्य की अवहेलना पर किसी को भी दंड दिया जा सकता है। यदि यह साबित हो सके कि उन्होंने इकरार

---

†मूल अंग्रेजी में

की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या वे अपने कर्तव्य में असफल रहे हैं तो किसी भी दंड की शर्त के बिना भी हम उनसे हर्जाना ले सकते हैं। परामर्शदाता करारों में सामान्यतया दंड इत्यादि की कोई शर्त नहीं रखी जाती। ऐसी शर्तें केवल ठेकेदारों के साथ की जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** और भी कई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। शायद मंत्री महोदय इस से पहले भी इस संबंध में एक वक्तव्य दे चुके हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर यदि उनको कोई आपत्ति न हो तो वह विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रख सकते हैं। सदस्यगण वहां से सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जब रिपोर्ट आयेगी तब मैं निश्चय ही इस पर विचार करूंगा। यदि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के हितों को कोई हानी न पहुंचती होगी तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि समिति की नियुक्ति से त्रुटियों की जिम्मेवारी नहीं बदल जाती। मैं यह चाहूंगा कि इंजीनियरों की समिति में इनकी जिम्मेवारी खटाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय :** यह रिपोर्ट कब तक मिलेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** महीने डेढ़ महीने में।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब हम अगली बार इकट्ठे होंगे।

†**श्री मुरारका :** क्या गारन्टी की अवधि में उनको पूरा रुपया दे दिया जाया करेगा या कुछ रकम रोकी जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसके लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड यह ध्यान रखेगा कि गारन्टी देने वालों के पास उसको पूरा करने के लिये पर्याप्त साधन सुरक्षित है या नहीं। हम इस सुझाव को हिन्दुस्तान स्टील को बता देंगे ताकि वह ऐसी व्यवस्था कर सके जिससे यह गारन्टी केवल कागज पर लिखी गारन्टी न होकर वास्तविक गारन्टी बन सके।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या कोई ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में हमें इस प्रकार के नुक्स निर्माण के समय ही पता लग जायें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हां, वहां पर कई लोग देख भाल करते रहेंगे जिससे ऐसा नुक्स नहीं रह सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब जिन व्यक्ति का उस समय निरीक्षण का कर्तव्य था वे व्यक्ति सरकार को समय पर सूचना नहीं दे पाये तो क्या अब उनको बदल कर वहां पर अन्य व्यक्ति रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह आवश्यक नहीं। ऐसे नुक्स बहुत देर तक छिपे नहीं रह सकते। प्रश्न यह था कि गारन्टी की अवधि में यदि फिर कभी कोई नुक्स पड़ जाय तो उसकी सूचना देने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेवार होगा। यदि उसमें कोई भी दोष रह जायेगा तो वहां पर काम करने वाला इन्चार्ज इसकी सूचना देगा .....

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी :** मेरा प्रश्न 'गारन्टी की अवधि के दौरान' के बारे में नहीं था। मेरा प्रश्न यह है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बार इतना बड़ा नुक्स पाया जा चुका है। क्या सरकार ने कोई ऐसी प्रशाकीय कार्यवाही करना ठीक समझा है जिससे कि भविष्य में इस संयंत्र के निर्माण में ऐसे दोष न रहने पायें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और वह परामर्शदाता संगठन को सुदृढ़ करने पर विचार कर रहा है। हमने इस संगठन में अनेक भारतीय इंजीनियर नियुक्त कर दिये हैं जिससे और अच्छी तरह निरीक्षण हो सके।

†**श्री साधन गुप्त :** 'इस्कोन' ने क्या परिशोधक उपाय किये हैं ? क्या उसने छोटे 'पाइल्स' की जगह निर्धारित आकार के 'पाइल्स' लगाये हैं ? यदि नहीं, तो क्या छोटे पाइल्स' की इस वर्ष में भली भांति परख हो जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** एक उपाय यह किया गया है कि नींव के नीचे की मिट्टी को खोदकर उसमें उचित 'रीइन्फोर्समेंट' कर दिया जाता है। इसको शिल्पिक क्षेत्र में "अंडर पिनिंग" कहा जाता है। शिल्पज्ञों ने यह परामर्श दिया था कि यद्यपि इसमें काफ़ी लागत लगती है परन्तु इससे नींव में बड़ी मज़बूती आ जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय भी किये जायेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो नये पाइल्स भी लगाये जा सकते हैं। यह सब विस्तार की बातें हैं जिनकी ज़िम्मेवारी 'इस्कोन' पर है। मैं समझता हूं हमें गारन्टी से पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ :** रुपये की दृष्टि से यह काम कुल का कितने प्रतिशत होगा। इन नींवों से १२८ करोड़ की जो हानि हुई है उसके मुकाबिले इस काम पर कितना रुपया व्यय होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे विचार में पाईलिंग पर कुल ३० से ५० लाख रुपया व्यय होगा। मुझे सही रकम नहीं याद आ रही। इसका सही अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। नींव एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यदि यही कमज़ोर रह गई तो फिर कोई भी भयानक परिणाम निकल सकता है। किन्तु मैं समझता हूं कि अब ऐसा होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। गारन्टी प्राप्त करने के बाद मैं समझता हूं हमने अपने हितों को काफ़ी सुरक्षित कर लिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यापकों की अर्हतायें

†*१२१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री ३० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की अर्हताओं संबंधी प्रारूप विनियमों को अंगीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) आयोग ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हताओं संबंधी विनियमों को सभी विश्वविद्यालयों की सूचना की पथप्रदर्शनार्थ परिचालित कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह नियम केवल सूचना और मार्ग दर्शन केहेतु हैं या इन पर अमल किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आयोग इस विषय में अधिकांश विश्वविद्यालयों से बात चीत कर चूका है और वे इनको मानने को तैयार हैं। इस लिये इनकी कार्यान्विति में कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है। आयोग के नियम यद्यपि मार्ग दर्शन के लिये बनाये गये हों हमेशा यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय उन पर अमल करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वर्तमान नियमों से इन नियमों में क्या मूलभूत अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह नियम लोगों को नहीं दिखाये जा सकते ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां, आप एक प्रति संसद् पुस्तकालय में भी रखवा देवें।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अब तक किसी विश्वविद्यालय ने इन नियमों पर अमल करना शुरू किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बता चुके हैं कि इनको त्रियान्वित किया जा चुका है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां उन्होंने आयोग की सिफारिशें मान ली हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या इन नियमों में विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 'सरकारी कर्मचारी' मान लिया गया है ताकि वह दलगत नीति से ऊपर उठकर अध्यापन कार्य में उत्साह दिखा सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इन नियमों में यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। यह सिफारिशें शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से की गयी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** आयोग उनकी नियुक्ति, केडर या सेवा की शर्तों के बारे में नहीं सोचता। यह केवल शिक्षा के स्तर से संबंधित है।

†**श्री त्यागी :** जब सरकार उन पर योग्यता संबंधी यह नियम लागू करने जा रही है तब क्या सरकार उनको सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताओं का निश्चय प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वयं करता है यदि किसी विश्वविद्यालय के नियमों और आयोग के नियमों में विरोध हो तो फिर आयोग क्या करता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं सभा को पहले बता चुका हूं कि इन नियमों को बनाने से पहले आयोग ने अधिकांश विश्वविद्यालयों से परामर्श कर लिया था और वे इनको अपनाने के लिये सहमत हैं। परन्तु यदि कोई विश्वविद्यालय अब इनको नहीं मानता तो आयोग ज्यादा से ज्यादा उसके अनुदान घटा सकता है।

†**श्री तंगामणि :** क्या कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने आयोग की उस उपसमिति की सिफारिशें नहीं मानी हैं ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे विचार में अधिकतर विश्वविद्यालयों ने इनको स्वीकार कर लिया है । अभी हमने विश्वविद्यालयों को यह नियम भेजे हैं यदि कहीं से अस्वीकृति की सूचना मिलेगी तो मैं माननीय सदस्य को पृथक् प्रश्न पूछने पर इसकी सूचना दे सकता हूं ।

अखिल भारतीय शहीद स्मारक

+

†*१२१८. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अखिल भारतीय शहीद स्मारक की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) यह प्रस्ताव किया गया है कि इस स्मारक का मुख्य आशय इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि भारत के लोग स्वाधीनता प्राप्ति के लिये कैसे दृढ़मन होकर आगे बढ़े । इस चित्र में सबसे आगे महात्मा गांधी जी होंगे और उनके पीछे भारत के विभिन्न विभागों के तथा विभिन्न क्षेत्रों के १० या ११ अपरिचित व्यक्ति ।

(ख) शिल्पिक के साथ स्मारक की रूप रेखा के संबंध में और करार की शर्तों के बारे में अभी विचार विमर्श किया जा रहा है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने यह स्मारक लाल किले के बाहर बनाने का निश्चय किया है यदि हां तो इसके लिये कितना स्थान चाहिए ?

†**श्री दातार :** जी हां, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं यह लाल किले के बाहर चांदनी चौक के अभिमुख बनाया जायेगा । स्थान के बारे में मैं सही सही नहीं बता सकता ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित की है जिसके भीतर वह इस सभा को इस स्मारक के बारे में पूरी सूचना दे सकेगी ?

†**श्री दातार :** इस में कुछ समय लग जायेगा । अभी तो शिल्पकार के साथ बात चीत हो रही है । वह अभी प्लास्टर का एक कार्यकारी मॉडल तैयार कर रहा है । इसके बाद वह वास्तविक स्मारक पर काम शुरू करेगा । इस सब में समय लगेगा ।

†**श्री राधा रमण :** सरकार ने इस के लिये कुल कितना रुपया स्वीकार किया है ?

†**श्री दातार :** वर्तमान अनुमान यह है कि इस पर ९ लाख रुपये व्यय होंगे ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस यादगार का सम्बन्ध है, यह केवल एक स्तम्भ, स्तूप या इसी तरह की कोई चीज़ होगी या कि इस का कोई उपयोग राष्ट्र निर्माण के काम में हो सके, ऐसी कोई चीज़ भी वहां स्थापित की जायेगी ?

†**श्री दातार :** यह हमें भारत के आज़ादी के लिये महान संग्राम की याद दिलायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न पर पिछले दो तीन वर्षों से विचार हो रहा है और अभी तक केवल आर्किटेक्ट की रिपोर्ट ही आ पाई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस में देरी होने का क्या कारण है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** इस में समय लगेगा । सरकार को इसके साईज़, नमूना आदि तैयार करवाने में कुछ समय लगेगा । यह काम निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन है । वह इसको जल्दी खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** शिल्पकार के साथ सामान्य बात चीत और करार की शर्तें तय करने में १० महीने से भी ज्यादा अर्सा क्यों लग गया है ?

†**श्री दातार :** हमें कई बातों पर विचार करना पड़ा है । सब से ज्यादा समय स्मारक के डिजाइन पर लगा है । अब हम अंत में इस निश्चय पर पहुंच पाये हैं ।

†**श्री खीमजी :** यह काम किस शिल्पकार को सौंपा गया है ।

†**श्री दातार :** यह काम ललित कला अकादमी के चेयरमैन श्री वी० सी० राय **चौधरी** को दिया जायेगा ।

भारत-विद्या संस्था[1]

+

†*१२२०. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-विद्या संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्थापना तैयार कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या इसकी योजना तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि इस संस्था की स्थापना की आशा में पहले ही विश्वविद्यालयों तथा अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं से यह कह दिया गया था कि वे इस संस्था के लिये अपने अपने अभ्यर्थी चुन लें और उनके नाम मंत्रालय को भेज दें ? यदि हां, तो इस संस्था के सम्बन्ध में कार्यक्रम तय करने में और कितना समय लगेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं । जहां तक अभ्यर्थियों को चुनने का सम्बन्ध है, पहले एक जारी रहने वाला काम है क्योंकि भारत-विद्या का अध्ययन करने के लिये विद्यार्थियों को विदेशों में भेजा जाता है । जहां तक भारत में भारत-विद्या संस्था की स्थापना का सम्बन्ध है, इसे उसी समय प्रारम्भ किया जायेगा जब कि हमारे पास इतनी संस्था में ऐसे विद्वान हो जायेंगे जो कि उस संस्था के विभिन्न विभागों में अनुसन्धान का काम चला सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indology Institute

†**पंडित कृ० चं० शर्मा :** क्या माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे कि इसे एक अलग संस्था के रूप में स्थापित करने की जगह इसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध कर दिया जाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** भारत के लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में भारत-विद्या सम्बन्धी कोई न कोई विभाग अवश्य है । इसलिये इस संस्था को केवल किसी एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । सभी विश्वविद्यालय महसूस करते हैं कि उक्त संस्था उनके लिये लाभदायक सिद्ध होगी ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नीति मालूम पड़ती है कि प्रत्येक नई संस्था को दिल्ली में ही केन्द्रित किया जाय चाहे वह इसके लिये उपयुक्त हो या न हो, क्या इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा कि यह इन्डोलोजी की संस्था किसी ऐसे स्थान पर रक्खी जाय, जैसे काशी आदि, जहां पर भारतीय संस्कृति का पुरातन केन्द्र हो ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** संस्था के स्थान के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, अत : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या इस संस्था के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने से पहले शिक्षकों या विद्यार्थियों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रतीक्षा की जा रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उसका विद्यार्थियों से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । यह तो उच्चतर अनुसन्धान कार्य के लिये एक केन्द्रीय भारत-विद्या संस्था होगी ।

सेना-पशु जनन प्रक्षेत्र[1]

\+

†*१२२१. { **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाबूगढ़ तथा सहारनपुर के सेना-पशु जनन प्रक्षेत्रों में घोड़ों के प्रजनन सम्बन्धी सुझाव को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसकी कार्यान्विति पर यदि कोई राशि खर्च की गयी है, तो वह राशि कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ३० जून, १९५९ तक लगभग २·९ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

†**श्री बर्मन :** हमारी अश्व सेना की मांग का कितना भाग स्वदेशी घोड़ों से पूरा होता है और कितने भाग के लिये विदेशों से घोड़े मंगवाने पड़ते हैं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Army Stud Farms.

†**सरदार मजीठिया** : गत ९ वर्षों में अर्थात् १९४८ से १९५७ तक इन घोड़ों की खरीद पर कुल ५६,१४,८२१ रुपये खर्च किये गये थे जिनमें से २७,८५,००० रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी।

†**श्री बर्मन** : दिल्ली में हुई प्रतिरक्षा प्रदर्शनी में हमें यह बताया गया था कि विदेशी खच्चर यहां पर संकरण[1] के उद्देश्य से लाये गये हैं, ताकि देश में अधिक ताकतवर जानवर पैदा हो सकें। इस योजना में कहां तक सफलता मिल सकी है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह ठीक है कि हमने अधिक ताकतवर जानवर पैदा करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है और उसमें हमें सफलता भी मिली है। वह योजना अभी तक जारी है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हमारा देश घोड़ों और खच्चरों के सम्बन्ध में किस सीमा तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : आशा है कि हम इस सम्बन्ध में १९६७ तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार का देश में पहले से ही विद्यमान पशु जनन प्रक्षेत्रों का जैसे कि लैसम जिले के सौ वर्ष पुराने 'आर्मी रिमाउण्ट डिपो' को इस्तेमाल करने का कोई विचार नहीं है ?

†**सरदार मजीठिया** : हम पहले तो इन्हीं केन्द्रों से जानवर प्राप्त करते थे। परन्तु जब इन स्वदेशी जानवरों से आवश्यकता पूरी न हुई, तो हमें विदेशों से भी जानवरों का आयात करना पड़ा। इसीलिये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिये यह योजना प्रारम्भ की गयी है।

भारत-स्टानवक करार के अधीन तेल की खोज

\+

†*१२२२. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** :
श्री पुन्नूस :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्टानवक करार के अधीन पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज के सम्बन्ध में कोई और प्रगति हुई है ; और

(ख) जब से खोज का काम प्रारम्भ हुआ है, तब से कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) भारत-स्टानवक पैट्रोलियम परियोजना ने पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित स्थानों पर ६ कुएं खोदने का काम पूरा कर लिया है:—बर्दवान, गालसी, जलंगी, देवग्राम, बोलपुर तथा राणाघाट। मेमारी के निकट एक और कुआं भी खोदा जा रहा है और २७ अगस्त, १९५९ तक वह १२०३० फुट तक खोदा जा चुका था। पहले ६ कुएं तो सूख निकले हैं और सातवें का अभी परीक्षण करना है।

(ख) १ जनवरी, १९५४ से जून, १९५९ के अन्त तक कुल ६,२८,३३,१८७ रुपये खर्च किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कुल ७ कुएं ही खोदे गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cross breeding.

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी, हां। ७वां कुआं अभी खोदा जा रहा है। पहले के ६ कुओं में से सभी के सभी सूखे हैं।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि स्टैण्डर्ड वेकुअम कम्पनी के प्राधिकारी भारत-स्टानवक करार के अधीन भारत में किये जाने वाले भू-छिद्रण के दौरान में प्राप्त होने वाली सभी आधार-सामग्री[1] बाहर भेज रहे हैं और वह सामग्री तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास नहीं भेजी जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, भारत सरकार इस परियोजना में एक चौथाई भाग की हिस्सेदार है। और तीन चौथाई धन स्टेण्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी द्वारा लगाया जा रहा है। क्योंकि स्टेण्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी भी एक हिस्सेदार है, इसलिये उसे पूरा अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में प्राप्त आधार-सामग्री अपने हेड आफिस को भेजे। उनका भूतत्वीय परीक्षण कार्यालय तथा उन आंकड़ों की व्याख्या करने वाली संस्था न्यूयार्क में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सामग्री केवल अमरीका ही भेजी जा रही है या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भी उपलब्ध की जा रही है ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या हम उनकी कार्बन कापियां प्राप्त कर सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सम्भवतः माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की कार्बन कापियां नहीं होतीं। जहां तक प्रविधिक आधार-सामग्री का सम्बन्ध है, जब भी हमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता हुई है, उन्होंने उसे देने से इंकार नहीं किया है। सारांश यह है कि तेल के लिये ६ कुएं खोदे जा चुके हैं परन्तु उनमें तेल नहीं मिला है।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी के सभी कुएं सूखे निकले हैं, क्या सरकार ने भारत सरकार स्टानवक करार के अन्तर्गत किये गये कार्य की सम्पूर्ण प्रगति पर पुनर्विचार करने का कोई निर्णय किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तथ्य यह है कि ६ कुएं खोदे गये हैं और सब के सब सूखे हैं। लगभग सभी तेल कम्पनियों का कहना है कि तेल की खोज करना जोखिम का काम है और उस पर बड़ा रुपया खर्च करना पड़ता है। इसमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमें भी असफलता का सामना करना पड़ा है। परन्तु हमें एक चौथाई हानि हुई है। तीन चौथाई हानि उस कम्पनी को हुई है।

†**श्री त्यागी** : जो कुआं कैम्बे में खोदा गया था, उसकी क्या स्थिति है? उसके सम्बन्ध में चारों ओर यह प्रचार किया जा रहा था कि उसमें से तेल गैस निकलने लगी है ? क्या वह कुआं भी सूख गया है या उसमें से तेल निकलना अभी जारी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल में चलाई जा रही भारत-स्टानवक परियोजना से है। इसका कैम्बे से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी जहां तक उसका सम्बन्ध है, उसमें तेल पाया गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी मालवीय, कई बार बता चुके हैं, यह पता लगाने के लिये कि क्या कैम्बे से वाणिज्यिक दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में तेल प्राप्त हो सकेगा या नहीं, अभी कई और परीक्षण करने पड़ेंगे।

†**श्री त्यागी** : तो इसका यही अर्थ है कि पश्चिम के सभी कुएं सूखे नहीं हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Data.

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल के तेल के कुओं से है। ६ कुएं सुखे निकले हैं। सातवें के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा रहा है। हमें उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह बता दूं कि पूर्वी भारत में भी अन्य स्थानों पर हमें सफलता मिली है। आसाम पश्चिमी बंगाल के पूर्व में ही है और वहां पर तेल के ऐसे कुएं हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में तेल है।

†**श्री अ० चं० गुह** : भारत-स्टानवक करार कितने समय के लिये किया गया है ? क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किसी भी समय पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज का काम स्वयं अपने हाथ में ले सकेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है क्योंकि जहां तक सरकार के दायित्व का सम्बन्ध है, वह लगभग २ या २.५ करोड़ रुपये तक के लिये ही है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : २ करोड़ रुपये नहीं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : २.५ करोड़ रुपये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह भी ग़लत है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्री नारायणन् कुट्टि मेनन की तेल के सम्बन्ध मे पर्याप्त रुचि है। यदि उन्होंने करार को पढ़ा है तो वे जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। परन्तु जिस बात पर मैं ज़ोर दे रहा था वह यह थी कि इस परियोजना में, जिस में सरकार एक चौथाई भाग की हिस्सेदार है, सरकार का दायित्व २ करोड़ या २.५ करोड़ रुपयों तक ही सीमित है। अतः यदि कुल खर्च १० करोड़ रुपयों से बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में सरकार और कुछ भी खर्च नहीं करेगी। जहां तक उस सुझाव का सम्बन्ध है कि इस क्षेत्र का काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने अधीन लेने का प्रयत्न करे, यदि इस बारे में करार करने से पहले प्रयत्न किया जाता तब तो कोई बात भी थी, परन्तु अब तो ऐसा सोचना उचित नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के इन सूखे क्षेत्रों का काम अपने हाथ में ले लेने से कोई विशेष लाभ होगा।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के अतिरिक्त किसी और कम्पनी ने भी भारत में तेल की खोज के काम में कोई रुचि दिखाई है, और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस काम को इस लिये नहीं लिया है कि पैट्रोलियम रियायत नियमों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि पैट्रोलियम रियायत नियमों का फैसला करने में कुछ देर लग गई है। परन्तु इन नियमों के तय होने या न होने का कोई असर नहीं पड़ता। यदि कोई पार्टी इस काम के लिए ऐसी शर्तें प्रस्तुत करती है जो कि हमें मंजूर हो सकती है, तो हम उन पर विचार करने और करार करने के लिए सदा तैयार हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल के तेल के कुओं से अब तक प्राप्त हुए परिणाम करार करने से पहले स्टानवक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रारम्भिक रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह एक अत्यधिक प्रविधिक प्रश्न है और इसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन है । इसके लिए यदि अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दी जाये तो मैं उसका उत्तर दे सकूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल यही पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि वहां से पर्याप्त मात्रा में तेल की प्राप्ति हो सकती है ? किसी भी स्थान पर बिना किसी आधार के खोज का काम प्रारम्भ नहीं किया जा सकता । उसका प्रत्यक्षतः प्रमाण अवश्य होना चाहिए ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जब तक किसी पार्टी को आशा न हो, वह ६ करोड़ रुपयों के लगभग इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं करती । इस सम्बन्ध में आशा तो थी ही । परन्तु यह प्रश्न बड़ा प्रविधिक तथा विस्तृत है कि क्या प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में जो पहले आंकड़े तैयार किये गये थे, वे बाद में आशा के अनुसार ठीक निकले हैं या नहीं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या यह सच नहीं है कि प्रारम्भिक खोज में तो पश्चिमी बंगाल में तेल प्राप्त करने की बड़ी आशा अभिव्यक्त की गयी थी, परन्तु अब माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि वहां पर तेल खोजने का काम छोड़ दिया जायेगा और वह काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नहीं चलाया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** दुर्भाग्यवश वहां से सफलता नहीं मिली है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** स्टानवक के साथ किये जाने वाले इस कार्य में क्या हमारे इंजीनियर भी काम कर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी नहीं । परन्तु वे इंजीनियर जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे उनके साथ काम कर सकते हैं ।

देहली फायर सर्विस

+

†*१२२३. { **श्री अ० म० थामस :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहली फायर सर्विस में कर्मचारियों और उपकरणों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने देहली फायर सर्विस के सुधार और विस्तार के लिए तैयार की गयी योजना की कार्यान्विति के लिए दिल्ली नगर निगम को ५८ लाख रुपये तक की सहायता देना स्वीकार कर लिया है । उस योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ दिल्ली नगर के विभिन्न भागों में ७ नये फायर स्टेशन स्थापित करना भी सम्मिलित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्योंकि अब दिल्ली का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और दिल्ली तथा नई दिल्ली में कई बस्तियां स्थापित हो गयी हैं, क्या सरकार इन बस्तियों में छोटे-छोटे फायर स्टेशन स्थापित करने का कोई विचार रखती है ?

†**श्री दातार** : इस समय विभिन्न स्थानों पर ७ फायर स्टेशन स्थापित हैं । अब ७ और स्थापित किये जा रहे हैं। इस समय २४ पम्पिग यूनिट हैं । अब उन्हें बढ़ा कर ६७ कर दिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस योजना की कार्यान्विति के लिए कोई राशि दी गयी है ?

†**श्री दातार** : पिछले साल कुछ राशि दी गयी थी। इस वर्ष लगभग २५ लाख रुपये दिये जायेंगे ।

जापानी उधार संस्थायें

†**१२२४. श्री केशव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक प्राधिकारियों के उस दल ने क्या सिफारिश की है जो कि हाल ही में औद्योगिक वित्त पोषण के क्षेत्र में जापानी उधार संस्थाओं के तरीकों का अध्ययन करने के लिए जापान गया था; और

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) १९५८ के अन्त में कुछ एक वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के प्राधिकारियों का जो दल जापान गया था, उसने औपचारिक रूप से कोई भी सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री केशव** : क्या इस दल ने सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजी है और क्या वह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जा सकती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी औपचारिक सिफ़ारिश नहीं भेजी गयी है । सरकार के पास रिपोर्ट भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं है । रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त पोषण के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

जहाज की खरीद

†*१२२५. **श्री मुरारका** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जैक कौलेट नामक एक व्यक्ति पर, जिस पर यह कथित आरोप है कि उसने अपने लिए तथा एक अन्य व्यक्ति के लिए २४०,००० पौंड की कीमत के एक जहाज के सम्बन्ध में भारत सरकार के एक सौदे में सहायता करने के बहाने से १०,००० पौंड की राशि प्राप्त की थी, लन्दन की फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस केस का पूरा ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) स्काटलैण्ड यार्ड, लन्दन में, यह सूचना मिलने पर कि श्री जैक कौलेट ने गलत बात बता कर १०,००० पौंड का चैक प्राप्त कर लिया है, उक्त आरोप की जांच की थी । पता चला है कि जांच के पूरा होने के बाद श्री जैक कौलेट पर लार्सनी एक्ट (चोरी अधिनियम) १९१६ की धारा ३२ के अधीन एक मुकदमा चलाया गया, परन्तु बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया क्योंकि जूरी ने उन्हें 'निरपराधी' घोषित कर दिया ।

(ख) जुलाई, १९५६ में भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय ने मेसर्स हलाल शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, लन्दन से 'एल-हलाल' नामक एक जहाज़ खरीदा था जिसका नाम अब 'एम० वी० निकोबार' रखा गया है । जब उसके बारे में इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, लन्दन की मार्फत बातचीत चल रही थी, उस समय श्री जैक कौलेट स्वयमेव उस बातचीत में सम्मिलित हो गये । उनका यह कहना था कि वह बातचीत को सफल बनाने में सहायता कर सकते हैं । ज्ञात हुआ है कि इसी बहाने से उन्होंने उस जहाज़ कम्पनी से १०,००० पौंड इस कथित प्रयोजन से प्राप्त कर लिये कि वह यह राशि एक व्यक्ति श्री योगेन्द्र सिंह, १४ मोती महल बम्बई तक दूसरे व्यक्ति श्री वी० एन० राजन, २१ क्वीनज़ वे, नई दिल्ली को अदा करेंगे । परन्तु बाद में पता चला कि उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम फर्जी थे ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि पहले इस जहाज़ को २,२५,००० रुपयों में बेचने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु बाद में वही जहाज़ २,४०,००० रुपयों में बेचा गया ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि पहले उसके बारे में हमारे पास वैसा प्रस्ताव आया था, परन्तु बाद में उस कम्पनी ने २,४०,००० रुपयों से कम में बेचने से इनकार कर दिया था ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने इस प्रकार से खरीदने के तरीके का विरोध किया था और उसने इस बात पर जोर दिया था कि इसके लिए टेण्डर मांगे जायें ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं । खुले टेण्डर प्राप्त करने का काम संभव नहीं था । इस मामले पर यहां दिल्ली में, बम्बई में और लन्दन में अच्छी प्रकार से विचार करना था और इस बारे में पर्याप्त समय तक बातचीत चलती रही ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके लिय गृह-कार्य मंत्रालय कैसे जिम्मेवार है ?

†**श्री दातार** : क्योंकि निकोवार का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि इस सम्बन्ध में जिन विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया था उसका यह मत था कि यह जहाज़ इस मार्ग पर चलाने के लिये उपयुक्त नहीं है, परन्तु फिर भी इस जहाज़ को खरीद लिया गया है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं, पहले तो कुछ एक विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया था, परन्तु बाद में अन्य परामर्श दाताओं ने भारत तथा लन्दन में इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया और उनकी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही इसे खरीदा गया था ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कम्पनी ने उस व्यक्ति को बड़ी आसानी से १०,००० पौंड की राशि दे दी है, जिसमें यह बहाना किया था कि उसने भारत

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न किया था, क्या सरकार ने बाद में इस बात की जांच की है कि क्या उस कम्पनी को अदा की गयी कीमत ठीक थी या नहीं ?

†**श्री दातार** : सरकार ने इसकी जांच की थी क्योंकि कमिशन के रूप में इतनी अधिक राशि देने पर हमें उस कम्पनी पर सन्देह हो गया था, उस जांच के परिणाम स्वरूप कम्पनी ने भारत सरकार को लगभग ३००० पौंड वापिस कर दिये थे ।

†**श्री च० द० पांडे** : यह जहाज़ अभिकरण के द्वारा खरीदा गया था, इसके लिये वस्तु क्रय विभाग (स्टोर्स पर्चेज़ डिपार्टमेंट) की मार्फत आर्डर क्यों नहीं भेजे गये थे ?

†**श्री दातार** : यह खरीद सम्भरण तथा निबटान के महानिदेशक के लन्दन कार्यलय के परामर्श से की गयी थी, लन्दन स्थित उच्चायुक्त के कार्यालय की जानकारी में ही सारा काम हुआ है, । यह अच्छी प्रकार से विनिश्चय कर लेने के बाद कि यह जहाज़ हमारे लिये उपयोगी सिद्ध होगा, हमने दो वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसे खरीदा था ।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार ने बाद में इस बात की जांच कर ली है कि १०,००० पौंड की यह राशि किसने प्राप्त की है और क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने विशेष पुलिस संस्थापन से यह कहा था कि वह लन्दन के उस व्यक्ति के विरुद्ध और कोई कार्यवाही न करे ?

†**श्री दातार** : सरकार ने विशेष पुलिस संस्थापन के द्वारा जांच करायी थी । परन्तु जब व्यक्तियों के नाम ही फर्ज़ी हैं, तो उन्हें कैसे ढूंडा जा सकता था ।

†**श्री त्यागी** : वह जहाज़ कितना पुराना है ?

†**श्री दातार** : मुझे ज्ञात नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह जहाज़ अच्छी प्रकार से काम दे रहा है ?

†**श्री दातार** : जहां तक मुझे ज्ञात है, वह अच्छी प्रकार से काम दे रहा है ।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

+

†*१२२६. { **श्री मोहम्मद इलियास** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २५ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के जन्म शताब्दी समारोह पर उन के साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

कहानियां

(१) २१ लघु कथायें
(२) १०१ कवितायें
(३) दो उपन्यास
(४) छः नाटक

} अनुवाद कार्य हो रहा है ।

†मूल अंग्रजी में

(५) ५०० गीत छप रही है ।

(६) निबन्ध
(७) और
(८) पत्र
} चुनाव किया जा रहा है ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : रवीन्द्र नाथ टैगोर की कितनी कृतियों का रूस और अन्य समाजवादी देशों में अनुवाद किया जा रहा है और क्या उन की अपनी भाषा में इन का अनुवाद करने के लिये कोई सहायता मांगी गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का अनेक वर्षों से विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जाता रहा है । किसी विशेष देश के बारे में मेरे पास ब्यौरेवार जानकारी नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन के ५०० गीत भी प्रकाशित होंगे । उन के अन्य नाटक, उपन्यास और कहानियों के भी अनुवाद हो रहे हैं । क्या उन के गीतों का भी अनुवाद कराने की व्यवस्था हो रही है और अगर हो रही है तो क्या उन का पद्यात्मक अनुवाद हो रहा है और अगर हो रहा है तो किन किन भाषाओं में हो रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा मैं बता चुका हूं, अन्य साहित्यों का अनुवाद किया जा रहा है । जहां तक गीतों का सम्बन्ध है, ५० गीतों का अनुवाद किया गया था । अब इस बारे में कुछ आशंका है कि और गीतों का भी अनुवाद किया जाये या नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : गीतों के बारे में मैं ने इसलिये पूछा है कि उन के कई गीतों के कई भाषाओं में कवियों ने भी अब तक अनुवाद किये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस का कोई प्रयत्न हो रहा है कि ऐसे अवसर पर उन के और गीतों का भी भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया जाये ?

श्री हुमायून् कबिर : कुछ गीतों का अनुवाद किया गया था हिन्दी में जिन की संख्या कोई ५० है । औरों के बारे में भी देखा जायेगा । अगर दूसरी भाषाओं के अच्छे अनुवादक मिलें तो उस को भी हम शाया करेंगे । लेकिन दिक्कत यह है कि ठीक अनुवाद करना बड़ा ही मुश्किल है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : टैगोर के भाषणों के सम्बन्ध में साहित्य का कार्य किस को दिया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इन विभिन्न वाल्यूम को चुनाव और तैयार करने में विभिन्न व्यक्तियों को सहायता करने को कहा गया था ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यूनेस्को के सहयोग से तैयार किये जाने वाले शताब्दी अंक में लेख देने के लिये विदेशियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव क्रियान्वित किया गया है और यदि हां, तो वे विदेशी लेखक कौन हैं जिन से लेख मांगे गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस के क्रियान्वित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह अंक १९६१ में छप कर तैयार होगा । हम ने लेखकों की एक अस्थायी सूची बनाई है । कार्य उसी तरीके से हो रहा है ।

†**श्री हेम बरूआ** : विदेशी लेखक कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि विदेशी लेखक कौन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम ने "टैगोर और ग्राम्य पुनर्निर्माण" के लिये एल० एल्महर्स्ट "टैगोर और पश्चिमी संगीत" के लिये डा० आरनाल्ड ब्लैक, 'पश्चिम और टैगोर' के लिये फादर फालन और कुछ अन्य लेखों के लिये जिनका टैगोर से विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है, डा० स्टेला क्रेमरिच को आमंत्रित करने का फैसला किया है ।

कानपुर के मिल-मालिकों से वसूल की जाने वाली धन-राशि

+

†*१२२८. { **श्री भंजदेव** :
श्री जयपाल सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में उद्योगपतियों और मिलमालिकों से सरकारी खाते पर लगभग १० करोड़ रुपया वसूल किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को देय इस धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) १-४-१९५९ को कानपुर के उद्योग-पतियों और मिल-मालिकों से (समवायों समेत) आय-कर, अपहार-कर और धन-कर के रूप में ४.८० करोड़ रुपया वसूल करना बाकी था ।

(ख) बकाया रकम को वसूल करने के लिये भारतीय आय-कर, उपहार-कर और धन-कर अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री भंजदेव** : क्या बिजली के बारे में भी कोई रकम बकाया है ? क्या इस रकम में बिजली की रकम भी शामिल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बिजली की रकम सरकारी रकम नहीं है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : उद्योगपतियों के क्या नाम हैं और उन्हें सरकार को कितनी रकम देनी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अधिनियम के खंड ५४ के अधीन ऐसा बताने की आज्ञा नहीं है; अतः व्यक्तिगत करदाताओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि यह एक बड़ी रकम है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह रकम कब से बकाया है, इस रकम को वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और अभी तक कितनी रकम वसूल की जा चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर पदाधिकारियों को बहुत से अधिकार दिये गये हैं । इस मामले में, जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, हम ने उन सब उपबन्धों के अधीन कार्यवाही कर ली है और हम तदनुरूप कार्य कर रहे हैं । केवल इसी कार्य के लिये बहुत से राजस्व-पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये हम ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है और इस बारे में प्रबन्ध कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह ४·८० करोड़ रुपये की बकाया रकम कब से लम्बित है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस में आधे से ज्यादा लेख याचिकाओं और अपीलों के कारण लम्बित है । अतः उसे लम्बित नहीं कहा जा सकता । उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन की वसूली नहीं की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह रकम कब से बकाया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ समय पहले हमें बताया गया था कि दोषियों के नाम बताने की व्यवस्था करने के लिये सरकार आय-कर अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? अब उस की क्या स्थिति है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस बकाया रकम में इन उद्योग पतियों द्वारा भविष्य निधि में किये जाने वाले अंशदान की रकम भी शामिल है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह नहीं कह सकता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी नहीं । मूल प्रश्न केवल धन कर, आय कर और उपहार कर के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में केवल कर आते हैं और भविष्य निधि नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : वह सरकारी खाते पर है । पर वहां भविष्य निधि है. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा हो सकता है । परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है, नहीं । मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें नोटिस चाहिये और उप मंत्री महोदया ने कहा कि नहीं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : दी गयी जानकारी केवल उस सम्बन्ध में है जो कि मूल प्रश्न में पूछी गयी है ।

†**श्री तंगामणि** : पूर्व अवसर पर भी . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम उस प्रश्न को न उठावें ।

अफीम का तस्कर व्यापार

†*१२२९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच अफ़ीम के तस्कर व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जहां तक सरकार को पता है, १९५७ के बाद से पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच अफ़ीम के तस्कर व्यातार के मामलों में वृद्धि की निस्बत कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या अफ़ीम के तस्कर व्यापार के लिये पंजाब की सीमा पर पिछले तीन महीनों में बहुत व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक मेरी जानकारी है, १५ जुलाई, १९५९ तक इस वर्ष में इस सीमा पर अफ़ीम के तस्कर व्यापार का कोई मामला नहीं पकड़ा गया ।

†**श्री त्यागी** : भारत और पाकिस्तान में से किस देश में अफीम का अधिक उपभोग होता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मूल प्रश्न तस्कर व्यापार के बारे में है और उपभोग के बारे में नहीं ।

श्री सरजू पांडे : क्या इस बात की सूचना सरकार को है कि अभी गाजीपुर फैक्ट्री से जो ६ मन अफीम चोरी गई थी वह वेस्ट पाकिस्तान जा रही थी ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने यह सूचना दे दी है तो अब हमें यह मालूम हो गई है ।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि जब अफीम की खेती बन्द हो गई है तो यह अफीम आती कहां से है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी बात नहीं है कि यह बंद है, अफीम की काश्त चल रही है ।

छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां

+

†*१२३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय का देश में छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). प्रतिरक्षा मंत्रालय का स्वयं छावनी क्षेत्रों को सेवा सहकारी समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इस सम्बन्ध में प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इन सहकारी समितियों को छावनी क्षेत्रों में खाली पड़ी कृषि भूमि देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : छावनी क्षेत्र बोर्डों के क्षेत्राधिकार में हैं और यदि वे फालतू हैं तो वे अस्थायी रूप से छावनी बोर्डों द्वारा सहकारी समितियों पर पट्टे पर दिये जायेंगे ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : सिकन्दराबाद में जो भूमि भूतपूर्व-सैनिकों को बांटी गई है, क्या वह अब कृषि सहकारी समितियों को दी जावेगी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : कितनी छावनियों में अब तक ऐसी सहकार समितियां बनाई गई हैं और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी और बनाई जायेंगी ?

†**सरदार मजीठिया** : केवल आगरा में एक सेवा सहकार समिति बनाई गई है ।

घटिया किस्म का कोयला[1]

***१२३१. श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान डिपुओं में बड़ी मात्रा में घटिया किस्म का कोयला पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटिया किस्म के कोयले को इस्तेमाल करने और इस को डिपुओं में से हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). १ जुलाई, १९५९ को खानों पर घटिया किस्म का १९ लाख टन कोयला जमा था जबकि १ जुलाई, १९५८ को यह २०.४७ लाख टन था । यदि भेजे गये कोयले की मात्रा की कुल उत्पादन के साथ तुलना की जाये और परिवहन की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाये तो इस स्टाक को अधिक नहीं कहा जा सकता । परिवहन के लिये जुलाई से अक्टूबर १९५९ तक के शिथिल समय में और अधिक कोयला भेजा जा सकेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : बढ़िया किस्म के कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का बढ़िया किस्म के कोयले के उपभोग में कमी करने और घटिया किस्म के कोयले के उपभोग को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? कोयला खानों पर पड़े घटिया किस्म के सारे कोयले के निर्यात अथवा परिवहन की सुविधा के लिये सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं यह बता चुका हूं कि पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कोयला खानों पर अधिक कोयला जमा नहीं है । हमारी नीति यह है कि घटिया किस्म के कोयले की अधिकाधिक मात्रा में निकासी हो ; परन्तु यह गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा बाजार ढूंढे जाने पर निर्भर करता है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को पता है कि कोयला खानों पर घटिया किस्म के कोयले के जमा हो जाने से खनन क्षेत्र में कोयले का उत्पादन कम हो रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : प्रश्न के पहले भाग से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं, इस बार, कोयला खानों पर असामान्य रूप में कोयला जमा नहीं है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया बनाने के लिये कितने स्थानों में कोयला धोने के कारखाने[2] स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मेरे विचार में घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया बनाने के लिये कोई कोयला धोने का कारखाना स्थापित नहीं किया जायेगा ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या कोरबा में एक कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Low grade coal

[2]Washeries

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कोरबा में कोयला धोने का कारखाना ? इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

करगली का कोयला धोने का कारखाना

†*१२३२. **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगली के कोयला धोने के कारखाने में से, इस के स्थापित किये जाने के बाद से, हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड को कुल कितना धुला हुआ कोयला दिया गया ;

(ख) क्या इस कारखाने में अनुसूची के अनुसार कार्य हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) कोयला धोने के कारखाने में १ नवम्बर, १९५८ को उत्पादन आरम्भ होने से ३१ अगस्त, १९५९ तक की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को ४,२१,९७७ टन धुला हुआ कोयला दिया गया ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की समूची आवश्यकता उन की अनुसूची के अनुसार पूरी कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रा० च० माझी** : हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड की धुले हुए कोयले की कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : इस समय कुल आवश्यकता ६६,००० टन प्रति मास है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस कोयले के कारखाने को जापानी परामर्शदाता सार्थ से ले लिया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी, अभी नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरकार द्वारा इस के न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : ठेके में इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि जब तक परीक्षण नहीं कर लिया जायेगा, इस को नहीं लिया जायेगा । अब परीक्षण किये जा रहे हैं और इन के पूरा होने पर हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड इस को ले लेगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि एक बार यह संयंत्र एक दम बन्द हो गया और इस के फलस्वरूप इस में दो तीन दिन तक तब तक कार्य नहीं हो सका जब तक कि जापानी व्यक्तियों ने इस की मरम्मत नहीं की ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां और दिक्कत हो सकती हैं जोकि अन्य कारखानों के बारे में भी बहुत साधारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस कारखाने में ५०० टन प्रति घंटे की अधिष्ठापित क्षमता के हिसाब से उत्पादन होना कब आरम्भ हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह आशा है कि निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली जावेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कब ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है । जब तक हम इस में परीक्षण न कर लें, हम इस को नहीं लेंगे । हम इस को तब तक अच्छा नहीं कह सकते जब तक कि हमें यह संतोष न हो जाये इस में विशेष-विवरण के अनुसार कार्य हो रहा है । और यह परीक्षणों की सफलता पर निर्भर है । उस के बाद ही हम इस को लेंगे । अतः जब तक परीक्षण सफल नहीं हो जाते हैं, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : परीक्षण कब पूरे हो जायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जब तक इस में करार में दिये गये विवरण के अनुसार कार्य नहीं होता है, यह परीक्षण पर रहेगा और हम इसे नहीं लेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस में कितना समय लगेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसे ही इसमें विवरण के अनुसार कार्य हो जायेगा मैं इसे ले लूंगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भंडारा में युद्ध सामग्री कारखाना

†*१२१९. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारा में एक युद्ध-सामग्री कारखाने की स्थापना के मामले में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) भंडारा में एक युद्ध-सामग्री कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*१२२७. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में चोरी छिपे सोना लाये जाने को रोकने के लिये फ़ारस की खाडी के क्षेत्रों में वर्तमान करेंसी नोटों के स्थान पर विशेष प्रकार के नोट जारी करना कहां तक कार्यकारी सिद्ध हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : अभी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में चोरी छिपे सोना लाये जाने को रोकने के लिये फ़ारस की खाडी में विशेष प्रकार के नोट जारी करना

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कहां तक प्रभावी सिद्ध हुआ है। सोने के तैयार बाजार में निरन्तर कम संभरण की स्थिति और शिथिल समय में सोने के मूल्यों में स्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष बातों से पता चलता है कि नये उपाय इच्छित दिशा में कुछ कार्यकारी सिद्ध हो रहे हैं।

आसाम में भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय

†*१२३३. **श्रीमती मंजुला देवी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षणात्मक रूप में आसाम में स्थापित किये गये भारत के वानस्पति सर्वेक्षण विभाग और नरतत्वीय विभाग के नये कार्यालयों को स्थायी करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इन संस्थानों के लिये इमारत खरीदने के लिये सरकार आवश्यक धन देगी ; और

(ग) यदि हां, तो यह धन कब दिया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) यह प्रश्न भारतीय वानस्पति सर्वेक्षण विभाग के पूर्वी प्रादेशिक सर्किल और नरतत्वीय विभाग के आसाम केन्द्र के बारे में है तो उत्तर यह है कि वे इस समय अस्थायी हैं और उनके बारे में अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). इस समय वे किराये की इमारतों में स्थापित हैं परन्तु वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के सर्किल के लिये इमारत लेने पर ६०,००० रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। नरतत्वीय विभाग को स्थापित करने के अभी कोई इमारत लेने की अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिला छाता सैनिक

*१२३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्लाइट लेफ्टीनेंट कुमारी गीता चंदा भारत की पहली महिला पैरा-ट्रूपर (छाता सैनिक) हैं ; और

(ख) भविष्य में और अधिक महिलाओं को प्रतिरक्षा कार्य की इस विशेष शाखा में प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण का कार्यक्रम सेना और वायुसेना द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए आने वालियों की संख्या प्रशिक्षण पाई वालण्टीयरों पर निर्भर है।

वेदों का हिन्दी में अनुवाद

†*१२३५. **श्री आसर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदों का हिन्दी और अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). भारत सरकार का अपना ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ; परन्तु एक केन्द्रीय ऐच्छिक संस्था ने वेदों के अनुवाद के लिये शिक्षा मंत्रालय को एक योजना भेजी है और इस योजना के लिये सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है। संस्था की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

नागा राष्ट्रीय झंडा

†*१२३६. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले स्वतन्त्रता दिवस पर नागा विद्रोहियों ने तमेंगलांग सब-डिवीज़न के सब-डिवीज़नल अधिकारी के कार्यालय भवन पर और तमेंगलांग सदर मुकाम में हाई स्कूल की इमारत पर नागा राष्ट्रीय झंडे फहराये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जी, नहीं। १४ अगस्त, १९५९ की बहुत प्रात : तमेंगलांग के सब-डिवीज़नल अधिकारी के कार्यालय के अहाते के बाहर एक झंडा पाया गया जिस पर "नागा स्वतन्त्रता दिवस" लिखा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वह मामले की छानबीन कर रही है। १५ अगस्त, १९५९ की प्रात : तमेंगलांग हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को पता लगा कि उनके कार्यालय में रखा राष्ट्रीय झंडा फाड़ दिया गया है। स्कूल के एक छात्र ने स्वीकार किया कि उसने और एक दूसरे ने झंडा फाड़ा। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*१२३७. **श्री बसुमतारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से बिना पास पोर्ट वाले लोगों का आसाम राज्य में अवैध प्रवेश हाल के कुछ महीनों में बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन लोगों के निवास की अवधि पूरी हो गयी है और जो लोग बिना पासपोर्ट प्रवेश कर आये थे उन्हें वापस भेजने के लिये और पूर्वी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट आसाम में लोगों का अवैध प्रवेश रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जीवन बीमा निगम

*१२३८. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री से० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने मकान बनाने के लिये ऋण देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारी

†*१२३९. **श्री हेम बरूआ :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ अगस्त, १९५९ के 'स्टेट्समैन' में छपी खबर के अनुसार यह सच है कि काफ़ी बड़े अनुपात में भारत के वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारी अब भी देश के बाहर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अधिकृतनिकाय अथवा सरकारी विभाग ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सही-सही स्थिति क्या है ; और

(घ) उनमें से कितने सरकारी वृत्ति पा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) इस वर्ष के जून महीने तक जिन विदेशों के २८०० भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नालाजिस्टों के नाम नेशनल रजिस्टर में लिखे गये थे उनमें से १९५० अब भी विदेशों में थे । इनमें से ९४५ तो विद्यार्थी थे और १००५ व्यक्ति पूरे समय काम करने वाले थे । बाद वाली श्रेणी में बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में नौकरी कर ली है ।

(ख) अगस्त, १९५७ से विदेशों के भारतीय वैज्ञानिकों और प्रविधिक कर्मचारियों के नाम नेशनल रजिस्टर के एक विशेष खण्ड में दर्ज करने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है

(घ) ५७२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन व्यय में वृद्धि

†१२४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पहाड़िया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **विधि** मंत्री ३० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन व्यय में वृद्धि को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रश्न अब किस अवस्था में है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग) . कुछ राजनीतिक दलों से अन्तिम रूप से उत्तर न मिलने के कारण निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यय में कमी के लिये प्रस्ताव नहीं तैयार कर पाया है । राजनीतिक दलों के सुझावों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

रूमानिया से छिद्रण के लिये बर्मे

†१२४१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल छिद्रण के लिये बर्मे और सम्बन्धित कल-पुर्जे रूमानिया सरकार से अपेक्षित समय के भीतर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सामान के मिलने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये इन मशीनों में कुछ सुधार करना पड़ा था । उसी की वजह से यह देर हुई है ।

ज्वालामुखी में तेल के लिये छिप्रण

†१२४३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री सरजू पांडे :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण-कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितनी गहराई तक छिद्रण किया गया है ;

(ग) क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या उस क्षेत्र में पायी गयी प्राकृतिक गैस का और कुछ मूल्यांकन किया गया है ;

(ङ) प्राकृतिक गैस और तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये उस क्षेत्र में और भी कूपों का छिद्रण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(च) प्राकृतिक गैस का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों में करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(छ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). ज्वालामुखी परीक्षण कूप नं० १ को ३०६७.४ मीटर तक छिद्रण के बाद परीक्षण के लिये तैयार किया जा रहा है। संरचनात्मक छिद्र[1], २, ३ और ४ को क्रमशः ८५८, १००७ और १०४८ मीटर तक छिद्रण के बाद तैयार कर लिया गया है। संरचनात्मक छिद्र नं० ५ को २०-८-१९५९ को ३०१ मीटर तक छिद्रण कर लिया गया है।

(ग) संरचनात्मक छिद्र नं० २–४ का परीक्षण किया गया था और उनमें कुछ भी हाइड्रो-कार्बन/तेल और/या गैस नहीं मिली।

(घ) अभी नहीं।

(ङ) गहरे कूपों के लिये दो स्थान चुनलिये गये हैं। गहरे कूप नं० १ का परीक्षण पूरा हो जाने पर इनमें से एक स्थान पर छिद्रण का कार्य आरम्भ किया जायगा।

(च) क्योंकि पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस होने की बात अभी सिद्ध नहीं हुई है इसलिये अभी से प्राकृतिक गैस के उपयोग के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बच्चों के लिये अवकाश–निकेतन[1]

†*१२४३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिये अवकाश-गृह बनाने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Structural holes.

[2] Holiday Homes.

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भूतपूर्व नरेशों से पर्वतीय स्थानों में स्थित अपने कुछ भवन इस प्रयोजन के लिये दे देने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल कम्पनियों के स्थिति-विवरण[1]

†*१२४४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये पेट्रोलियम वितरकों का कम्पनियों और तेल-शोधक कम्पनियों के स्थिति विवरण और हानि-लाभ के लेखे मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ और १९५८–५९ में प्रत्येक कम्पनी को कितना लाभ हुआ है और उनमें से प्रत्येक ने कितना लाभांश घोषित किया है ; और

(ग) १९५७–५८ और १९५८ में प्रत्येक कम्पनी ने कुल कितना-कितना रुपया देश से बाहर भेजा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अब तक की स्थिति का एक विवरण नं० १ सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३**] ये कम्पनियां अपना हिसाब-किताब पत्री-वर्ष के आधार पर रखती हैं और कानूनन इन्हें सम्बन्धित वर्ष के अन्त के ९ महीने के भीतर ये कागजात भेजने पड़ते हैं । इसलिये जिन कम्पनियों ने १९५८ के सम्बन्ध में ये कागजात अभी तक नहीं भेजे हैं उनके पास उन्हें भेजने के लिये अभी तक सितम्बर के अन्त तक का वक्त बाकी है ।

(ख) और (ग). भाग (ख) और (ग) के विषय में उपलब्ध जानकारी के विवरण नं० २ और ३ सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३**]

वायुसेना के प्रशिक्षणार्थियों के लिये जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

†*१२४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम वायु सेना के प्रशिक्षणार्थियों और अफसरों के बीमे के लिये अधिक दर पर प्रीमियम लेता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Balance Sheet

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४**]

डोलोमाइट की ईंटों का कारखाना

†*१२४६: **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला में डोलोमाइट से ईंटें तैयार करने के लिये एक नये कारखाने की स्थापना की गयी है; और

(ख) क्या यह राउरकेला के इस्पात कारखाने का ही एक भाग होगा या पृथक् रूप से स्थापित किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां।

(ख) यह राउरकेला के इस्पात कारखाने का ही एक अंग होगा।

लंढौर छावनी में मकान

*१२४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंढौर छावनी में खाली पड़े मकानों को प्रयोग में लाने के लिये एक योजना तयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक उन मकानों के प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी हां, प्रगतिशीलता से।

(ख) प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (डिफेंस रिसर्च लेबारेटरी) और उसके सेविवर्ग की रिहायश के लिये, उनका उपयोग कर के।

(ग) अनुमान है कि १९६० के अन्त तक सभी इमारतों को, प्रगतिशीलता से, अधिकार में ले लिया जायेगा।

पंजाब और दिल्ली की पुलिस पदाली का पृथक्करण

†*१२४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा दिल्ली की पुलिस पदाली के प्रथक्करण में कुछ कठिनाई है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब के कितने पुलिस अफसरों ने दिल्ली पुलिस पदाली में आने की इच्छा प्रगट की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं।

(ख) संयुक्त दिल्ली पंजाब पदाली में दिल्ली से जो असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टर और सब इन्सपेक्टर भर्ती किये गये थे उन्हें दिल्ली में ही रोक लिया जायगा। संयुक्त पदाली के ४८ इंस्पेक्टरों ने पदाली के पृथक्करण पर दिल्ली पुलिस में आने की इच्छा प्रगट की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखानों पर व्यय

†*१२४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीनों इस्पात कारखानों से सम्बन्धित व्यय की सभी मदों के प्राक्कलन दिखाने वाला कोई व्यापक विवरण तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तीनों इस्पात परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यय की मदों के प्राक्कलनों की समीक्षा कर रही है ।

(ख) फिलहाल यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जेट इंजन सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र

†१२५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १० मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के सहयोग से जेट इंजन विकसित करने के लिए एक अनुसन्धान-केन्द्र खोलने की योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** ३ मई, १९५९ को कानपुर में, गैस टरबाइन अनुसन्धान केन्द्र औपचारिक रूप से खुल गया है । शिक्षा-मूलक परियोजना के रूप में एक गैस टरबाइन इंजन का डिज़ायन तैयार करने का काम आरम्भ किया गया है । अनुसन्धान के अन्य विषयों में 'जेट-टेक-ऑफ़' और 'पल्स जेट इंजनों' के डिज़ायन शामिल हैं । कर्मचारियों की भर्ती चल रही है ।

कोयले के निर्यात में कमी

†*१२५१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले के निर्यात में कमी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) अप्रैल से जुलाई, १९५९ के चार महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले के निर्यात में लगभग १६,००० टन की थोड़ी सी कमी हो गयी है ।

(ख) यह पाकिस्तान को भेजे जाने वाले परिमाण में कमी हो जाने के कारण हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय रेत भरण योजनायें

†*१२५२. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया और रानीगंज की केन्द्रीय रेत भरण योजनाओं के लिए कोयला बोर्ड ने कोई योजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनका अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) उनके कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) अनिवार्य प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में सरकार ने १.५० लाख से अनाधिक लागत पर आवश्यक सर्वेक्षण और ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी के लिये, जिन में आवश्यक संयंत्रों और मशीनों के टेंडर सम्बन्धी विशिष्ट विवरण भी शामिल हैं; अपनी मंजूरी दे दी है। यह काम कोयला बोर्ड प्रतियोगिता-मूलक टेंडरों के परिणामों के आधार पर चुनी गयी फर्म के सुपुर्द करेगा। स्वय योजनाओं का अनुमोदन करने का प्रश्न ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आरम्भ किया जायगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गैरसरकारी व्यवसाय में सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारी

†*२३२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्ति के बाद गैर सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी जानकारी एकत्र हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख) जी हां। आवश्यक जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

दिल्ली की सेन्ट्रल जेल में बन्दी

†२३२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५९ को दिल्ली सेन्ट्रल जेल में कितने सिद्ध-दोष और अन्वीक्षाधीन बन्दी थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : ३१ जुलाई, १९५९ को दिल्ली की सेन्ट्रल जेल में सिद्ध-दोष और अन्वीक्षाधीन बन्दियों की संख्या क्रमशः ११७० और ५९२ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sand stowing schemes.

विदेशों के सम्बन्ध में भुगतान-शेष की स्थिति

†२३२८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और जापान के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् भारत की वर्तमान भुगतान-शेष स्थिति क्या है; और

(ख) यदि यह प्रतिकूल हो तो उसका सामना करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ की अवधि में अमरीका, ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और जापान के सम्बन्ध में भारत के भुगतान-शेष के चालू खाते में क्रमश: ६० करोड़ रुपये, ५६·३१ करोड़ रुपयों, ७.६८ करोड़ रुपयों, ४७.७४ करोड़ रुपयों, ०.८० करोड़ रुपयों और ०·५९ करोड़ रुपयों का घाटा रहा। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]** जिसमें यह दिखाया गया है कि १९५७-५८ में इसी अवधि की तुलना में अब स्थिति कैसी है।

(ख) यह घाटे इस बात के द्योतक हैं कि भारत की आयात सम्बन्धी आवश्यकतायें निर्यात से होने वाली उसकी आय से अधिक हैं। इस स्थिति का सामना (क) कड़ी आयात नीति जारी रख कर (ख) निरन्तर निर्यात संवर्द्धन के प्रयास और (ग) अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्ति के द्वारा करना होगा। सरकार की विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी नीति की यही मुख्य बातें हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में प्रविधिक शिक्षा

†२३२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिए १९५८-५९ में जम्मू तथा कश्मीर सरकार को कितनी राशि सहायता-अनुदान के रूप में दी गयी है; और

(ख) उसका उपयोग किन शीर्षों के लिए किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १·५० लाख रुपये।

(ख) यह अनुदान गवर्नमेंट पालिटेक्नीक, श्रीनगर की स्थापना के सम्बन्ध में दिया गया है। वास्तव में कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया है इस बात की सूचना राज्य सरकार से मिलने की राह देखी जा रही है।

बच्चों का अपहरण

†२३३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में (३० जून, १९५९ तक) दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण हुआ है;

(ख) कितने बच्चे ढूंढ़ निकाले गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस अपराध के लिये जितने व्यक्ति दण्डित किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ६५ ।

(ख) ५५ ।

(ग) तीन व्यक्ति दण्डित किये गये हैं, ३३ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, और २४ मामलों की जांच पड़ताल चल रही है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का पंजाब का दौरा

†२३३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५९ में अब तक कितनी बार पंजाब का दौरा किया है; और

(ख) वह राज्य के किन-किन स्थानों पर गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तीन बार ।

(ख) पठानकोट, दीनानगर, शिमला और नीलोखेरी ।

डलहौजी और बकलोह छावनी बोर्ड

†२३३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए डलहौजी और बकलोह छावनी बोर्डों को केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में कुल कितनी राशियां सहायता अनुदान के रूप में दी हैं; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १,०५,१००.० रुपये ।

(ख)

योजना	बकलोह रुपये	डलहौज़ी रुपये
सड़क पर बिजली लगाना . .	८,५००	५,०००
गलियों को पक्का बनाना और सड़कों की मरम्मत	६,१००	६,१००
हरिजन-क्वार्टर्स . .	२३,४००	४१,०००
कैन्ट डिस्पेंसरी के इंचार्ज डा० के लिये क्वार्टर	—	१५,०००
	३८,०००	६७,१००

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में शिक्षा परियोजनायें

†२३३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल सामान्य शिक्षा विषयक योजनाओं के लिये १९५९–६० में केन्द्र ने पंजाब राज्य को कितनी राशि के अनुदान दिये थे : और

(ख) १९५८–५९ के ऐसे अनुदानों की राशि कितनी थी जो सामान्य शिक्षा-विषयक योजनाओं के लिये मंजूर किये गये लेकिन जिनका उपयोग नहीं हो सका ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (ग) १,४३,७८,७०० रुपये ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बम्बई की शिक्षा संस्थायें

†२३३४. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में बम्बई राज्य की शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी राशि का वित्तीय अनुदान किया गया था ; और

(ख) ये राशियां किन प्रयोजनों के लिये दी गयीं थीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ९४,६६,१०८ २३ रुपये :

(ख) जिन प्रयोजनों के लिये यह अनुदान दिये गये हैं वह हैं :—ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर संस्कृत का शब्द-कोष तैयार करने के लिये ; हिन्दी भाषा के मार्फो-फॉनेटिक विश्लेषण का कार्य चलाने के लिये ; माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान की योजना के लिये; अहमदाबाद के लड़कियों के प्रकाश हाई स्कूल के गृह-विज्ञान विभाग के लिये उपकरण खरीदने के लिये ; पूना की हिंगणे स्त्री शिक्षा संस्था की शिक्षा-संबंधी योजनाओं के विकास के लिये; बम्बई की गुजरात रिसर्च सोसायटी द्वारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्था के भवन-निर्माण के लिये; सूरत की जीवन-भारती के शिक्षा और व्यावसायिक मार्ग दर्शन केन्द्र के जारी रखने के लियें ; श्रम और समाज सेवा शिविर चलाने और कैम्पस निर्माण योजनाओं को पूरा करने के लिये ; योग विषयक वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्द्धन के लिये विद्यार्थियों के पर्यटन के लिये ; अन्त कालिज युवक समारोह करने के लिये; अमरावती के जनता कालेज का आवर्त्तक व्यय पूरा करने के लिये बम्बई में वरसोवा के मानसिक रूप से अपंग बच्चों के हैवन रेजिडेंशल स्कूल के उपकरण खरीदने के लिये ; ग्राम्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के विकास के लिये ; विज्ञान, मानव-विज्ञान, इंजीनियरी, उद्योग-विद्या आदि के संबंध में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विषयक योजनाओं के विकास के लिये; भवनों और छात्रवासों के निर्माण के लिये; स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये, बम्बई राज्य के विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार के लिये; कुछ सोसायटियों द्वारा बेसिक और नर्सरी स्कूलों के निर्माण और उनके उपकरणों के लिये ; बालवाडी के प्राइमरी टीचरों के बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज और क्रीशे को आवर्त्तक अनुदान देने के लिये; स्टाफ-क्वार्टरों के निर्माण के लिये और मौजूदा सेकेण्डरी स्कूल को पोस्ट-बेसिक स्कूल में परिवर्त्तित करने के लिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय के अधीन आयोग व समितियां

†२३३५. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री १७ फरवरी १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से जून १९५९ तक किस-किस आयोग और समिति ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य किया ; और

(ख) प्रत्येक समिति ने क्या कार्य किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री माली)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को अनुदान

†२३३६. **श्री पांगरकर**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद को कुल कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय द्वारा इन अनुदानों के उपयोग में कोई अनियमितता हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५७–५८	३,८१,६२८ रु० ९६ नये पैसे
१९५८–५९ . .	९,९५,०६३ रु० २५ नये पैसे

(ख) इन अनुदानों के अनियमित उपयोग की कोई बात सरकार को विदित नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

बम्बई राज्य में लोक सहायक सेना का शिविर

†२३३७. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) लोक-सहायक सेवा अधिनियम, १९५६ की धारा ४ के अनुसार बम्बई राज्य में **१ जनवरी,** १९५८ के से अब तक कितने शिविर लगे हैं और उनका आयोजन कहां कहां किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क). तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

सिकन्दराबाद में वायु सेना का स्टोरेज यूनिट

†२३३८. **श्री पांगरकर**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद में वायु सेना के स्टोरेज-यूनिट के विकास के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विकास की मदें क्या हैं और इस योजना की प्राक्कलित लागत कितनी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह कब आरम्भ की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न. उत्पन्न नहीं होते ।

आयुध कारखानों में निष्कार्य काल भुगतान[1]

†२३३९. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में विभिन्न आयुध कारखानों में कुल कितना निश्कार्य काल भुगतान किया गया ; और

(ख) प्रत्येक कारखाने में मजदूरों को कितना भुगतान किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५८–५९ में विभिन्न आयुध कारखानों में कुल ९,०६,४९५ रु० का निष्कार्य काल भुगतान किया गया ।

(ख) भिन्न भिन्न कारखानों के बारे कुछ भी बताना लोकहित में नहीं है ।

परिवहन सहकारी समिति त्रिपुरा

†२३४०. **श्री दशरथ देब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन सहकारी समिति, त्रिपुरा को कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) ऋण प्राप्ति के लिए समिति ने क्या क्या सम्पत्तियां गिरवीं रखी हैं ; और

(ग) क्या समिति की आस्तियों की दृष्टि से ऐसा ऋण उचित है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). जहां तक पुनर्वास वित्त प्रशासन का संबंध है, 'मैसर्स कापरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लि०' को १ लाख रु० का ऋण मंजूर किया गया । अब तक इस में से ८१,९६५ रु० समिति को तीन गाड़ियां क्रय करने के लिए दे दिये गये हैं। अन्य ७ गाड़ियों सहित ये गाड़ियां जिनका कुल मूल्य १,३१,७०८ रु० आंका गया है, प्रशासन के पास उपप्राधीमित हैं।

(ग) हां, श्रीमान् ।

त्रिपुरा के सदर सब-डिवीज़न

†२३४१. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सदर सब डिवीज़न में शेकरकू बाज़ार में तीन बार आग लगी ;

(ख) अभी इन अग्निकाण्डों में एक बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों की दुकानें तथा झोंपड़ियां नष्ट हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन आगों से प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासन ने क्या सहायता या ऋण दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Idle Time Payments.

†**गृह-कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिपुरा के सदर सब-डिविजन के सेकरकोट बाज़ार (शेकरकू बाज़ार नहीं) में विलयोपरान्त दो बार, अर्थात् १० नवम्बर, १९५८ और २३ मार्च, १९५९ को आग लगी ।

(ख) विस्थापित लोगों की कुछ दुकानो व झोंपड़ियों को कुछ क्षति पहुंची ।

(ग) आपात कार्यवाही के रूप में सर्वाधिक आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को खाद्य देने पर ११३.५० रु० व्यय किये गये । आठ उन विस्थापित परिवारों को निःशुल्क सहायता के रूप में ४०० रु० वितरित किये गये जो अग्निकाण्ड के परिणामस्वरूप निराश्रित हो गये थे ।

एकीकृत निवेली लिग्नाइट परियोजना

†२३४२. **श्री मुरारका** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई १९५९ तक एकीकृत निवेली लिग्नाइट परियोजना में कितने लाख घन गज़ अधिक लदान हटा दिया गया है ; और

(ख) कुल लगभग २७० लाख घन गज़ अधिक लदान कब तक हटाये जाने की आशा है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: : (क) ८६.४५ घन गज़ अधिक लदान १ जुलाई १९५९ तक हटा दिया गया है ।

(ख) कुल २७० लाख घन गज़ अधिक लदान को हटाये जाने की ३१ मार्च, १९६१ तक आशा है ।

सोने का तस्कर व्यापार

†२३४३. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने २९ जुलाई, १९५९ को चार दक्षिण-अफ्रीकी भारतीयों से, जो मम्बासा से आये थे, बन्दरगाह में २,५०,००० रु० का सोना पकड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो उन चोरी-छिपे माल लाने व ले जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान्। २९ जुलाई १९५९ को बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने चार यात्रियों का चार साइकिलों के फ्रेमों से २,४८,२७५ रु० के मूल्य का सोना पकड़ा था। ये यात्री एस० एस० "करंजा" द्वारा अफ्रीका से बम्बई आये थे। इन में से तीन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रजन हैं। और चौथा व्यक्ति पूर्वी अफ्रीका का है एवं ब्रिटिश राष्ट्रजन है।

(ख) चारों यात्रियों को बन्दी बनाया गया। एक ज़मानत पर छोड़ दिया गया है। उन पर अभियोग चलाने के लिये न्यायालय में शिकायत कर दी गई है। विभाग भी इस मामले पर अलग से न्यायनिर्णय करेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५७-५८ का प्रतिवेदन

†२३४४. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसुचित जातियों और अनुसुचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५७-५८ का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को विदित है कि राज्यों ने उस की सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों में की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सिफारिशों पर राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) हां, परन्तु सभी राज्य सरकारों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी

२३४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्याशालय की विद्या परिषद् तथा अन्य प्राधिकारों ने शिक्षा व परीक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने हिन्दी को शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के निश्चित प्रोग्राम को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया है।

चलचित्र वित्त निगम

†२३४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री ८ मई १९५९ के तारांकित प्रश्न २३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र वित्त निगम की स्थापना में और क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आशा है कि चलचित्र वित्त निगम शीघ्र ही समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन सरकारी समवाय के रूप में स्थापित होगा। इस की प्राधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० होगी जिस में से हो सकता है कि आरम्भ में २० लाख रु० निर्गमित पूंजी हो, जिस का पूर्ण भुगतान केन्द्रीय सरकार करेगी। ज्ञापन-पत्र और अन्तर्नियम बनाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाठानकोट का हवाई अड्डा

†२३४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट के हवाई अड्डे की विकास की योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में स्कूल अध्यापकों के वेतन-क्रम

†२३४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थानीय निकायों के स्कूलों और प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम के पुनरीक्षण की योजना सम्मिलित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कुल कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५७-५८ में १६.७५५ लाख रु० दिये गये थे । १९५८-५९ के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अब अनुमान इकट्ठी योजनाओं के लिये मंजूर होते हैं ।

लन्दन के वेस्टमिन्स्टर बैंक में हैदराबाद का धन

†२३४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मार्च १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब से पहिले की हैदराबाद रियासत की १० लाख पौंड की राशि की प्राप्ति के लिये, जो लन्दन के वेस्टमिन्स्टर बैंक में है, और कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयत्न में कितनी सफलता मिली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्त्री शिक्षा

†२३५०. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री झूलन सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य समीक्षा स्त्री शिक्षा के विस्तार की योजना कहां तक लागू कर सके हैं और १९५८-५९ में इस के लिये मंजूर की गई राशि में से कितनी राशि का प्रयोग कर सके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारत के राज्य बैंक की शाखायें

†२३५१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें पहिले अलाभकारी थीं परन्तु अब यह स्थिति नहीं रही ;

(ख) अब भी कितनी शाखायें अलाभकारी हैं ;

(ग) जब से बैंक ने भारत का राज्य बैंक के रूप में कार्यारम्भ किया है तब से शाखायें खोलने में राज्य बैंक को कुल कितना व्यय करना पड़ा है ; और

(घ) भारत के राज्य बैंक में बनी विलय तथा विकास निधि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख) ३० जून १९५५ को जबकि भारत के राज्य बैंक का उद्घाटन हुआ, ९६ शाखायें अलाभकारी थी । बाद में, पाकिस्तान में ऐसी दो शाखायें बन्द कर दी गईं, ३२ शाखायें लाभकारी हो गई और ६२ लाखायें ३१ दिसम्बर १९५८ को भी अलाभकारी थीं ।

(ग) जब से बैंक ने भारत का राज्य बैंक के रूप में कार्यारम्भ किया है, तब से दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ८५.९१ लाख रु० की शुद्ध हानि हुई ?

(घ) विलय तथा विकास निधि में ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले काल जमा खर्च क्रमानुसार १७३.२५ लाख रु० ३५.३५ लाख रु० हुआ ।

जम्मू तथा काश्मीर में तेल संसाधन

†२३५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर में तेल संसाधनों की खोज करने के लिये तेल विशेषज्ञ भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो वे जम्मू तथा काश्मीर राज्य के किन-किन स्थानों में गये; और

(ग) उनकी खोजें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वे लोग निम्न स्थानों पर गये ;

१. कंठूआ में मानसर-रामकोट क्षेत्र, जम्मू तथा काश्मीर जिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. मुरादपुर, राजौरी तहसील, पूंच जिला ।

३. राम नगर तहसील में महरता, रामचन्द पोक और कलंगली, जिला ऊधमपुर ।

४. ऊधम जिला में अनेक गांव, अर्थात् गौरी, नरोर और पकलाई ।

५. नौशेरा, जिला पूंच ।

६. काश्मीर घाटी में अनन्त नाग ।

(ग) कुछ हल्की गैसें रिकार्ड की गईं । मानसर-सुकीनसर-रायकोट (मस्तगढ़) भंज चाप (एण्टी क्लाइन) से विदित होता है कि यह बनावट काफी गहरी है ।

पंजाब में ग्रामीण संस्था

†२३५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में एक ग्रामीण संस्था आरम्भ करने में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** कस्तूरबा ग्रामीण संस्था राजपुरा (पंजाब) में अगस्त, १९५९ से ग्रामीण सेवाओं का डिप्लोमा-कोर्स आरम्भ कर दिया है और उसे आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के लिये १,०८,४२२ रु० का अनुदान दिया गया है ।

भ्रष्टाचार के मामले

†२३५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में सतर्कता कर्मचारियों ने गृह-कार्य मंत्रालय तथा नई दिल्ली और दिल्ली में स्थित इसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के कितने भ्रष्टाचार के मामले पकड़े; और

(ख) उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) आठ ।

(ख) प्रत्येक मामले में उपयुक्त विभागीय कार्यवाही की गई थी ।

दिल्ली में नकली साधू

†२३५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि राजधानी में नकली साधुओं की संख्या बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

†२३५६. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस छः व्यक्ति की समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है जो हिन्दी को दिल्ली प्रशासन की भाषा के रूप में धीरे-धीरे अपनाने के लिये एक समय अनुसूची बनाने के लिये नियुक्त की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: समिति का प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

भारत में विदेशी औद्योगिक उपक्रम

†२३५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेज १९४८ से भारत में अपने औद्योगिक उपक्रम बेच रहे हैं और विक्रय-प्राप्ति ब्रिटेन भेज रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९४८ के बाद कितने औद्योगिक उपक्रम बेचे गये हैं ; और

(ग) १९४८ के बाद कुल कितना धन भेंजा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). १९४८ से ३१ मार्च, १९५९ तक ९४ उपक्रम बेचे गये हैं और १७·७३ करोड़ रु० भेजे गये हैं।

प्राथमिक शिक्षा

†२३५८. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री २ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को एकरूप करने के बारे में खेर समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति में और क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सारी राज्य सरकारों के उत्तर आ गये हैं। अन्तिम स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

किराया नियंत्रण अधिनियम

†२३५९. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम, १९५८ के अधिनियमन से पहिले किराया नियन्त्रण अधिनियम के अधीन कितने अभियोग दिल्ली के न्यायायों में अनिश्चित पड़े थे;

(ख) वे अभियोग कैसे हैं;

(ग) नये अधिनियम के लागू होने के उपरान्त कितने और अभियोग चले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) संशोधन अधिनियम के कारण दुबारा चलाये जाने वाले पुराने अभियोगों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३,४९९ ।

(ख) निष्कासन अभियोग ३,१२३

निश्चित किराया निर्धारण २९७

बिजली, पानी आदि का रोकना या काटना . . . ७९

(ग) १–८–५९ तक २,६९४ ।

(घ) ऐसे अभियोगों का कोई पृथक् रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

पंजाब में ग्राम ऋण सुविधायें

†२३६०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में पंजाब में भारत के राज्य बैंक द्वारा ग्राम ऋण की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत के राज्य बैंक का विचार पंजाब में अपने विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ९ और शाखायें खोलने का है । नई दिल्ली में बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय में विपणन तथा विधायन सहकारी समितियों[1] को अग्रिम राशि देने की योजना कार्यान्वित करने के लिये पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोगकर्ताओं के परामर्श से एक सर्किल समायोजन समिति सहित की गई है ।

तेल की खोज में प्रशिक्षण

†२३६१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल की खोज में प्रशिक्षण देने के लिये इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और टैक्नीशियनों के चुनाव का क्या तरीका है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : तेल की खोज के सिद्धान्त और प्रयोग में प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था भूतत्ववेत्ताओं, भूभौतिकवेत्ताओं और मुख्यालयों के टैक्नीशियनों, प्रयोगशालाओं, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के छिद्रण स्थलों और वर्कशापों के लिये भारतीय एवं विदेशी विशेषज्ञों के अधीन की गई है । विदेशों में प्रक्षिण का चुनाव सामान्यत: वरिष्ठता, अनुभव तथा विभिन्न शाखाओं में विशेष रुचि के आधार पर किया जाता है । जिनके लिये सहायता योजनाओं के अधीन छात्रवृत्ति अथवा प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध होती हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश

†२३६२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अवैध प्रवेश के लिये १ मई, १९५९ से कुल कितने पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Marketing and Processing Cooperative Society.

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : आसाम और पश्चिमी बंगाल के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। १ मई से ३१ जुलाई, १९५९ के दौरान में अन्य राज्यों में पकड़े गये लोगों की संख्या ६९२ है।

तिब्बत सीमा पर विदेशी इसाई धर्मप्रचारक

२३६३. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत सीमा क्षेत्रों में काम करने वाले इसाई धर्मप्रचारकों के बारे में पूरी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के संरक्षित क्षेत्र में घरचुला नामक स्थान पर धर्म प्रचारकों का केवल एक केन्द्र है और वहां तीन अमरीकी धर्म प्रचारक काम कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज ग्रहण

†**२३६४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन ३२६ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हें केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, १९५५ में निर्धारित राशि से अधिक राशि दहेज अथवा उपहारस्वरूप मिली थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सरकारी कर्मचारियों को दहेज ग्रहण करने से मना नहीं किया गया है, अतः प्रश्न में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

संयोगवश उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या ३२६ न होकर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, २२६ है, जिन्होंने बताया जाता है कि १९५७-५८ में दहेज स्वीकार किया था।

भारत-पुर्तगाली अभिकृत क्षेत्र सीमा पर तस्कर व्यापार

†**२३६५. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों में भारत के पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र की सीमा पर तस्कर व्यापार के अपराध में कितने व्यक्ति पकड़े गये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत के पुर्तगाली अधिकृत सीमा क्षेत्र पर (गोआ, दमन और ड्यू) में अप्रैल से जुलाई, १९५९ इन चार महीनों में तस्कर व्यापार के अपराध में ७९४ व्यक्ति पकड़े गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

निजी थैलियां

२३६६. श्री अमर सिंह डामर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों और नवाबों को निजी थैलियों के रूप में प्रति वर्ष कितनी धन-राशि देती है;

(ख) क्या किसी नरेश या नवाब की निजी थैली बन्द कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) १९५९-६० के बजट में ५,३६,७८,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्षों के आंकड़े उन वर्षों की 'अनुदानों की मांगों' में दिये हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ छावनी

†२३६७. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के निकट एक छावनी बनाने की योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) छावनी कहां पर होगी और उसके लिए कितना क्षेत्र प्राप्त अथवा आवंटित कर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). इस प्रकार की सैनिक संस्थापन सम्बन्धी योजना के बारे में यदि कुछ जानकारी मालूम हो तो उसे बताना सदैव लोक हित में नहीं होता है।

मनीपुर में आदिवासी छात्र

†२३६८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के आदिवासी छात्र इम्फाल की आदिमजाति टेक्निकल संस्था द्वारा जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उनसे पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संस्था में इस वर्ष मनीपुर, नागा पहाड़ियां और लुशाई पहाड़ियों के कितने आदिमजाति के प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या संस्था में आदिमजाति के कुछ और छात्रों को भर्ती करने का प्रयत्न किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी हां।

मनीपुर में मिशनरी स्कूल

†२३६९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में वहां के प्रशासन के शिक्षा विभाग का मिशनरी स्कूलों के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं लागू किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) प्रशासन द्वारा इन स्कूलों को कोई मान्यता नहीं दी जाती। पाठ्यक्रम, शिक्षा के स्तर आदि पर नियंत्रण रखने का प्रश्न केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में ही उत्पन्न होता है।

फरीदाबाद विधवा आश्रम

२३७०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कितनी विधवायें फरीदाबाद विधवा आश्रम से चली गई हैं;

(ख) क्या इस प्रकार चली जाने वाली विधवाओं के बच्चे अब इतने बड़े हो गये हैं कि वे अपने रहन-सहन का खर्च निकाल सकें; और

(ग) क्या सरकार उन विधवाओं के बच्चों को कोई वृत्ति देती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) आश्रम में से १-१०-५३ से ३०-६-५९ तक ४९६ विधवायें या तो चली गईं या भेज दी गईं।

(ख) तमाम विधवाओं के बच्चों की उम्र के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। आश्रम के नियमों के मुताबिक १६ साल से कम (और खास मामलों में १८ साल से कम) के बच्चों को नहीं भेजा जाता है।

(ग) जी हां—नियमों के अन्तर्गत योग्य बच्चों को।

दिल्ली नगर निगम को अनुदान

†२३७१. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के बनने से लेकर अब तक उसे कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया और किस-किस कार्य के लिये, इसका पूरा ब्यौरा क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके साथ क्या शर्तें थीं;

(ग) क्या इन ऋणों और अनुदानों की सारी राशि खर्च कर दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को निगम के पास से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

भारत के सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

†२३७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५७ और १९५८ में भारत के सर्वेक्षण विभाग के कुल कितने पदाधिकारी विदेशों को प्रशिक्षण के लिये भेजे गये;

(ख) उनके प्रशिक्षण के विषय क्या-क्या हैं; और

(ग) विभाग में उनके प्रशिक्षण का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक ।

(ख) ज्वार-भाटा तथा उससे सम्बन्धित विषयों के बारे में पहले से घोषणा करना ।

(ग) पदाधिकारी भारत के सर्वेक्षण, देहरादून में ज्वार-भाटा दल का प्रभारी है ।

हिमाचल प्रदेश में वकील

†२३७३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न वर्गों के वकीलों जैसे अधिवक्ताओं, प्लीडरों (प्रथम और द्वितीय श्रेणी) की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या वे व्यक्ति जो विधि स्नातक नहीं हैं उन्हें भी वकीलों में दर्ज कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जो लोग विधि स्नातक नहीं हैं और उन्हें वकीलों में दर्ज कर लिया गया है तो उनकी अर्हताओं का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १८४ (११६ अधिवक्ता, प्रथम श्रेणी के ५२ और द्वितीय श्रेणी के १६ प्लीडर) हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के न्याय आयुक्त

†२३७४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों के मुख्यालयों के सर्किट में न्याय आयुक्त मुकदमों की सुनवाई करता है;

(ख) यदि हां, तो १९५४ से १९५८ तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में कितने सर्किट न्यायालय लगते हैं;

(ग) प्रत्येक सर्किट कितने समय तक रहता है;

(घ) प्रत्येक सर्किट के लिए कितने मुकदमे निश्चित किये जाते हैं; और

(ङ) सर्किट न्यायालयों में सरकारी वकीलों को भेजने पर सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां। सर्किट न्यायालय बिलासपुर, चम्बा, मंडी और सिरमूर—इन चार जिलों के मुख्यालयों में लगते हैं। महासू नामक पांचवें जिले का मुख्यालय कसुमती में होने के कारण, जो शिमला से बिल्कुल निकट है, वहां होने वाले मुकदमों की सुनवाई शिमला में ही की जाती है।

(ख) से (घ) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३२]**

(ङ) बिलासपुर, चम्बा और मंडी इन तीन जिलों के मुख्यालयों में सरकारी वकील पहले से ही होता है। महासू और सिरमूर जिलों के लिये एक सरकारी वकील की आवश्यकता होती है जिस का मुख्यालय शिमला है। वह महासू जिले के मुकदमों की पैरवी शिमला में करता है तथा उसे सिरमूर जिले में हुए मुकदमों की पैरवी करने के लिये नाहन का दौरा करना पड़ता है। अतः केवल इस सरकारी वकील के दौरे पर खर्च करना पड़ता है। १९५४ और १९५५ में किये गये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५६, १९५७ और १९५८ में सरकार को इस पर कुल ११२९ रुपये ४ नये पैसे खर्च करने पड़े थे।

राजस्थान के स्मारक

२३७५. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और इमारतों की देख-भाल और रख-रखाव के लिये भारत सरकार ने १९५८-५९ में कितनी धन-राशि मंजूर की; और

(ख) किन किन किलों, महलों और इमारतों पर वह धन-राशि खर्च की गई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) १,६९,५१७ रुपये।

(ख) १. झालावाड़ जिले में कोलवी की बुद्ध गुफायें

२. कांसवा के मन्दिर

३. भरतपुर जिले के बयाना में झंझरी

†मूल अंग्रेजी में

४. भरतपुर जिले के बयाना में ऊषा मन्दिर
५. भरतपुर जिले के बयाना में लोदी मीनार
६. भरतपुर जिले के बयाना में जहांगीरी दरवाजा
७. भरतपुर जिले के बयाना में ब्रलाबाद ईदगाह
८. भरतपुर जिले के बयाना में अकबर की छतरी
९. भरतपुर जिले के बयाना में सादुल्ला की सराय
१०. भरतपुर के डीग के शाही महल
११. भरतपुर जिले के कामा के चौरासी खम्भे
१२. हनुमानगढ़ का भटनेर का किला
१३. भानगढ़ के स्मारक (मानुमेंट्स)
१४. अम्बर के स्मारक
१५. अम्बर की जामा मस्जिद
१६. तोड़ा राय सिंह के स्मारक
१७. अबानेड़ी के स्मारक
१८. पुष्कर के बादशाही महल
१९. रणथम्भोर का किला
२०. छत्तारी की पुरानी सराय
२१. अजमेर का तारागढ़ दरवाजा
२२. अजमेर के पास की बावली
२३. अजमेर का अब्दुल्ला खां और उस की बेगम का मकबरा
२४. अजमेर का सोला थंबा
२५. अजमेर के अन्य स्मारक
२६. अजमेर की अनासागर बारादरी
२७. अजमेर का अधाई दीन का झौंपड़ा
२८. अजमेर की कोस मीनार
२९. नगदा का सास-बहू मन्दिर
३०. कुंभलगढ़ का बावन देवली मंदिर
३१. कुंभलगढ़ के किले के स्मारक
३२. अर्थुना का नीलकंठ महादेव का मन्दिर
३३. अर्थुना के और दूसरे स्मारक
३४. बाडोली का आशा माता का मन्दिर
३५. बाडोली का शिव और विष्णु मन्दिर
३६. बाडोली का बाहरी कुंड
३७. बाडोली का भीतरी कुंड

३८. बाड़ौली के और दूसरे मन्दिर

३९. बाडोली की पुलिया और आने-जाने का रास्ता

४०. मेंगाल का महानाल मन्दिर

४१. मेंगाल के और दूसरे मन्दिर

४२. बिजौलिया का अंदेश्वर मन्दिर

४३. बिजौलिया का महाकाल मन्दिर

४४. चित्तौड़गढ़ किले के स्मारक

४५. उदयपुर उपमण्डल के अन्य स्मारक

४६. सोमनाथ का देव सोमनाथ मन्दिर

४७. जैसलमेर का किला

४८. मण्डौर का किला

४९. मंडौर के किले का ब्रह्म मन्दिर ।

राजस्थान और पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

२३७६. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों की सूची बनाई है जो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाओं पर तस्कर व्यापार करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर कोई निगरानी रखी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां ।

ढलाई का कच्चा लोहा

†२३७७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ढलाई के कच्चे लोहे का उत्पादन उस की आवश्यकता से अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो उस के वास्तविक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) अतिरिक्त ढलाई के कच्चे लोहे के निर्यात के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) १९५९ के प्रथमार्द्ध में ढलाई के कच्चे लोहे का उत्पादन ३६८,००० टन था । द्वितीय अर्द्ध में इस का उत्पादन और अधिक होगा । वार्षिक मांग लगभग ७००,००० टन है ।

(ग) १३२,००० टन के निर्यात के लिये मंजूरी मिल गई है । ६०,००० टन और के लिये टेण्डर जारी कर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरठ छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन क्रम और महंगाई भत्ता

†२३७८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन क्रम और मंहगाई का भत्ता कितना है; और

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को जितना मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते का आधा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) जी नहीं ।

नव वर्ष दिवस

†२३७९. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अनुसार नव वर्ष दिवस कौन सा है;

(ख) क्या अंग्रेजी के नव वर्ष दिवस को अभी भी "नव वर्ष दिवस" की मान्यता प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा अभी किसी भी दिन विशेष को सरकारी तौर पर नव वर्ष दिवस नहीं निर्धारित किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश की राजधानी

२३८०. **श्री जांगड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी के निर्माण के लिये जुलाई, १९५९ तक ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितनी धन-राशि दी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मध्य प्रदेश सरकार को, अपनी राजधानी बनाने के लिये जुलाई, १९५९ तक १४० लाख रुपये ऋण दिये जा चुके हैं ।

स्क्रैप का निर्यात

†२३८१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से १९५१-५२ से ले कर १९५८-५९ तक प्रत्येक पत्तन से अलग-अलग कितने स्क्रैप का निर्यात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक पत्तन के स्त्रैप के निर्यात के आंकड़े ऐसे हैं जो उस पत्तन के आस-पास के आर्थिक दृष्टि से बनाये गये खण्ड मे मिला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) जी नहीं । निर्यात किये गये आंकड़ों में देश के आन्तरिक क्षेत्रों से पत्तनों में आया स्त्रैप भी शामिल है ।

बहरों और गूंगों को छात्रवृत्तियां

†२३८२. **श्री आसर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कलाओं और हस्तशिल्प में शिक्षा प्राप्त करने वाले बहरेऔर गूंगे छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १६ वर्ष से अधिक आयु के बहरे छात्रों को (१) सामान्य शिक्षा, प्रायमरी अथवा मिडिल के स्तर से ऊपर, (२) व्यावसायिक शिक्षा, और (३) टेक्निकल प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां देने की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत ललित कलाओं और हस्तशिल्प में भी शिक्षा के लिये भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । ये छात्रवृत्तियां सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अथवा टेक्निकल संस्थाओं में अध्ययन करने पर अधिकतम ७५ रुपये प्रति मास के हिसाब से दी जाती हैं ।

दिल्ली में प्रादेशिक न्यायालय[1]

†२३८३. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी में अदालतों में भीड़ कम करने की दृष्टि से क्या दिल्ली में प्रादेशिक न्यायालय स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रादेशिक न्यायालय खोले जायेंगे और कहां-कहां ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल के स्कूलों के हिन्दी अध्यापक

२३८४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के स्कूलों के हिन्दी अध्यापकों को वेतन देने के प्रश्न पर, जो विचाराधीन था, क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह प्रश्न अब भी विचाराधीन है क्योंकि फरवरी, १९५८ में पश्चिम बंगाल सरकार से जो सूचना मांगी गई थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Regional Courts.

केरल पाठ्यपुस्तक परिनिरीक्षा समिति

†२३८५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल की पाठ्य पुस्तक परिनिरीक्षा समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) जी हां ।

(ख) समिति की कई सिफारिशें मान ली गई हैं और अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल

†२३८६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश के गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को कितना सहायतानुदान दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** वर्ष १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश के गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूलों को सहायतानुदान के रूप में १८,००० रुपये दिये गये ।

दिल्ली में विदेशियों की मूर्त्तियां

२३८७. **श्री यादव:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच दिल्ली से विदेशियों की कितनी मूर्तियां हटाई गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): अभी राष्ट्रीय संग्रहालय, जिस में ये मूर्तियां ले जाई जा सकती हैं, बन कर तैयार नहीं हुआ है । इसलिये कोई मूर्तियां हटाई नहीं गई हैं ।

आयकर अपील कार्यालय का जलपाईगुरी ले जाया जाना

†२३८८. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कई व्यापार संस्थाओं ने यह अभ्यावेदन भेजा है कि आयकर अपील कार्यालय को उत्तरी बंगाल में कलकत्ता से जलपाईगुरी ले जाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के स्थान्तरण के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों में से एक के कार्यालय को कलकत्ता से जलपाईगुरी ले जाने के बारे में मुर्शिदाबाद की केवल एक व्यापार संस्था से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Scrutiny.

(ख) पश्चिम बंगाल के सभी अपीलीय सहायक आयुक्तों के मुख्य कार्यालय पहले कलकत्ता में थे। मुफस्सिल जिलें की अपीलें निबटाने में इस से व्यर्थ का विलम्ब होता था। उन जिलों के अपील करने वालों को भी काफी असुविधा होती थी क्योंकि उन्हें अपनी अपीलों की सुनवाई के लिये बड़ी दूर से आना होता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह निश्चय किया गया कि आयकर के दो अपीलीय सहायक आयुक्तों के मुख्य कार्यालय मुफस्सिल केन्द्रों में स्थापित किये जायें और उन का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल के मुफस्सिल जिलों तक रखा जाये। इन में से एक जलपाईगुरी में है और उस का क्षेत्राधिकार मुर्शिदाबाद जिले पर भी है। अपील करने वालों की असुविधा कम करने के लिये क्षेत्राधिकार के पुनर्समायोजन का प्रश्न विचाराधीन है।

अल्प बचत योजना

†२३८९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा, अम्बाला और अमृतसर जिलों में १९५९ में (१५ अगस्त, १९५९ तक) अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितना धन इकट्ठा हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** अगस्त, १९५९ के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। जनवरी से जुलाई १९५९ तक की अवधि में इकट्ठे हुए धन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

जिले का नाम	राशि लाख रुपये में
कांगड़ा	(+) ७.६२
अम्बाला	(+) १८.०४
अमृतसर	(—) ६.२५*

*जो धन जमा हुआ तथा जितने के प्रमाणपत्र बिके, उस से अधिक धन निकाला गया तथा प्रमाण-पत्रों को रुपये के रूप में बदला गया।

क्रूड आयल (अशोधित तेल) का उत्पादन

†२३९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में देश में कितने क्रूड आयल (अशोधित तेल) का उत्पादन हुआ और १९५९ में कितने उत्पादन का अनुमान है ;

(ख) उत्पादन कहां-कहां होता है ; और

(ग) उत्पादन का काम किन-किन को सौंपा गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) १९५८ में आसाम में लगभग ३.५ लाख टन क्रूड आयल (अशोधित तेल) पैदा हुआ और १९५९ में भी इतने ही उत्पादन का अनुमान है।

(ख) आसाम में दिग्बोई, नाहरकोटिया, हुगरीजन और मुरान क्षेत्र में।

(ग) आसाम आयल कम्पनी और आयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को।

---

†मूल अंग्रेजी में

फूलपुर छिगा के पास दुर्घटना

२३९१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त, १९५९ को असम में जोरहाट से लगभग २५ मील की दूरी पर फूलपुर छिगा नामक स्थान पर नौ-सेना के अफसरों को ले जाने वाली एक जीप किसी अन्य गाड़ी से टकरा गयी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दुर्घटना के कारणों और अन्य तथ्यों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) उस दुर्घटना में हताहत अफसरों व सैनिकों के परिवारों को पेन्शन व आर्थिक सहायता देने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) तथा (ख). १५ अगस्त, १९५९ को दिन के साढ़े चार बजे एक जीप जोर्हाट शिवसागर रोड पर, जोर्हाट से १८ मील की दूरी पर, एक असैनिक ट्रक से टकरा गई। जीप में एक नौ-सेना आफिसर, एक सेना आफ़िसर और एक असैनिक ड्राइवर था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप नौ-सेना आफिसर ले० कमाण्डर एच० आर० शूलै का प्राणान्त हो गया। सेना आफिसर कैप्टेन इन्दरबंस सिंह की हंसली की हड्डी टूट गई थी और वह मिलिटरी हस्पताल शीलांग में चिकित्सा अधीन हैं। असैनिक ड्राईवर को दायें हाथ पर चोटें आई थीं जिनका प्रथमोपचार एडवांस ड्रेसिंग सैक्शन जोर्हाट में किया गया था।

(ग) असैनिक ट्रक के ट्राइवर के विरुद्ध पोलीस की छानबीन हो जाने पर और असैनिक अधिकारियों द्वारा नियुक्त की गई कोर्ट आफ़ इंक्वायरी की कार्रवाई प्राप्त होने के पश्चात् उचित कार्रवाई की जायगी।

(घ) ले० कमाण्डर एच० आर० शूलै की विधवा को फोरी सहायता के लिये १००० रुपया दिया गया है, और नियमों के अधीन उसे मिल सकने वाली सुविधाएं देने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी मुकदमों के गवाहों को भत्ते की व्यवस्था

†२३९२. **श्री दशरथ देव:** क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सरकारी मुकदमों के गवाहों को कोई यात्रा और दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी मुकदमों के गवाहों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देने की व्यवस्था करने के लिये क्या अब कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) जी नहीं। सरकारी मुकदमों के गवाहों को यात्रा, वास्तविक व्यय और दैनिक भत्ता अथवा खुराक का खर्च दिया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अगरतला के स्वीकृत समाचार-पत्र

†२३९३. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री त्रिपुरा 'मानुष' साप्ताहिक के बारे में १३ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला के उन तीन अन्य समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने सरकारी विज्ञापन देने के लिये स्वीकार किया है ;

(ख) इन चारों समाचार-पत्रों की कितनी-कितनी प्रतियां बिकती हैं और सरकार ने १९५८-५९ में और १९५९-६० में अब तक विज्ञापनों पर प्रत्येक के लिये कितना-कितना धन दिया; और

(ग) अगरतला में प्रकाशित होने वाले कौन से 'साप्ताहिक' की त्रिपुरा में सबसे अधिक बिक्री है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**

(क) १. 'जागरण' (दैनिक)
२. 'सेवक' (साप्ताहिक)
३. 'समाचार' (साप्ताहिक)

(ख) विवरण संलग्न किया जाता है ।

समाचार पत्रों के नाम	कुल बिक्री संख्या	१९५८-५९ में दी गई धनराशि	१९५९-६० में दी गई धनराशि (जुलाई, १९५९ तक)
		रुपये नये पैसे	रुपये नये पैसे
१. जागरण (दैनिक)	१,४००	५,१७६-००	२,७२६-००
२. सेवक (साप्ताहिक) .	१,५४२	४,४२७-५०	१,६३२-००
३. समाचार (साप्ताहिक) .	१,८६५	४,५२२-००	१,५९०-००
४. मानुष (साप्ताहिक) . .	१,६२५	५,९०५-००	२,०८०-००

(ग) 'समाचार'

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन माइनिंग एंड कंसट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन माइनिंग एण्ड कन्सट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिए संख्या एल० टी०—१६००/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा सुविधायें) नियमों में संशोधन

†**गृह–कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा सुविधायें) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८३ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिए संख्या एल० टी०—१६०१/५९]

सभा के बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

(सोलहवां प्रतिवेदन)

†**श्री मूलचन्द दूबे (फर्रुखाबाद)**: मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

हुगली नदी में एक छोटे जहाज की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मुझे बड़े खेद के साथ सभा को बताना है कि कल हुगली नदी में कलकत्ते से लगभग ९ मील एक गम्भीर दुर्घटना हो गयी जिसमें बहुत से लोग मर गये। पोर्ट कमिश्नर का **ऐम्पायर ओपेरन** नामक एक खींचने वाला छोटा जहाज (टग) इंजीनियरिंग सामान से भरे एक लाइटर (भारवाहक नाव) को खींचता हुआ तकताघाट से हलदिया के लिये रवाना हुआ। ८ बजे सुबह के बाद जब यह जहाज अकरास्पर के पास मुड़ रहा, तो जहाज व लाइटर दोनों एक भंवर में फंस गये। परिणाम स्वरूप लाइटर एक ओर को टेढ़ा हो गया। लाइटर के साथ ही छोटा जहाज भी उसी ओर को टेढ़ा हो गया और चूंकि वह जहाज और लाइटर एक रस्सी से बंधे हुये थे अतः जब तक दोनों को अलग करने के लिये रस्सी को काटा जाये, तब तक जहाज व लाइटर दोनों उलट गये और डूब गये। उनमें कुल ४५ व्यक्ति थे, जिसमें ये ६ पदाधिकारी भी थे—पोर्ट कमिश्नर के डिप्टी चीफ इंजीनियर, श्री एच० सी० बोस, जहाज का कमाण्डर, श्री प्रेस्टन, जहाज का मुख्य पदाधिकारी श्री दास गुप्त, एक एक्जीक्युटिव इंजीनियर, श्री चटर्जी, जहाज के इंजीनियर इंचार्ज और एक सिविल असिस्टेंट इंजीनियर। इनमें से ४० व्यक्तियों ने अपने को बचा लिया और वे नदी तट तक आ गये। उपरोक्त प्रथम ४ पदाधिकारी तथा एक कर्मचारी का पता नहीं है। अभी भी श्री बोस की ही लाश मिल सकी है और अन्य लाशों को ढूंढ़ा जा रहा है।

चूंकि इन दोनों जहाजों के डूब जाने से नौवहन मार्ग अवरुद्ध हो गया अतः आने व जाने वाले जहाजों का उस दिन आवागमन बन्द रहा। आने वाले यातायात को आज फिर से आरम्भ किया जा रहा है पर जब तक इन डूबे हुये जहाजों को निकाल कर मार्ग साफ नहीं कर दिया जायेगा, तब तक गहरी तली वाले जहाजों का आवागमन बन्द रहेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री राजबहादुर]

पत्तन के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी डूबे हुये जहाजों को निकाल कर मार्ग साफ कर दिया जाये ताकि नौवहन मार्ग में यातायात पुनः चालू किया जा सके। यह जहाज १९४९ में पुरानी हालत में ३.९ लाख रुपये का खरीदा गया था। इस दुर्घटना में अनुमानतः ५.५ लाख रुपये की क्षति हुई है।

इस जहाज का टन भार ५०० टन था और लाइटर का १०० टन।

पत्तन के पदाधिकारी दुर्घटना की छानबीन के लिये तत्काल एक विभागीय जांच करवा रहे हैं और मृतकों के परिवारों को सहायता व क्षतिपूर्ति देने के लिये भी कार्यवाही करने जा रहे हैं।

दुर्घटना की पूरी जानकारी मंगाई गयी है और २–३ दिन में उपलब्ध हो जायेगी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : चूंकि एक सर्वेक्षण जहाज के साथ दुर्घटना हुई है और वहां आये दिन तरह-तरह के सर्वेक्षण होते रहते हैं, अतः दुर्घटनाओं की बड़ी आशंका है। क्या इस मामले में विभागीय जांच के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जांच भी कराई जायगी?

†**श्री राज बहादुर:** यह सर्वेक्षण जहाज नहीं था यह एक टग (माल ढोने वाली नावों को खींचने वाला छोटा जहाज) था। छोटे-छोटे जहाजों व नावों को खींचने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लाइटर बंधा हुआ था, जिसमें इंजीनियरिंग के उपकरण लदे हुये थे। यह हलदिया के लिये जा रहा था जहां हम एक नया लंगर पत्तन स्थापित करना चाहते हैं। पत्तन कमिश्नर ने एक जांच बैठा दी है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार भी कार्यवाही करेगी।

†**श्री अ० चं० गुह:** (बारसाट): जिन ५ पदाधिकारियों का पता नहीं है, उनकी लाशों को ढूंढने के लिये पत्तन अधिकारी क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

†**राज बहादुर:** कल से ही उनको ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है कि आज दोपहर को या दोपहर के बाद हम एक गोताखोर को इस काम में लगायेंगे क्योंकि हमें भय है कि उनकी लाशें उसी जहाज में फंसी पड़ी हुई हैं।

†**श्री तंगामणि :** क्या इस सम्बन्ध में आगे दूसरा वक्तव्य दिया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय:** जांच के बाद।

जीवन बीमा निगम जांच के संबंध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा ७ सितम्बर, १९५९ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव तथा तत्संबंधी दोनों संशोधनों पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात्,

> "कि यह सभा जीवन बीमा निगम जांच के बारे में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन, उस पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा भारत सरकार के दिनांक २७ मई, १९५८ के संकल्प पर विचार करती है।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था कि सरकार उन लोगों को किस प्रकार से बचाती है जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए होते हैं। जो उद्योगपति सरकार को चंदे के रूप में काफी धन दे देते हैं, वह उन्हें स्वीकार कर लेती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। श्री मूंदड़ा ने भी यही बात कही थी। श्री मूंदड़ा ने कहा था कि उसने कांग्रेस को थोड़ा धन दिया था इस कारण उसे फांस लिया गया है।

इस नाटक के नायक या खलनायक श्री पटेल थे और श्री वैद्यनाथन् इत्यादि खलनायक के इशारों पर नाचने वाले लोग थे। श्रीमान्, बोस समिति ने श्री कृष्णमाचारी के बारे में लिखा है कि इनके उत्तर स्पष्ट नहीं थे अत: हम अनुभव करते हैं कि हमें किसी ने भी पूरा सच नहीं बताया है। इस से स्पष्ट है कि श्री कृष्णमाचारी सच्चाई को छिपा रहे थे। मैं समझता हूं कि श्री कृष्णमाचारी को पुन: केबिनेट में लाने का कोई यत्न न किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि १५ अप्रैल, १९४७ को श्री कृष्णमाचारी ने जीवन बीमा निगम का दौरा किया था और उन्होंने यह बता वहां लिखी थी :—

> "मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मैं समझता हूं कि निगम में स्थिति ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि श्री राजगोपालन ने स्थिति ठीक करने का कोई उपाय नहीं किया है। मैं इसे कर्त्तव्य की गंभीर अवहेलना समझता हूं। क्या ऐसी स्थिति में राजगोपालन को निगम का मुख्य प्रबंधक रखना उचित होगा। श्री वैद्यनाथन् भी ठीक काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि वह सठिया गये हैं।"

इन्हीं वैद्यनाथन् ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। वस्तुत: जनता और कर्मचारियों में राष्ट्रीयकरण के बारे में उचित विचार यहां पैदा नहीं किये जाते।

अब मैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं श्री पिल्ले को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विमति टिप्पण लिखने का साहस किया। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी है कि आयोग की सिफारिश मानी ही जाय। यदि नहीं, तो फिर किस कारण उन्होंने बोस समिति की सिफारिशों को ठुकरा दिया। इसी कारण मैं कहता हूं कि अब पुन: उन्हें केबिनेट में न लाया जाय।

गृह मंत्री सदैव कुछ बातों को छिपाने का यत्न करते हैं। कल ही खबर थी कि गृह मंत्रालय की कुछ फाइलें चुराने का किसी ने यत्न किया। मैं ने अल्प सूचना प्रश्न दिया। परन्तु मुझे जवाब मिला है कि गृह मंत्री अल्प-सूचना को मानने को तैयार नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न कब दिया था ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सात आठ दिन पहले।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को चाहिए कि जब समय हो तो तब पूरी सूचना का प्रश्न दें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अन्त में यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज के कांग्रेसियों ने तो भ्रष्टाचार को खुली छुट्टी दे रखी है और अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुन: प्रार्थना करता हूं कि सरकार को अपने इस संकल्प पर पुन: विचार करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरूनेलवेली) : श्रीमान्, इन प्रतिवेदनों से जो त्रुटियां हमारे सामने आई हैं उन्हें माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके से प्रयोग किया है। छागला आयोग ने एक बात कही परन्तु बोस आयोग ने उस से विभिन्न परिणाम निकाला। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि श्री कृष्णमाचारी ने मूंदड़ा से भेंट की हो या किसी बात पर उनसे उनकी सहमति हो।

इसके अतिरिक्त हम अकेले मूंदड़ा को क्या लें ? मैं मूंदड़ा का पक्षपाती नहीं वरन् यह बताना चाहता हूं कि शेयरों के सौदेवाज अनेक मूंदड़े हमारे देश में हैं। जहां तक चंदा लेने का सवाल है, देश का प्रत्येक दल कम्युनिस्ट पार्टी समेत, इन से चंदा लेता रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ?

†**श्री थानू पिल्ले** : तो आप यह चाहती हैं कि मैं केरल के बारे में कुछ कहूं। हम गये हुओं के बारे में कुछ नहीं कहा करते। किन्तु इस बात में कोई शक नहीं है कि कम्युनिस्ट दल भी चंदा लेता रहा है। कम्युनिस्ट श्रमिक संघों से अनेकों को धमकियां देते हैं। मैं यह साबित कर सकता हूं कि कम्युनिस्ट लोगों से पैसा बटोरते रहेहैं। इतना ही नहीं उनके पास तो बाहर से भी पैसा आता है। सचाई हरेक को कड़वी लगती है। केरल में उन्होंने धन का दुरुपयोग किया हैं। जब एक सरकार ऐसा कर सकती है तो एक व्यक्ति के बारे में इतना शोर क्यों ? इन बातों को हर कोई जानता है। यह छिपी हुई बात नहीं है। वह राज्य ही मूंदड़ा बन रहा था।

अब जहां तक इस प्रतिवेदन का सवाल है श्री पिल्ले ने ठीक निष्कर्ष निकाला है। यह तो स्पष्ट है कि उस समय कलकत्ता शेयर बाजार में मंदी आ रही थी। परन्तु मंत्री महोदय इसके लिये निगम के धन का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। अतः श्री पटेल ने मंत्री की परवाह न करते हुए कार्यवाही की। आज यदि देखा जाय तो इस सौदे में निगम को फायदा है ; परन्तु उस समय तो फायदा न था। किन्तु सारी रिपोर्टों में यह कहीं भी नहीं आया है कि किसी की बुरी नीयत थी। उस समय बैंकर धड़ाधड़ मूंदड़ा के शेयरों को छोड़ रहे थे क्योंकि उसकी साख जाती रही थी। इस सट्टेबाजी में मिनटों में साख जाती है और क्षणों में आदमी करोड़पति बन जाता है।

कल कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने श्री कृष्णमाचारी की आलोचना करते हुए कहा कि वे तो अब भी कुछ न कुछ बोलते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। हमें इस कारण से किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए कि वह बोलता है, चुप क्यों नहीं है।

श्री फीरोज गांधी ने कहा कि यह सिद्ध नहीं हो पाया कि मंत्री ने निगम के धन के निवेश के बारे में आदेश दिया था। उन्होंने तो मात्र इतना ही कहा था कि इस मामले पर विचार कर लेना। परन्तु यदि इससे सचिव ने यह समझा कि धन का निवेश करना है और फिर सरकारी धन को दाब पर लगा दिया तो उस सीमा तक यह . . . . .

†**श्री फीरोज गांधी** (रायबरेली) : मैं ने यह कहा था कि कृष्णमाचारी ने किसी से यह नहीं कहा कि निगम के धन को मूंदड़ा के शेयरों में लगाया जाय। जब श्री पटेल उसके पास गये तो उसने कहा कि इस पर विचार कर लेना।

†**श्री थानू पिल्ले** : ठीक है। तो मैं कह रहा था कि श्री पटेल ने यह सारा काम अपने ऊपर ले लिया। अब सरकार ने उसे छोड़ दिया है। वस्तुतः जनतंत्रात्मक प्रणाली में सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग नर्मी से करना चाहिए। सरकार ने उन्हें सन्देह का फायदा देकर

†मूल अंग्रेजी में

छोड़ दिया है। छोड़ने का यह कारण नहीं कि उस से दूसरे आई० सी० एस० अधिकारी हतोत्साहित हो जायेंगे, बल्कि वास्तविक कारण यही है कि उन्हें शक का फायदा दिया गया है। इसलिये जब तथ्य का ही पता नहीं चल सका और कोई बात साबित नहीं हो पायी तो संवैधनिक जिम्मेदारी की बात व्यर्थ है।

†श्री कृष्णमाचारी ने छागला के प्रतिवेदन से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था ; श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे ही कारणों से त्यागपत्र दिया था। उन्होंने एक उदाहरण रखने के लिए त्यागपत्र दिया था।

अतः मैं समझता हूं कि सरकार का संकल्प उचित है और इसमें कोई शद्धि की गुंजायश नहीं है।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : श्रीमान्, आरम्भ में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रकार के प्रतिवेदनों के बारे में इस सभा में किस प्रकार की सांविधानिक प्रथा बनाई जानी चाहिए। इस प्रतिवेदन का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस बोर्ड ने इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है उसका सभापति एक श्रेष्ट न्यायाधीश था। न्यायाधीश किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं और इसीलिए निश्चित रूप से यह प्रतिवेदन सभा के सभी दलों के विचारों के अनुरूप है।

मैं ने इस बात की खोज की कि क्या इस प्रतिवेदन के समान अन्य किसी देश में भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है। मुझे इसी जैसा एक प्रतिवेदन इंग्लैंड में मिला। १९४९ में इंग्लैंड के मंत्रियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के आचरणों की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था उसने ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैं ने उस प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन और छागला आयोग की आपस में तुलना की है।

१९४९ में प्रतिवेदन के बारे में ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटिश संसद के विरोधी दलों ने जो रवैया अपनाया मेरे विचार से हमें भी वही रवैया अख्तियार करना चाहिए तथा ऐसे प्रतिवदनों पर विचार के लिए उसी के समान एक प्रथा बना लेनी चाहिए। ब्रिटेन के उस समय के प्रधान मंत्री, श्री एटली ने उस प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि 'मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा न्यायाधिकरण जांच अधिनियम, १९२१ के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को स्वीकार करे।"

इसके बाद श्री एटली ने अपने भाषण में जो कुछ कहा वह संक्षेप में इस प्रकार है :

> "जब भी कभी सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार आदि की अफवाह फैले उसकी उसी समय तुरन्त जांच की जानी चाहिए। हमारे दलों के आपस में चाहे किसी भी प्रकार के मतभेद क्यों न हो परन्तु सरकारी सेवाओं का स्तर ऊंचा करने में हमारा सभी का सहयोग होना चाहिए। न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन से हमें पता लग गया है कि कहां कहां ऊंचे पदों पर नियुक्त अधिकारी ग़लत काम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के ढीलेपन से क्या नतीजे निकल सकते हैं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बा० चं० कामत]

ब्रिटेन के उस समय के विरोधी दल के नेता श्री चर्चिल ने इस प्रतिवेदन पर बोलते हुए जो विचार व्यक्त किये वह संक्षेप में इस प्रकार है :

> "मैं समझता हूं कि इससे किसी दल का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेबर दल, कन्जरवेटिव दल तथा लिबरल दल का सम्मान केवल दलों तक सीमित नहीं है अपितु इन दलों का सम्मान ब्रिटिश राष्ट्र का सम्मान है।"

इसलिए मेरा यही कहना है कि दलों में आपसी मतभेद चाहे कितना भी हो परन्तु जहां तक सरकारी सेवाओं का स्तर ऊंचा रखने का प्रश्न है; इस बारे में हम में कोई मतवैभिन्नय नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक निश्चित प्रथा बना लेनी चाहिए।

श्री एटली के शब्दों में कि यदि सेवाओं में भ्रष्टाचार की अफवाह भी हो तो हमें जांच करनी चाहिए, मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री भी इसी प्रकार का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, और ब्रिटेन के समान ही इस प्रतिवेदन को सभा सर्व सम्मति से स्वीकार कर लेगी तथा ऐसी प्रथा बना लेगी कि इस प्रकार के प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जायें।

श्री फ़ीरोज गांधी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना परन्तु मैं यह जान नहीं पाया कि वह शिकायत कर रहे थे अथवा सरकारी संकल्प की आलोचना कर रहे थे। मैं समझता हूं कि संसदीय पद्धति के शासन में अपनी दल की सरकार की आलोचना करना उचित नहीं। सरकार की आलोचना विरोधी दल करते हैं और इसलिए उनको सभा में अधिक समय दिया जाना चाहिए परन्तु इस सभा में अधिक समय कांग्रेस सदस्यों को मिलता है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री फीरोज़ गांधी ने हमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताईं और बताया कि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के सभापति श्री चतुर्वेदी का इस सौदे में बहुत हाथ था। जब उन्होंने यह बात बताई तो सभा ने हर्ष प्रकट किया जिससे स्पष्ट हो गया कि सभा उनकी बात से सहमत थी। मेरे विचार में यदि उनकी यह बात सच है कि श्री चतुर्वेदी का इस सौदे में हाथ था तो जांच यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है क्योंकि आखिर इस सौदे के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना नितांत आवश्यक है। अन्यथा सभा तथा जनता में ऐसी भावना का प्रसार हो सकता है कि भारत में ऐसे धोखा देने वाले व्यक्ति हैं जो सरकार, संसद्, तथा न्यायाधीशों को मूर्ख बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि श्री फीरोज़ गांधी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनकी और अधिक जांच की जानी चाहिए।

मैंने सरकारी संकल्प को बड़ी सावधानी से पढ़ा परन्तु इसका मुझे बड़ा खेद है कि मुझे उस में कोई सार नजर नहीं आया। इस मामले पर सभा में काफ़ी चर्चा हुई थी और माननीय प्रधान मंत्री ने इसके लिये एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसे सभा ने स्वीकार किया था। उस संकल्प में बताया गया था कि इस सौदे से सम्बन्धित पदाधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। प्रधान मंत्री के इस आश्वासन के कारण इस विषय में चर्चा खत्म कर दी गई। परन्तु अब सरकार ने बिना इस सभा का विश्वास प्राप्त किये स्वतंत्र रूप से एक संकल्प जारी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के आश्वासन के बाद ऐसा किया जाना उचित है। मेरी राय में पदाधिकारियों के विरुद्ध गृह मंत्रालय ने जो कार्यवाही की है उससे सभा की इच्छाओं का उचित आदर नहीं किया गया है।

क्या आरोपों को समाप्त कर देना उचित कार्यवाही है ? मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बातों का आदर नहीं किया जाना चाहिये ? प्रधान मंत्री ने कहा था कि उचित कार्यवाही की जायेगी । क्या आरोपों को समाप्त कर देना उचित कार्यवाही है ?

श्री पटेल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को समाप्त कर देने के चार कारण बताये गये हैं । शानदार रिकार्ड, आय-व्ययक से बाद की उलझन-पूर्ण स्थिति, दुर्भावना का अभाव, तथा संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श । इन चारों कारणों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड की नियुक्ति से पूर्व क्या सरकार को शानदार रिकार्ड की जानकारी नहीं थी; क्या उसे आय-व्ययक के बाद की स्थिति का ज्ञान नहीं था, और क्या दुर्भावना के होने या न होने का पता पहले नहीं लग सकता था क्योंकि सरकार को श्री पटेल का स्पष्टीकरण मिल चुका था ? परन्तु सरकार जानती थी इन बातों के अतिरिक्त और भी किसी बात का पता लगाना है और इसीलिए श्री पटेल के खिलाफ़ आरोप लगाये गये ।

श्री पटेल ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि अनुशासनिक नियम ५ के अधीन बोर्ड उनके मामले पर विचार नहीं कर सकता है । मैं समय की कमी के कारण इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता हूं कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन संघ के कार्यों के बारे में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग को बोस बोर्ड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह उसके क्षेत्र से बाहर था । उनसे अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में ही परामर्श लिया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस मामले की भी पूरी जांच की जानी चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने इस प्रकार का परामर्श क्यों दिया । बड़ी अजीब सी बात है कि श्री पटेल को दो आयोगों ने दोषी ठहराया और फिर भी उसको कोई दण्ड नहीं दिया गया ।

मैं, सभा से यही कहना चाहता हूं कि यदि ऐसे प्रतिवेदनों के बारे में हम कोई प्रथा नहीं बनाते हैं तो न्यायिक प्राधिकारी के निर्णयों का आदर कोई नहीं करेगा । इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए । मेरे विचार से मामले की और जांच की जानी चाहिए जिससे जनता को पता लग जाये कि इस सभा के सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णरूप से सजग हैं ।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : श्रीमन्, मूंदड़ा कांड के उद्घाटन के अवसर पर हम ने ऐसा महसूस किया था कि भ्रष्टाचार और मनमानेपन का खात्मा अब शायद हमारे देश में हो सके । लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि जिन लोगों ने इस कांड का उद्घाटन किया उन्होंने ही अब जब इस सदन में अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने सब से ऊंचे बैठे हुए लोगों की बहुत जोरों के साथ वकालत की और इस बात को देख कर और सुन कर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ ।

यह सही है कि वह वकालत बहुत ही योग्यता के साथ की गई है । यह भी सही है कि इस वकालत को करते समय ऐसे एविडेंस को पढ़ कर सुनाया गया जिस से ऐसा लगता था कि शायद श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का इस मूंदड़ा डील के मामले में कोई सम्बन्ध नहीं था । जहां तक सीधे रिश्ते का सवाल है यह सही है कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का जहां तक ताल्लुक है, वह सीधे तरीके से बात हमारे सामने नहीं आई है । लेकिन यह बात भी सही है कि छागला कमीशन और उसी के साथ साथ विवियन बोस इन्क्वायरी बोर्ड को जिस सीमा के अन्दर रह कर काम करना पड़ा है, उसको भी ध्यान में हमें रखना होगा । हमको यह भी देखना है कि जो सर्कमस्टांसिस हैं और जिन

[श्री प्र० ना० सिंह]

सर्कमस्टांसिस में जो चीज़ हमारे सामने आई है, डायरेक्ट एविडेंस न होते हुए भी, क्या सर्कमस्टांशल एविडेंस इतना काफी नहीं है यह पता लगाने के लिए कि श्री कृष्णमाचारी का सम्बन्ध है या नहीं ? श्री कृष्णमाचारी की वकालत बहुत ही ज़बर्दस्त तरीके से हमारे सामने की गई है । इस सम्बन्ध में मैं इस रिपोर्ट की तरफ और खास तौर से गवर्नमेंट का जो रेज़ोल्यूशन है, उसके पेज ४ पर, पैरा १० की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है :

"इस मामले के सम्बन्ध में दी गई गवाही को कई कार्यालयों ने सूक्ष्मता से जांचा है । गवाही से स्पष्ट है कि जून के सौदों में मूंदड़ा अंशों की खरीददारी का आरम्भ स्वयं मंत्री महोदय ने नहीं किया था । अंशों का चुनाव अथवा मूल्य निर्धारण अथवा खरीददारी के सिद्धान्तों को मंत्री महोदय को तब तक नहीं बताया गया था जब तक कि सौदा पूरा नहीं हो गया था ।"

जो प्रस्ताव सदन के सामने है, जिस को कि गवर्नमेंट ने पास किया है, उस में इस बात को कहा गया कि जिस समय तक ट्रांजैक्शन कनक्लूड हुआ, उस समय तक मिनिस्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी, उनको कोई विशेष जानकारी नहीं थी । इस सौदे के सिलसिले में जितने तौर तरीके अपनाये गये, उस के सम्बन्ध में पूरी जानकारी न होते हुए भी यह सही है कि थोड़ी बहुत जानकारी उस समय उन को थी । लेकिन मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि सौदे के बाद उन को जानकारी हुई या नहीं, सौदे के बाद उन्हें उस के डिटेल मिले या नहीं ? और यदि सौदा होने के बाद उन्हें पूरे डिटेल मिले तो उस के बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की ? क्या उन्होंने उन आफिसर्स को 'पुल अप' किया जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की ? क्या उन्होंने इस सदन को इस बारे में कांफिडेंस में लिया ? जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी पटेल, कामथ और वैद्यनाथन ने मिल कर कार्रवाईयां कीं, उन के सिलसिले में उन्होंने हाउस के सामने इस चीज को रक्खा कि जो कार्रवाइयां उन लोगों ने कीं वे उचित नहीं थीं ? इस चीज को देखना भी जरूरी है कि जब २२ जून को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से पटेल साहब ने इस बात को कहा, मूंढड़ा शेअर्श खरीदने के सिलसिले में चर्चा की तो ऐसी बात नहीं कि टी० टी० कृष्णमाचारी को मूंदड़ा शेअर्श के सौदे के सिलसिले में जानकारी न रही हो । थोड़ी ही जानकारी सही, मामूली जानकारी सही, कैजुअल जानकारी सही, मीटिंग से जाते हुए जानकारी सही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस स्थिति में उन्हें जानकारी कराई गई ? मूंदड़ा अफेअर्स, मूंदड़ा के ऐंटिसीडेंट्स टी० टी० कृष्णमाचारी को मालूम थे या नहीं ? वह यह जानते थे या नहीं कि मूंदड़ा किस तरह का आदमी है ? किस तरह का व्यवहार करने वाले यह मूंदड़ा साहब हैं ? इस सिलसिले में अधिक न कह कर मैं खुद विवियन बोस एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के ३७ पन्ने को पढ़ना चाहता हूं :

"हम १९५५ वर्ष के बारे में अब विचार करते हैं । श्री कृष्णमाचारी ने बताया कि वह १९५५ से श्री मूंदड़ा के कुछ कार्यों के बारे में जानते थे । इन कार्यों को उन्होंने बताया भी । उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी बात कही, अतः उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करना उचित होगा । उन्होंने कहा : 'श्री मूंदड़ा जैसा व्यक्ति सरकार के क्षेत्राधिकार में आ जाता है । हम एकीकरण नहीं चाहते थे तथा एक समवाय की निधि को दूसरी समवाय में लगाना भी पसंद नहीं करते थे । मैं नहीं चाहता था कि वह इन समवायों पर नियंत्रण कर ले ।"

एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा :

"मूंदड़ा की स्थिति के बारे में, जो मुझे पता था वह यह है कि वह अन्य व्यक्तियों के समान समवाय खरीद रहा था। उसने एक समवाय खरीदने के लिए दूसरी समवाय की निधि का उपयोग किया। तथा एक समवाय की निधि से दूसरे समवाय को सम्बद्ध करना ही विशाल सम्पत्ति का स्वामी बनने की मुख्य योजना है। वह अभी युवक और अनुभवहीन है तथा इस मामले में आरम्भ से ही मैंने अपने से पहले मंत्री को बता दिया था कि मैं उसे अच्छा आदमी नहीं समझता हूं।"

इस के साथ-साथ हम आगे बढ़ कर इस बात को भी देखते हैं कि टी० टी० कृष्णमाचारी को केवल इसी बात की जानकारी नहीं थी कि मूंदड़ा कैसा आदमी है। उस के बाद हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि टी० टी० कृष्णमाचारी को बम्बई शेअर स्टाक एक्सचेंज में श्री मूंदड़ा की कम्पनियों के शेअर्स को लिस्ट पर न ले जाने की बात की भी जानकारी है। यह सही है कि हो सकता है कि टी० टी० कृष्णमाचारी के पास सीधी-सीधी बातें न आई हों, लेकिन टी० टी० कृष्णमाचारी ने जो बातें श्री सी० डी० देशमुख को लिखीं २३ अगस्त, १९५५ को उस में उन्होंने लिखा था :

"यह बड़ी अजीब बात है कि समवाय अधिनियम में इतने कठोर उपबन्ध होने पर भी हरिदास मूंदड़ा बिल्कुल हमारे निकट इस प्रकार के मनमाने काम करता है। मेरे विचार से सरकार को ऐसे अधिकार होने चाहिए जिससे ऐसे मामले में जब २० लाख रुपये की पूंजी तथा आस्थियों वाले समवाय के अंश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जायें, तब उसे जानकारी मिल सके और वह गड़बड़ रोक सके।"

इसी तरीके से इस बात को भी देखिये कि जहां तक मूंदड़ा कम्पनी के शेअर्स का सवाल है, जहां तक मूंदड़ा की रेपुटेशन का सवाल है, जहां तक मूंदड़ा के ऐटिसीडेंट्स का सवाल है, इन सारी बातों के सम्बन्ध में टी० टी० कृष्णमाचारी को जानकारी थी। ऐसी दशा में जब टी० टी० कृष्णमाचारी के सामने पटेल साहब ने कहा, भले ही कैजुअल रिफरेंस किया हो, भले ही मीटिंग से जाते हुए कैजुअल रिफरेंस किया, क्या टी० टी० कृष्णमाचारी ने इस बात की तकलीफ उठाई कि वे इस बात को देखें कि इस सम्बन्ध में सौदा हुआ या नहीं, और वह सौदा हुआ तो कैसा हुआ? वह सौदा अच्छा है या नहीं, वह व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुरूप है या नहीं, और इस सौदे को हम मानें या न मानें? इस सम्बन्ध में यदि उन्होंने जानकारी की होती और उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां कीं, तो मैं इस बात को समझ सकता था कि टी० टी० कृष्णमाचारी का इस में दोष नहीं।

इस के साथ-साथ हम देखते हैं कि टी० टी० कृष्णमाचारी ऐसे आदमी थे जो एल० आई० सी० के आफिस में पहुंच जाया करते थे, एल० आई० सी० के दफ्तर में जा कर खुद आर्डर्स लिखा करते थे, खुद हुक्म दिया करते थे। इस से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अपनी जगह पर टी० टी० कृष्णमाचारी के इस तरह की कार्रवाई पर मौन रहने का मतलब क्या होता है? इस के माने क्या होते हैं? जब हम टी० टी० कृष्णमाचारी के सम्बन्ध में अपनी राय को रखते हों तो हमें इस बात को अच्छी तरह से सामने रखना चाहिए।

[श्री प्र० ना० सिंह]

यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, और श्री फ़ीरोज़ जी ने इस सदन के सामने सारी बातों का उत्तर देते हुए कहा था कि जिस समय प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था उस समय सारी बातें ठीक तरीके से श्री कृष्णमाचारी द्वारा सदन के सामने नहीं आईं । उस समय फीरोज़ जी ने कहा कि वे अपने पैरों पर कूद रहे थे और इस समय खुद हम ने देखा कि उन्होंने टी० टी० कृष्णमाचारी की बहुत जबर्दस्त वकालत की । मैं तो कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट के इतिहास में फीरोज़ जी का नाम अमर रहेगा इह बात के लिये कि उन्होंने ही मूंदड़ा कांड का उद्घाटन किया और इस बात के लिये भी कि उन्होंने ही इस कांड के सब से ज्यादा जिम्मेदार आदमी की वकालत भी की । इस के साथ साथ मैं इस बात को .....

श्री फीरोज गांधी : इस में टी० टी० कृष्णमाचारी के खिलाफ जो है वह भी तो कहो । यही क्यों कहते हो, सब कुछ कहो । अगर आप को यह इत्तला है कि टी० टी० कृष्णमाचारी को इत्तला थी, तो उसे भी कहो ।

श्री प्र० ना० सिंह : मैं फीरोज़ जी से कहना चाहता हूं कि जब हम ला को एनन्शिएट करते हैं तो उस एनन्शिएशन के समय यह भी देखें कि जो सब्सीक्वेंट कंडक्ट है वह क्या है, वह गलत है या नहीं । अगर डाइरेक्ट एविडेंस नहीं है तो सब्सीक्वेंट कंडक्ट है वह जुर्म साबित करता है या नहीं ? मैं कहना चाहता हूं कि टी० टी० कृष्णमाचारी का जो सब्सीक्वेंट कडक्ट है वह साबित करता है कि इस मूंदड़ा डील में उन का सीधा सम्बन्ध रहा है । इस के साथ साथ मैं .....

श्री फीरोज गांधी : रुपये पैसे पर तो आओ ।

श्री प्र० ना० सिंह : मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि यह आखिर क्यों हुआ । क्या इंटेंशन है टी० टी० कृष्णमाचारी का ? स्वयम् विवियन बोस बोर्ड ने लिखा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को ढाई लाख रुपया एलेक्शन के सिलसिले में दिया गया यू० पी० की कांग्रेस पार्टी को, केन्द्र कांग्रेस पार्टी को, ऐसी हालत में इस ढील के साथ इस चीज़ को जोड़ने की बात है ।

श्री फिरोज गांधी : ५,००० रु० की बात तो कहो ।

श्री प्र० ना० सिंह : हर चीज़ को कहूंगा, घबराइये नहीं ।

श्रीमान्, मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि इसी सम्बन्ध में विवियन बोस एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ५,००० रु० सोशलिस्ट पार्टी द्वारा लिये जाने की बात कही गई है । मैं इस सदन के सामने इस बात को रिफ्यूट करना चाहता हूं और हिन्दुस्तान की सोशलिस्ट पार्टी अपने आप को किसी भी कमीशन के सामने पेश करने को तैयार है जो कि इस बात की जांच करे कि सोशलिस्ट पार्टी ने मूंदड़ा से रुपया लिया है या नहीं । वह सोशलिस्ट पार्टी कोई दूसरी होगी जिसने मूंदड़ा साहब से पांच हजार रुपए का लेन देन किया होगा । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा हो यदि कोई कोड आफ कंडक्ट पोलीटिकल पार्टीज के लिए निश्चित कर दिया जाए कि उनके फाइनेन्सेज़ कहां से आएं । अगर ऐसा नियम बना दिया जाए तो हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा । हम जमीन पर खड़े रहना चाहते हैं । हम इन पूंजीपतियों के पैसे से इस सदन में आने के लिए तैयार नहीं हैं । हम चाहते हैं कि जमीन पर खड़े होकर हिन्तुस्तान की सियासत की जाए चाहे वह सरकारी पार्टी हो या विरोध में बैठे हुए लोग हों । चाहे इधर की शिकायत हो या

उधर की शिकायत हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कोड आफ कंडक्ट बना दिया जाए कि पोलीटिकल पार्टीज को जो कुछ दिया जाए वह साफ तौर से लोगों के सामने दिया जाए तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बहुत कुछ करप्शन जो आज दिखाई देता है वह दूर हो सकता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलीटिकल पार्टीज को फंड देने के सवाल के बारे में सदन को मामला साफ कर देना चाहिए । साथ ही यदि वर्तमान परम्परा चलती रही कि और जिन लोगों की बाजार में २०० और ३०० सौ रुपए की भी चलन नहीं है उनको किसी मिनिस्टर का नाते रिश्तेदार होने के कारण उद्योगपतियों के यहां दो दो और ढाई ढाई हजार रुपया मिलता रहा, तो यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता । यदि इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमको पब्लिक लाइफ के लिए एक नया कोड आफ कंडक्ट बनाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता यह मामला खत्म नहीं हो सकता ।

जहां तक पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में कमीशन ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है । छागला कमीशन के बाद और विवियन बोस इन्क्वायरी कमेटी के बाद जिनमें हिन्दुस्तान के उन बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया जिनका कि जीवन ही कानून में बीता था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उन पर जज बन कर बैठा और उन चीजों पर भी रिमार्क पास किये जिन पर ऐसा करना आवश्यक नहीं था । मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा कर के पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है । ऐसी दशा में हमें इस बात का भी फैसला करना चाहिये और ऐसी लोकतन्त्रात्मक परम्परा का निर्माण करना चाहिये कि जब हम किसी मामले में बोर्ड आफ एन्क्वायरी बिठाएं जिसमें इतने ऊंचे किस्म के लोग हों, तो फिर उसके फैसले के बाद इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने वह मामला भेजें तो उस सम्बन्ध में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या सीमा हो ?

जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ऐसे मामलों में इस बात की परम्परा चलायी जाए कि कमीशन की बात को माना जाए और इसी बात को लेकर सरकार ने कहा है कि और कारणों के अलावा हम पटेल साहब को कमीशन की सिफारिश पर मुक्त करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पटेल साहब का सवाल है शुरू से लेकर आखिर तक उनका इस डील में हाथ रहा है । इसको श्री फीरोज गांधी साहब ने भी स्वीकार किया है जिन्होंने श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को इसमें से निकाल देने की कोशिश की है । और यह चीज रिकार्ड से भी साफ तौर से साबित है कि पटेल साहब का हाथ इस डील में शुरू से आखिर तक रहा । इसलिये मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने पुनः सारी बातें नहीं रखना चाहता ।

जहां तक श्री कामथ और वैद्यनाथन का सवाल है, मूंदड़ा के शेयर्स का दाम ८२ रुपए के बजाए ८० रुपए श्री कामत ने ही कर दिया और फिर भी इस चीज को कामथ साहब ने नहीं देखा कि किस तरह शेयर्स का दाम तय किया गया है । अगर वह तमाम चीजों को स्वयं देखते तो सरकार को दस लाख रुपए का नुकसान न होता और ५० लाख रुपया इस तरह से **लाक न होता** । जहां तक श्री कामथ, श्री पटेल और श्री वैद्यनाथन का सम्बन्ध है इतनी बात साफ है कि जो सौदा हुआ उसके सिलसिले में जो ज्यादा रकम दी गयी उसमें बड़ी भारी लापरवाही बरती गयी, मैं तो इसको क्रिमिनल नेगलीजेंस कहूंगा । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार ने जो रुख अपनाया है वह अपनी जगह पर उचित नहीं है ।

इसी के साथ साथ अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मूंदड़ा काण्ड के सिलसिले में हमारे जो अर्थ के चार स्तम्भ हैं, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम, ये सभी

[श्री प्र० ना० सिंह]

हिले बिना नहीं रहे हैं। इन सभी पर थोड़ा बहुत छींटे पड़े हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर बात है हमारे लिये, इस सदन के लिये और इस देश के लिये कि आज इस देश के अन्दर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग इस प्रकार जनता के रुपयों के साथ खिलवाड़ करते हैं यदि उनके विरुद्ध ठीक कार्रवाई न हो तो एक अच्छी परम्परा का जन्म नहीं होगा और उसका नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा और उसके चलते लोकतन्त्रात्मक मर्यादाएं खतरे में पड़ जाएंगी।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है और जो रिपोर्ट सदन के सामने है, उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई है इस पर गृह मन्त्रालय और मानीय मंत्री जी सोच विचार करें और इस सदन की जो राय है उस पर ध्यान देते हुए कोई पुनः समुचित फैसला करें।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: इस सम्बन्ध में अब तक किये भाषणों को मैंने सुना है। श्री फीरोज गांधी ने परिश्रम करके जिन तथ्यों का उद्‌घाटन किया है उसके लिये निश्चय ही वे धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले यह मामला श्री फीरोज गांधी तथा डा० रामसुभग सिंह द्वारा प्रकाश में लाया गया था। प्रतिष्ठा का ऊंचे से ऊंचा स्तर बनाने के लिये सभा में काफ़ी चर्चा की गई है। '१२ दिसम्बर, १९५७ को जो चर्चा हुई थी उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री ने स्वयं यह सुझाव दिया था कि एक जांच आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। तुरन्त ही वह ऐसा करने के लिये तैयार हो गये और इसके लिये उन्होंने मुख्य न्यायाधीश श्री छागला को चुना। यह चुनाव देश के सबसे अधिक स्वतन्त्र न्यायाधीश का हुआ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि और न्यायाधीश इतने स्वतन्त्र नहीं हैं।

इसके बाद उस छागला प्रतिवेदन पर यहां सभा में चर्चा हुई। इस पर सरकार ने एक प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा, मैं समझता हूं कि जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ।

इस सम्बन्ध में कल यहां बहुत से भाषण हुए और विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन में से बहुत से उद्धरण भी दिये गये। मैं यह नहीं जानता कि उन भाषणों में हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि वक्ताओं और हमारे विचारों में अन्तर है। मैं तो नहीं समझता कि कोई अन्तर भी है। वस्तुतः समझौते का क्षेत्र और वे बातें जिनके बारे में हमारा सामान्य दृष्टिकोण है तथा उनको हल करने के समाधान जो सोचे गये हैं उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत हैं। हमारा यह विचार रहा है कि जून १९५७ में जो सौदा हुआ था वह व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल था तथा अन्य बहुत सी बातों में अनुचित था। इस सम्बन्ध में मैं इस सभा में तथा राज्य सभा में भी कई बार पूरा जोर देकर बता चुका हूं तथा प्रधान मन्त्री ने भी ऐसा ही कहा है। जहां तक कि इस तथ्य को बताने एवं उसके प्रदर्शन करने के लिये किसी भी आयोग के प्रतिवेदनों का उल्लेख करने का सम्बन्ध है मैं यह बता देना चाहूंगा कि मैं उनसे सहमत हूं और हमारे तथा उनके बीच में कोई अन्तर नहीं है। वास्तव में हम इस मामले की गहराई में जाने तथा उसका पूरा पूरा पता लगाने के लिये प्रयत्न करते रहे हैं। और यही कारण है कि छागला आयोग के प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात् हमने दूसरे बोर्ड की नियुक्ति की।

ऐसा प्रतीत होता है कि विवियन बोस जांच बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच और संविहित नियमों तथा विधियों के अनुसार इस बोर्ड के स्तर के बारे में कुछ गलत धारणा है। इस विवियन बोस जांच बोर्ड की नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन बनाये गये अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार की गई थी। हमारी यह इच्छा एवं आकांक्षा थी कि इस मामले के निर्णय

†मूल अंग्रेजी में

करने में सुयोग्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की सहायता लें। एतदर्थ इस बोर्ड की हमने स्थापना की। मैं न्यायाधीश श्री छागला को पहले धन्यवाद दे चुका हूं और अब श्री विवियन बोस, उनके साथियों तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके प्रतिवेदन एवं परामर्श के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे दुःख है कि उनके प्रति कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है।

मेरा विचार है कि विवियन बोस जांच बोर्ड की नियुक्ति इन विनियमों के नियम ५ के अनुसार हुई थी। या तो हम एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते थे अथवा एक बोर्ड की। हमने बोर्ड की नियुक्ति करना ठीक समझा अतः बोर्ड की नियुक्ति की गई। श्री पटेल, श्री कामत के विरुद्ध आरोप लगाये गये। श्री वैद्यनाथन तो निगम के सेवारत पदाधिकारी थे। निगम ने उनका मामला भी जांच के लिये बोर्ड को सौंप दिया। इसलिये इन तीन व्यक्तियों की जांच का कार्य इस बोर्ड के पास आया। यह आयोग छागला आयोग की भांति सामान्य जांच के लिये नहीं था। इस जांच बोर्ड की नियुक्ति तो विशेष विनियमों के अधीन विशेष प्रयोजन के लिये थी।

विवियन बोस बोर्ड प्रतिवेदन के बारे में कल कई उल्लेख किये गये। मेरा विचार है कि प्रतिवेदन के अन्य भागों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि मुख्य तथ्य तो छागला आयोग के प्रतिवेदन की चर्चा के दौरान में हमारे सामने आ ही गये थे। उन तथ्यों के अतिरिक्त कोई और नई बात नहीं है, सिवाय मूंदड़ा को सहायता दिये जाने के बारे में कही गई बात के, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। इसलिये अब हम विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन की चर्चा करेंगे।

नियमों के अनुसार यह प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाना था। और नियमों में ऐसी व्यवस्था भी है। सम्भवतः नियम ६ में यह निहित है कि कोई भी प्रतिवेदन अथवा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किये जाने चाहियें। यह एक संविहित आभार है, और इसमें भी कोई सन्देह की बात नहीं है कि इस बोर्ड के सदस्य यह जानते थे कि उनका प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग को जायेगा। इसलिये इसमें कोई नूतन बात नहीं है और न कोई ऐसी ही बात है कि वे यह नहीं जानते थे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद ३२० के अनुसार भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि उनका मामला संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जाता। अतः जो व्यक्ति इस मामले की जांच कर रहे थे वे संविधान की इस व्यवस्था को जानते थे इसलिये इस व्यवस्था की पूर्ति की गई। अतः संविधान तथा नियमों के अधीन जब यह बधन था तो इस प्रकार के निकाय की सिफारिशों पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उनको सरसरी तौर पर ही अस्वीकार नहीं कर सकते।

हमारे ऊपर संविधान का दायित्व है और संघ लोक सवा आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे मामलों की जांच करे जो उन्हें भेजे जायें। कुछ लोग संघ लोग सेवा आयोग के प्रति उदार नहीं रहे। संघ लोक सेवा आयोग में सात प्रख्यात एवं सुयोग्य व्यक्ति हैं और इसके अध्यक्ष भारतीय सेवा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अतः उन के विरुद्ध जो बातें यहां कही गई हैं वे उचित नहीं थीं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी के भी विरुद्ध आरोप लगाने एवं दोषारोपण करने का अधिकार है लेकिन उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन को हमने यह कार्य सौंपा और उन्होंने कठोर परिश्रम किया, इस प्रकार की बात कहना ठीक नहीं है।

[श्री गो० ब० पन्त]

संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन स्पष्ट और सुलिखित है । हो सकता है कि कोई इस से सहमत हो अथवा न हो । उन्हों ने इस मामले पर बड़ी अच्छी तरह से विचार किया है और तथ्यों के महत्व को समझा है । वे विवियन बोस बोर्ड के प्रतिवेदन में सरसरी तौर पर बिना किसी गंभीर विचार के हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । इस बारे में उन की अपनी राय है और उस के उन्हों ने कारण भी दिये हैं । उन के इस प्रतिवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिये कि विवियन बोस बोर्ड ने कहीं कहीं विभिन्न प्रकार की बातें कही हैं । संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य था कि वह उन सब बातों पर विचार करता जोकि बोर्ड ने उसे भेजा था और जिस के आधार पर कि वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे । उन्हों ने अपना प्रतिवेदन इस बोर्ड के तथ्यों के आधार पर ही दिया है ।

वास्तव में देखा जाये तो बहुत दिनों से यह प्रथा चली आ रही है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिये । इस सभा ने तथा राज्य सभा ने इस बात को काफी महत्व भी दिया है । बार बार हम से कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जो परामर्श दिया है उस से हमें अलग नहीं जाना चाहिये । लेकिन यह बात गलत होगी । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में सरकार ने नियमतः संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार किया है ।

इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग ने श्री पटेल को दोषमुक्त करने के बराबर ही सिफारिश की है । सरकार ने उन की सिफारिशों के क्रियाकारी भाग को तो स्वीकार कर लिया है लेकिन जो तर्क उन्हों ने उठाये हैं उस से सरकार पूर्णतः सहमत नहीं है । संविधान के लागू होने के बाद से इन आठ वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग को ५३,००० से अधिक मामले भेजे गये जिन में से सरकार ने १६ मामलों में उस की सिफारशों को स्वीकार नहीं किया है । इस से पता चल जायेगा कि आयोग का महत्व क्या है । जब संविधान में यह उपबन्ध है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पहले वह मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाये तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस की सिफारिशों को उचित महत्व दिया जाये । इसलिये हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये । संघ लोक सेवा आयोग ने जो परामर्श दिया है, उस के उन्हों ने कारण भी दिये हैं । संघ के एक सदस्य श्री पिल्ले संघ से सहमत नहीं थे और उन्हों ने विमति टिप्पणी दी है । मेरा निवेदन है कि प्रतिवेदन की अपेक्षा हम इस विमति टिप्पणी से अधिक सहमत हैं ।

अब प्रश्न यह उठता है कि संघ लोक सेवा आयोग के निर्णयों से सरकार सहमत क्यों हुई ? पहला कारण तो यह है कि इस मामले में कोई असद्भावना नहीं है । किसी भी व्यक्ति ने आज तक यह नहीं कहा है कि श्री कामत तथा श्री पटेल ने इस कांड से कोई वैयक्तिक लाभ उठाया हे । हो सकता है कि निर्णय करने में उन्हों ने भूल की हो । लेकिन यह बात दूसरी है । कर्तव्यों का पालन करते समय प्रायः ऐसी भूलें हो जाती हैं और कभी कभी इन भूलों के परिणाम गम्भीर भी हो सकते हैं । लेकिन उन की कोई असद्भावना इस मामले में नहीं थीं ।

श्री पटेल ने ३० वर्ष से भी अधिक राज्य की सेवा की है । यह एक ऐसी बात है जिसे हम भूल नहीं सकते । फिर इस बीमा निगम के पुनर्गठन में उन का महत्वपूर्ण योग है । वे इस के प्रथम अध्यक्ष थे । इस के पुनर्गठन का कार्य बहुत कठिन था । २६० निकायों को मिला कर उन्हें ऐसी स्थिति में लाना था ताकि वे ठीक ढंग से कार्य कर सकें । उन्हों ने सब कार्य किया । राष्ट्रीयकरण का कार्य उन के द्वारा हुआ । मान लीजिये हम विमति टिप्पणी को ही लेते । उस में कहा गया है कि श्री पटेल को अनिवार्य रूप से अवकाशप्राप्त कराना चाहिये यानी उस टिप्पणी के अनुसार उन के लिये यह दंड निर्धारित किया जाना चाहिये था । श्री पटेल ने हमारे द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व ही अपने

पद से अलग होने का निवेदन कर दिया । अगर अनिवार्य रूप से उन्हें अवकाश दिया गया तो भी उन की स्थिति ठीक वही होती जोकि आज है । इसलिये कोई हानि नहीं हुई ।

अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होगा । हम किसी व्यक्ति के बर्ताव से तथा उस ने जो कुछ किया है उस से चाहे सहमत न हों लेकिन हमें उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये । परिस्थितियां कुछ ऐसी होती चली गईं श्री पटेल का मामला प्रतीकात्मक-मामला बन गया था । और सरकार अनावश्यक रूप से कोई ऐसी भावना उत्पन्न करना नहीं चाहती थी जो देश के हित में न हो । ऐसे आदेश जारी किये जाने से पूर्व ही इस प्रतिवेदन और प्रस्ताव को संघ लोक सेवा आयोग को फिर भेजना होगा । इस में तीन महीने का समय लगता । इसलिये यह अच्छा था कि उन्हें तीन महीने पूर्व ही अवकाश दे दिया जाता । इस प्रकार हमें कोई हानि नहीं हुई । और ऐसा करना देश के हित में ही था ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सभा में तथा जनता में बड़ी बेचैनी थी । मैं ने पहले भी कहा था और अब भी मेरा मत यह है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य के लिये श्री कृष्णमाचारी को दोष नहीं देना चाहिये यहां वहां ऐसी कानाफूंसी थी तथा इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गये कि इस प्रकार के वक्तव्य दे कर श्री पटेल तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हम पक्षपात कर रहे हैं । और संघ लोक सेवा आयोग इस मामले में निष्पक्षता से कार्य नहीं करेगा । लेकिन इन सब बातों को देखते हुए तथा हमें जो लाभ हुआ है, उस को देख कर हम कह सकते हैं कि जो नतीजा अब निकला है वही तब होता जब हम श्री पिल्ले द्वारा सुझाई गई बात को मानते । इस प्रकार हम ने जो कार्यवाही की है उस में फिर कोई विरोध होना चाहिये ।

श्री कामत निगम के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी थे अतः प्रावधिक एवं विधि की दृष्टि से वह दोषी थे । लेकिन श्री कामत ने हमेशा आदेशों के आधार पर ही कार्य किया है । उन्हों ने स्पष्ट और साहसपूर्ण वक्तव्य दिये हैं और उन्हों ने अपना उत्तरदायित्व स्पष्ट शब्दों में मान लिया है । इसलिये आयोग द्वारा उन की निन्दा की गई है और यही उन्हें दंड दिया गया है । श्री कामत को इस दंड से कोई अधिक हानि नहीं होती । लेकिन श्री पटेल को जो दंड दिया गया है उससे उन्हें हानि हुई है । अब वे सेवा से अलग हो जायेंगे लेकिन अभी उन के सेवाकाल के काफ़ी वर्ष शेष हैं और वह वेतन पा कर सेवा कर सकते हैं । इसलिये उन को काफ़ी नुक़सान हुआ है । जहां तक मुझे पता है वह किसी फ़र्म वग़ैरह में नौकरी करने का इरादा नहीं रखते ।

बोस बोर्ड प्रतिवेदन में श्री मूंदड़ा द्वारा कांग्रेस को दी जाने वाली सहायता का उल्लेख किया गया है । और बताया गया है कि यही कारण है कि उस को यह सहायता दी गई । मैं ने इस से ज्यादा बेतुकी बात कभी नहीं सुनी । कहा गया है कि कानपुर की एक मूंदड़ा मिल में जहां लगभग २ हज़ार या तीन हज़ार व्यक्ति काम करते हैं, बन्द की जाने वाली थी लेकिन सरकार ने श्री मूंदड़ा को ऐसा करने से रोका और इसलिये सरकार ने ऐसा किया । श्रीमान् सरकार को तो सभी उद्योगपतियों से वास्ता पड़ता है । यह बात ग़लत है कि सरकार उद्योगपति के साथ पक्षपात करती रही है । हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां सरकार ने उद्योगपतियों के साथ सख्ती का बर्ताव किया है । अगर सरकार ऐसे कार्यों अथवा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले धन को दृष्टिगत रख कर ही कार्य करें तो यह बात अन्य दलों पर भी लागू होती है जिन्हें न केवल अपने देश में ही बल्कि विदेशी साथियों से भी ऐसी ही सहायता मिलती है । अतः मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ऐसा भद्दा सुझाव किस प्रकार उस प्रतिवेदन में दिया गया ।

[श्री गो० ब० पत्त]

अन्त में मैं आशा करता हूं कि गत दो वर्षों में हम ने जो अनुभव प्राप्त किये हैं उन से हम लाभ उठायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): जीवन बीमा निगम के विनियोजन के मामले में सरकार ने पहले छागला आयोग नियुक्त किया था और उस के बाद यह जांच बोर्ड बैठाया । तथ्यों को अच्छी तरह जानने के लिये सरकार उत्सुक रही है यह उस की ईमानदारी का प्रमाण है ।

माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में कई ऐसी बातें कही हैं, जिन से मैं सहमत नहीं हूं । यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि मूंदड़ा के साथ जो सौदा किया गया वह गलत था और उस में सरकार को हानि उठानी पड़ी । यह बात भी सब के कथनानुसार ठीक है कि श्री पटेल व वैद्यनाथन् इस गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार हैं । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि श्री पटेल की नीयत बुरी थी । यह बात कहीं भी नहीं कही गई है । पर आप पूरे मामले को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि श्री पटेल ही मूल कारण थे इस गड़बड़ी के । उन्हों ने ही श्री देशमुख द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन किया कि मूंदड़ा की संस्थाओं के अंश बिल्कुल न खरीदे जायें । पर श्री पटेल और वैद्यनाथन् ने मिल कर उस निदेश का उल्लंघन किया । और श्री कृष्णमाचारी भी इस के लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हों ने भी इस सौदे की अनुमति दे दी ।

जांच बोर्ड का भी यही कहना है कि श्री कृष्णमाचारी तथा श्री पटेल दोनों की जिम्मेदारी है पर दोनों की जिम्मेदारी एक दूसरे से इतनी मिली-जुली व गुम्फित है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता । यदि माननीय वित्त मंत्री की अनुमति न होती, तो यह सौदा कभी भी हो ही नहीं सकता था । अतः वित्त मंत्री की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है ।

श्री कामत का कहना है कि यदि सामान्य प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो यह सौदा कदापि नहीं हो सकता था । मैं पूछता हूं कि सामान्य प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया ? मैं मानता हूं कि इस में श्री कृष्णमाचारी की नीयत खराब नहीं थी पर इस में उन का प्रत्यक्ष उत्तर-दायित्व अवश्य है । सारा षड़यंत्र तो श्री वैद्यनाथन् और श्री पटेल का है ।

श्री फिरोजगांधी ने अपने भाषण में यह बताने की कोशिश की कि श्री कृष्णमाचारी निर्दोष थे । पर मैं इस से सहमत नहीं हूं । २ सितम्बर को श्री पटेल द्वारा जो उत्तर का मसविदा उन के सामने रखा गया था उस के बारे में उन का कहना है कि उन्हों ने सारे ब्यौरे को पढ़े बिना ही उस मसविदे का कुछ अंश काट दिया था । इस प्रकार सभा में उन्हों ने जो उत्तर दिया था उस में कहा गया था कि उन्हे इस बारे में कुछ मालूम नहीं । मैं नहीं समझता कि पूरा ब्यौरा देखे बिना उन्होंने मसविदे का वह भाग क्यों और कैसे काट दिया । जांच आयोग ने भी उन की इस बात पर विश्वास नहीं किया है और मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता । अतः मैं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि २ सितम्बर को उन्हें इन सारी बातों का पता था कि १ करोड़ २५ लाख का सौदा किया जा चुका है । यदि इसे न भी माना जाये, तो क्या यह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वह स्वयं देखे कि धन को कहीं गलत काम में तो नहीं लगाया जा रहा है । मैं किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री कृष्णमाचारी को सितम्बर, नवम्बर में इस सौदे के बारे में मालूम नहीं था । उन्हें मालूम था उन्हों ने सारी बातें सभा से जानबूझ कर छिपाईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात स्पष्ट है कि यह सौदा श्री वैद्यनाथन् और श्री पटेल की साठ-गांठ व षड्यंत्र के कारण ही हुआ। इनके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग तथा इस जांच बोर्ड ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि उनका अपराध बहुत गम्भीर है। उन्होंने अपने पद का व अधिकार का बहुत दुरुपयोग किया है। उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार रोक अधिनियम की धारा ५ के अधीन कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

श्री कामत के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। उनकी नियत खराब नहीं थी। पर इतना अवश्य है कि उन्होंने बेपरवाही से काम लिया जो कि एक बड़ा अपराध है। वह कार्यकारी पदाधिकारी थे, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि सरकारी धन बरबाद न होने पावे। फिर भी मैं उनकी नियत पर सन्देह नहीं कर सकता।

मैं गृह-कार्य मंत्री की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह मामला संघ लोक सेवा आयोग को अवश्य सौंपा जाना चाहिए था। ठीक है इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपना उनका कर्तव्य था। पर सभी माननीय सदस्यों की राय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में क्या है, यह माननीय मंत्री जानते हैं। माननीय सदस्यों में संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में ऐसी धारणा क्यों है? माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह ऐसे कदम उठायें कि संघ लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में सब लोगों में पुनः सम्मान पैदा हो जाये।

†**श्री गो० ब० पन्त :** यदि कोई माननीय सदस्य मुझ से मिल कर मुझे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कोई शिकायत बतायें, तो मैं उसे सुनने व उस पर कार्यवाही करने को तैयार हूं। पर यह ठीक नहीं है कि तरह-तरह की अफवाह उड़ा कर किसी संस्था की निन्दा की जाये।

†**श्री हरिचन्द्र माथुर :** मेरा भी यही निवेदन है कि न्याय पालिका तथा संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उस पर कोई सन्देह प्रकट न करे। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री ऐसे उपाय करें जिससे संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

†**श्री भंजदेव** (क्योंझर) : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय:** अब मैं श्री जगन्नाथ राव के स्थानापन्न प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर भारत सरकार द्वारा श्री एच० एम० पटेल, श्री जी० आर० कामत और श्री एल० एस० वैद्यनाथन् के मामलों में की गई कार्यवाही

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

पर, जो गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक २७ मई, १९५९ के संकल्प संख्या एफ० १५/५३ एच० एस० में दी हुई है, विचार करती है और उसका अनुमोदन करती है"

सभा में मत विभाजन हुआ ; पक्ष में १२१; विपक्ष में ४७

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के पतिवेदन के बार में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री दातार के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मत्रा (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के ३० जुलाई, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि के लिए प्रतिवेदन पर, जो ८ मई, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

यह भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का पहला प्रतिवेदन है । सभा को वे परिस्थितियां मालूम हैं जिन में इस आयुक्त की नियुक्ति की गई थी ।लगभग २-३ वर्ष पूर्व हमें राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन मिला था जो सामान्यतः फजल अली प्रतिवेदन कहलाता है । उस प्रतिवेदन में कुछ सिद्धान्तों को स्वीकृत किया गया था अर्थात् राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के प्रश्न को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और फिर उन्होंने यह सुझाव दिया था कि चूंकि राज्यों के निर्माण अथवा पुनगर्ठन के बाद कुछ राज्यों में कुछ भाषायी अल्पसंख्यकों के बने रहने की संभावना है, विशेषकर सीमान्त क्षेत्रों में, इसलिए वे लोग, जिनकी मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न है, कुछ परित्राणों के हकदार हैं । उस प्रयोजन के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे और उन सुझावों पर गृह-मंत्रालय तथा इस सभा द्वारा विचार किया गया था । हम ने राज्यों के पुनर्गठन और उसकी आनुषंगिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की थी जिन में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए परित्राण की समस्या भी थी और जैसा कि सभा को ज्ञात है स्वयं संविधान में संशोधन किया गया था और दो अनुच्छेद——३५० क और ३५० ख ——जोड़े गये थे । अनुच्छेद ३५०क में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और उसके अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राइमरी प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का प्रयत्न करेगा और इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति किसी भी राज्य को निदेश दे सकेगा । यह परित्राण बहुत आवश्यक समझा गया था । इसीलिए उसे अनुच्छेद ३५०-क के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया था ।

अनुच्छेद ३५०-ख(१) में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबन्ध है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की तरह भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त कहलाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस अधिकारी के कृत्य उपखण्ड (२) में दिये हुए हैं । उसमें कहा गया है कि वह भाषायी अल्पसंख्यकों के परित्राणों से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगा और समय समय पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति ऐसे समस्त प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन में उपस्थापित करायेगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह देखेंगे कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इस सम्बन्ध में क्या किया है । राज्यों के पुनर्गठन के प्रख्यापन के पश्चात् ३० जुलाई, १९५७ को सरकार ने एक उच्च अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया । वह अधिकारी श्री मलिक थे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे तथा कुछ समय पूर्व ही सेवा-निवृत्त हुए थे । उन्होंने ३० जुलाई, १९५७ को यह कार्यभार संभाला था इसलिए यह प्रतिवेदन ३० जुलाई, १९५७ से लेकर ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि के सम्बन्ध में है । इस प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं । और माननीय सदस्यों को भी दी जा चुकी हैं । अब हमें यह विचार करना है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इस प्रतिवेदन में क्या किया है ।

उनके कार्य का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये यह पद सर्वथा नया था और इसलिए निर्मित किया गया था कि अनेक राज्यों में कुछ भाषायी अल्प-संख्यक थे जिनके लिए कुछ परित्राणों का उपबन्ध करना आवश्यक था । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गृह-कार्य मंत्रालय के परिपत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो १९५६ में जारी किया गया था जबकि विधेयक पर विचार किया जा रहा था । उस पत्र में भाषायी अल्पसंख्यकों के परित्राण दिये गये हैं तथा उसे भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन में परिशिष्ट के रूप में मुद्रित किया गया है । माननीय सदस्य देखेंगे कि उस में भारत सरकार ने उन कठिनाइयों का संकेत किया है जो इन परित्राणों के क्रियान्वयन में सम्बन्धित राज्यों को झेलनी पड़ेंगी । इस प्रकार आयुक्त को संविधान के उपर्युक्त उपबन्ध तथा गृह मंत्रालय के स्मरण-पत्र के अनुसार अपना कार्य करना था । चूंकि यह नया काम था इसलिए सारी व्यवस्था की जानी थी । सर्वप्रथम आयुक्त ने यह मालूम किया कि संविधान में दिये गये परित्राणों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अनुच्छेद २९, ३०, ३४७, ३५० और ३५०-क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन में इन परित्राणों का उल्लेख है । वे उन लोगों से सम्बन्धित हैं जो किसी राज्य की प्रादेशिक भाषा से भिन्न कोई भाषा बोलते हैं । इसलिए भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का यह कर्तव्य था कि वह इस बात का पता लगाता कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन परित्राणों को, जो संविधान में तथा गृह मंत्रालय के स्मरण-पत्र में दिये हुए हैं, कहां तक क्रियान्वित किया गया है ।

इस सम्बन्ध में आयुक्त ने पद ग्रहण करने के पश्चात् एक प्रश्नावलि जारी की थी । उसमें राज्य सरकारों से यह पूछा गया था कि उन्होंने भाषायी अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में संविधान तथा गृह मंत्रालय के स्मरण पत्र में दिये हुए परित्राणों के सम्बन्ध में अभी तक क्या किया है और जो काम नहीं किये हैं उनके क्या कारण हैं । यह आयुक्त द्वारा उठाया गया पहला कदम है ।

आयुक्त को विभिन्न लोगों तथा विभिन्न संघों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए और जब कभी भी इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए उन्होंने राज्य सरकारों के विचार भी आमंत्रित किये । इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ राज्यों का दौरा भी किया । प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उस अवधि में उन्होंने सात राज्यों---मद्रास, केरल, आन्ध्र , मैसूर, बम्बई, पश्चिमी बंगाल और

[श्री दातार]

राजस्थान—का दौरा किया। उन्होंने वहां के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने उन व्यक्तियों के शिष्टमंडलों से भी भेंट की जो उनके समक्ष अपने मामले उपस्थित करना चाहते थे।

इस सम्बन्ध में यह भी जान लेना आवश्यक है कि दक्षिण के समस्त राज्यों ने एक छोटी सी समिति नियुक्त की थी जो सामान्य प्रश्नों पर विचार करने के लिए थी क्योंकि मद्रास राज्य में अनेक भाषायें बोलने वाले लोग हैं जैसे तैलगू, कन्नड़, अथवा मलयालयम। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल में बहुत से भाषायी समूह हैं जो राज्य की प्रादेशिक भाषा से भिन्न भाषायें बोलते हैं। आयुक्त ने उस समिति से भी चर्चा की। समिति सामान्य प्रश्नों पर विचार कर रही है क्योंकि बहुत से प्रश्न सामान्य हित के हैं। मद्रास में उन्हें ऐसे लोगों के मामलों पर विचार करना होगा जो तामिल से भिन्न भाषायें जानते हैं। मैसूर में उन्हें ऐसे लोगों के मामलों पर विचार करना होगा जो कन्नड़ से भिन्न भाषायें जानते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये समस्यायें प्रायः सामान्य प्रकृति की थी। इसलिये चारों सरकारों द्वारा यह वांछनीय समझा गया कि वे मंत्रालयिक स्तर पर एक छोटी सी समिति बनायें जो इन प्रश्नों पर विचार करके चारों सम्बन्धित राज्यों द्वारा क्रियान्वयन के लिये सामान्य सिद्धान्त निश्चित करे। उस समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। वह अभी विचार कर रही है और यही कारण है कि आयोग ने यह कहा है कि उसका प्रतिवेदन मिल जाने पर वह अपने आगामी प्रतिवेदनों में उसकी सिफारिशों का उल्लेख करेंगे।

आयुक्त ने इन परिस्थितियों का उल्लेख करने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट मामलों की चर्चा भी की है जिनका मैं बहुत संक्षेप में निर्देश करूंगा। इन प्रारंभिक बातों के उल्लेख के बाद उन्होंने यह संकेत किया है कि विभिन्न प्रश्नों पर राज्य सरकारों ने किस प्रकार कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है। इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न प्राइमरी शिक्षा का है जिसकी चर्चा प्रतिवेदन में की गई है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में उनका यह विचार है कि संविधान तथा स्मरण-पत्र में विनिहित सिद्धान्तों को सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। वे इस बात से सहमत हैं कि प्राइमरी शिक्षा बालक की मातृभाषा में ही दी जानी चाहिये। आयुक्त ने कुछ राज्यों के उपबन्धों का निर्देश किया है, जिनमें पंजाब भी सम्मिलित है, और यह संकेत किया है कि इस मामले पर राज्य सरकार किस प्रकार ध्यान दे रही है। इसके सम्बन्ध में ब्यौरे की बातों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

फिर उन्होंने माध्यमिक (सेकंडरी) शिक्षा की चर्चा भी की है। उनका विचार है कि राज्य स्मरण-पत्र में विनिहित सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों को विश्वविद्यालयों, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां थी। इस सम्बध में उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें भेदभाव किये जाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ भी इस प्रश्न की चर्चा की और राज्य सरकारें यह मानने लगी हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिये ऐसे दस्तावेजों के स्वीकार किये जाने जो राज्य की प्रादेशिक भाषा से भिन्न किसी भाषा में हों, की आवश्यकता भी उल्लेखनीय है। इस प्रश्न पर भी उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ चर्चा की थी। आसाम, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, मैसूर और मद्रास की राज्य सरकारों ने कहा

है कि उनके राज्यों में यह सुविधा मौजूद है। आसाम में उन्होंने संकेत किया है कि आसामी अथवा बंगाली अथवा अंग्रेजी में भी दस्तावेज रजिस्टर किये जायें। अब इस प्रश्न के सम्बंध में पश्चिमी बंगाल में प्रयत्न किया जा रहा है।

इसके बाद निवास स्थान का प्रश्न भी है। संविधान में निवास स्थान की योग्यता के नियमों का कुछ निर्देश किया गया था। संभवतः अनुच्छेद ३५ में यह कहा गया है कि संसद निवास स्थान की योग्यता के सम्बन्ध में अधिनियम पारित कर सकेगी। विभिन्न राज्यों में ऐसी कुछ शर्तें थीं परन्तु उनमें से कुछ बहुत कठोर थीं। इसलिये इस प्रश्न पर समस्त राज्य सरकारों से लिखापढ़ी की गई और अन्ततः संसद ने एक कानून पास किया जिसके द्वारा निवास स्थान की योग्यता सम्बन्धी समस्त नियम खत्म कर दिये गये—कुछ मामलों को छोड़ कर जिनमें स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन देने की अनुमति दे दी गई। उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश में अथवा तेलंगाना क्षेत्र में ऐसी अनुमति दी गई क्योंकि निम्न स्तर पर यह वांछनीय समझा गया कि उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को ही मौका दिया जाय। परन्तु इन अपवादों के अधीनस्थ यह अधिनियम समस्त भारत पर लागू होता है। पहले ऐसे कुछ प्रतिबन्ध थे परन्तु संसद् द्वारा इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् समस्त राज्य सरकारें इस बात के लिये सहमत हो गई हैं कि इस प्रकार के समस्त प्रतिबन्ध हटा दिये जाये क्योंकि हमारे देश में विभिन्न राज्य होने पर भी अन्ततः नागरिकता एक ही है। इसलिये विचार यह है कि एक राज्य के व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में नौकरी प्राप्त करने से रोका नहीं जाना चाहिये। इसलिये जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, स्थिति में काफी सुधार हो रहा है।

कुछ मामलों में आयुक्त ने यह भी पाया कि एक राज्य में उसी राज्य के विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता प्राप्त है और राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त उपाधियों के सम्बन्ध में यह नियम है कि सरकारी सेवा में उन उपाधिधारियों की नियुक्ति किये जाने के पूर्व राज्यपाल उन उपाधियों को मान्यता प्रदान करे। इस सम्बन्ध में भी काफी प्रगति हुई है और राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों को किसी भी राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने के योग्य समझा जाना चाहिये। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके बाद उर्दू को प्रोत्साहन देने का प्रश्न आता है जिस पर आयुक्त ने बहुत ध्यान दिया है। उन्हें देश के विभिन्न भागों से अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी जैसी कि सरकार को भी प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये स्मरण-पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह परिपत्र राजभाषा सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन में परिशिष्ट ४ के रूप में प्रकाशित हुआ है। आप देखेंगे कि उसमें उर्दू के (एक भारतीय भाषा के रूप में) प्रश्न तथा उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता की विस्तृत चर्चा की गई है और वास्तविक स्थिति की अधिकृत व्याख्या की गई है। इसलिये मैं उसका बहुत संक्षिप्त निर्देश करना चाहूंगा जो उर्दू के सम्बन्ध में उस परिपत्र में कहा गया है। वह समस्त राज्यों को भेजा गया है और हमें विश्वास है कि अधिकांश राज्य सरकारें उन्हीं सिफारिशों पर चल रही हैं जो हमने उनसे की थी।

इस परिपत्र में, जो दिनांक १४ जुलाई, १९५८ को जारी किया गया था, यह कहा गया है कि उर्दू और हिन्दी बहुत निकटतया संबद्ध हैं तथा उन्हें मूलतः एक ही भाषा समझा जाना चाहिये। यद्यपि भारत के बहुत से लोग उर्दू बोलते हैं और उसे अपनी मातृभाषा मानते हैं—विशेषकर उत्तरी भारत में—परन्तु उसका प्रयोग किसी भी राज्य में बहुमत द्वारा नहीं किया

[श्री दातार]

जाता है। उत्तरी भारत में, विशेषकर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, उर्दू का प्रयोग काफी होता है परन्तु वह मुख्यतः शहरों के लोगों तक सीमित है जो अल्प-संख्यक हैं। भूत काल में उर्दू के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र दिल्ली शहर और लखनऊ रहे हैं। फिर पैरा ५ में यह भी संकेत किया गया है कि उर्दू का मातृ-भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों को कुछ सुविधायें दी जानी चाहियें। ये सुविधायें ५ हैं :

(१) उनके बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा उर्दू में देने की व्यवस्था।

(२) उर्दू में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों और अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध।

(३) माध्यमिक शिक्षा में उर्दू के माध्यम की सुविधा।

(४) न्यायालय और कार्यालयों द्वारा उर्दू में लिखित दस्तावेजों का स्वीकार किया जाना।

(५) मुख्य कानूनों, नियमों और विनियमों तथा विज्ञप्तियों का उर्दू में जारी किया जाना।

फिर उसमें उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में हिन्दी-उर्दू के प्रश्न की चर्चा की गई है और कहा गया है कि उनमें स्पर्धा का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि हिन्दी का स्थान प्रधान है। परन्तु संविधान के उपबन्ध के अनुसार यह आवश्यक है कि उर्दू बोलने वालों को उसके लिये कुछ सुविधायें दी जायें, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में जो उर्दू के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। उसके बाद पंजाब का निर्देश भी किया गया है और यह स्पष्ट कह दिया गया है कि उसके सम्बन्ध में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार न किया जाय। आयुक्त के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि समस्त राज्य सरकारें इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं।

वर्तमान आन्ध्र प्रदेश में उर्दू की स्थिति के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है जहां तक हैदराबाद नगर, सिकन्दराबाद नगर और तेलंगाना क्षेत्र का सम्बन्ध है। आपको ज्ञात होगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय वहां तेलगू-भाषी और उर्दू-भाषी लोगों के बीच एक करार हुआ था तथा स्कूलों और सेवाओं आदि के सम्बन्ध में कुछ फार्मूले बनाये गये हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि उर्दू के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

एक बात और उल्लेखनीय है। आयुक्त ने कहा है कि उन्हें कई राज्य सरकारों से उत्तर नहीं मिले तथा अनेक मामलों में उन्हें अनुस्मारक भेजने पड़े। इस कारण यह प्रतिवेदन अपूर्ण कहा जा सकता है। परन्तु हमें सारी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि उनकी नियुक्ति पुनर्गठन के तुरन्त बाद की गई थी जब कि राज्य सरकारें पुनर्गठन सम्बन्धी समस्याओं में उलझी हुई थीं जिनमें क्षेत्रों और सेवाओं का समेकन भी सम्मिलित है। यही कारण है कि बहुत सी राज्य सरकारें आवश्यक जानकारी उतने शीघ्र नहीं भेज सकीं जितना वांछनीय था। परन्तु फिर भी मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रश्न को पूरा पूरा महत्व दें क्योंकि इनमें से अधिकांश राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यक हैं। उन्हें वे समस्त अधिकार दिये जाने हैं जिनके वे हकदार हैं, विशेषकर विशिष्ट अधिकार। दूसरी ओर इन भाषायी अल्प-संख्यकों को भी यह समझना चाहिये कि उन्हें प्रादेशिक भाषा भी सीखने का प्रयत्न करना चाहिये। यह ठीक है कि इन नियमों और उपबन्धों के अन्तर्गत उन्हें कुछ विशिष्ट अधिकारों का हक होगा परन्तु इन विशिष्ट अधिकारों का लाभ उठाते हुये उन्हें अपने को उस

राज्य का पूर्ण सदस्य भी समझना चाहिये और इसलिये यदि वे प्रादेशिक भाषा सीखते हैं तो उन्हें न केवल नौकरी प्राप्त करने में सुविधा होगी वरन् समाज के अन्य सदस्यों के साथ भी मिलने जुलने में सहूलियत होगी। इसलिये इस प्रश्न पर पूरी सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिये और एक ओर तो उन लोगो को अपने को उस क्षेत्र के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस प्रकार के लोगों के परिपत्रों की रक्षा करें और उनकी वैध शिकायतों को यथाशीघ्र दूर करें।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, यह पहला प्रतिवेदन है। आयुक्त ने अनेक बातों की चर्चा इसमें की है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस आशय के संशोधन रखे हैं कि यह प्रतिवेदन अपूर्ण है और आयुक्त ने कुछ चीजें नहीं की हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें उन कठिन परिस्थितियों का भी विचार करना चाहिये जिनमें वह काम करते हैं। वह कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं, अन्ततः उनके सुझावों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वास्तव में वह केवल 'अनुसन्धान अधिकारी' हैं। वह अनुसंधान करने के बाद राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर उसकी प्रतियां विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं और हम उनसे यह अनुरोध करते हैं कि वे हमें और आयुक्त को यह सूचना दें कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है और जहां कहीं सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी है उसके लिये विलम्ब और अक्रियान्वयन के कारण बतायें। हमने एक विशेष शासनयंत्र की व्यवस्था की है जो ऐसी सारी शिकायतों पर विचार करेगा और जो इस प्रश्न की जांच करेगा कि परिपात्रों का समुचित उपबन्ध है या नहीं। यह अभिकरण न केवल केन्द्रीय सरकार के लिये ही उपयोगी होगा वरन् राज्य सरकारों के लिये भी क्योंकि वह उनका ध्यान भाषायी अल्पसंख्यकों की वैध आवश्यकताओं और शिकायतों पर केन्द्रित करेगा। इन सब परिस्थितियों का विचार करते हुये मैं समझता हूं कि आयुक्त ने अपना कार्य काफी सन्तोषजनक किया है और मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में उन्हें राज्य सरकारों से पूरी सामग्री मिलेगी और राष्ट्रपति द्वारा इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति में, जहां कहीं भी वह सन्तोष जनक नहीं है, सुधार होगा और उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा तथा उन्हें दूर किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री महन्ती** (देंकानाल) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बी० दास गुप्त** (पुरुलिया) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : यह प्रस्ताव और संशोधन सभा के सामने चर्चा के लिये प्रस्तुत है।

†**श्री महन्ती** : मैंने माननीय मंत्री का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के पहले प्रतिवेदन की हो सकने वाली आलोचनाओं का अनुमान उन्होंने ठीक ही लगाया है। लेकिन कहना पड़ता है कि उन्होंने इस समस्या की विशालता और इसकी पृष्ठभूमि को ठीक से नहीं समझा है। इसीलिये उनके भाषण में गम्भीरता की कमी है

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की उत्पत्ति कैसे हुई ? यह जान लेने से हमें इस समस्या के विराट रूप का भी पता चल जायेगा। सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद २९, ३० और ३५० में अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि, शैक्षणिक संस्थाओं और कष्ट निवारण के संबंध में कुछ अधिकार दिये गये हैं। लेकिन अभी तक उनके पालन की अपेक्षा उनका उल्लंघन ही हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इसका विशेष उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि इस संबंध में की गई जांच से पता चला है कि संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को जो परित्राण दिये गये हैं, वे उनका सांस्कृतिक दमन और आर्थिक शोषण रोकने में अपर्याप्त सिद्ध हुये हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के भाषाई अल्पसंख्यक किन परिस्थितियों में रहते हैं। आयोग के सदस्यों पर कोई भी असंयम और अतिशयोक्ति का आरोप नहीं लगा सकता। इस आयोग के प्रतिवेदन के बाद ही यह आवश्यक समझा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये कुछ परित्राणों की व्यवस्था की जानी चाहिये। १९५६ में सरकार अनुच्छेद ३५० में संशोधन करने से हिचक रही थी। वह अनुच्छेद ३५० में ३५०ख जोड़ने से कतरा रही थी। सरकार ने इस सिफारिश को बिना किसी हिचक के स्वीकार नहीं किया था। काफी खींचतान के बाद ही, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव माना गया था।

यह संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक दिसम्बर १९५६ के आसपास पारित हुआ था। लेकिन इस आयुक्त की नियुक्ति ३० जुलाई, १९५७ को ही की गई थी। और भी मजेदार बात तो यह है कि इस आयुक्त ने २७ अक्तूबर, १९५७ को ही और वह भी इलाहाबाद में अपना कार्यालय चालू किया था। जुलाई से अक्तूबर तक, अपनी नियुक्ति के बाद तीन महीनों तक यह आयुक्त क्या करते रहे ?

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

देश की लाखों जनता, सभी भाषाई अल्पसंख्यक सरकार से इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें, इन तीन महीनों का वेतन मिला था ? फिर सवाल यह है कि उनका कार्यालय इलाहाबाद में क्यों रखा गया ? इलाहाबाद में तो कोई भी भाषाई अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते। और आयुक्त ने तब से अब तक इस एक अपूर्ण से प्रतिवेदन को तैयार करने के अतिरिक्त और क्या किया है ? मैं तो कहता हूं कि यह प्रतिवेदन अपूर्ण ही नहीं, असंवैधानिक भी है।

अब अनुच्छेद ३५०ख की शब्दावली देखिये। अनुच्छेद ३५०ख(२) में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के पद निर्देश बड़ी स्पष्टता से परिसीमत कर दिये गये हैं। आयुक्त का संबंध भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी मामलों से रहेगा। अब सवाल है कि सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार माने हैं ? उनके अधिकार हैं : शैक्षणिक सुविधायें, मातृभाषा में शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों के स्कूलों को मान्यता और आर्थिक सहायता, मातृभाषा पढ़ने के लिये सुविधायें, राज्य की और अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती, व्यापार या व्यवसाय में समानता, नोटिसों और नियमों, इत्यादि का अल्पसंख्यकों की भाषाओं में प्रकाशन। सरकार ने उनके इन्हीं शिक्षा संबंधी और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दी है।

इनको देखते हुये, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के काम दो प्रकार के थे। उन्हें देश भर में घूम कर सभी भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित सभी मामलों की जांच करनी चाहिये थी और उनके प्रतिवेदन में सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिये था। अनुच्छेद ३५०ख की यही अपेक्षा थी। इसीलिये मैं इस प्रतिवेदन को अपूर्ण ही नहीं, असंवैधानिक भी मानता हूं। हम जानते हैं कि सरकार तो अपने बहुमत पर ही विश्वास रखती है और वह इसका कोई ठीक ठीक उत्तर देना जरूरी नहीं समझेगी लेकिन इस प्रश्न को दलगत प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये। सरकार को इस मामले में दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिये। हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश के भाषाई अल्पसंख्यक लोग भय

और शोषण तथा दमन से मुक्त होकर अपने कर्त्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग कर सकें। लेकिन इस प्रतिवेदन में न तो इस समस्या के सभी पहलू लिये गये हैं और न देश के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

मैं पूछता हूं कि यह आयुक्त बिहार में बिलकुल ही क्यों नहीं गया? बिहार एक महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है। हमें उस राज्य पर गर्व है। बिहार ने ही हमें अशोक और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति दिये हैं। इस प्रतिवेदन में बिहार राज्य के उड़िया और बंगाली अल्पसंख्यकों के बारे में एक शब्द भी नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि बिहार में एक के बाद एक उनके प्राथमिक स्कूल बंद होते जा रहे हैं। उनके पास रुपये पैसे की तंगी है। वहां उड़िया अध्यापकों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आयुक्त को वहां जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। इसलिये यह प्रतिवेदन अपूर्ण है और संविधान की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता। इसलिये आयुक्त से इसकी कमी पूरी करने के लिये एक दूसरा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा जाना चाहिये। अनुच्छेद ३५०ख (२) में यह व्यवस्था भी है कि राष्ट्रपति समय समय पर आयुक्त से ऐसे प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कह सकते हैं। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि यह प्रतिवेदन साल में केवल एक ही बार तैयार किया जाये। आशा है कि वह दूसरा प्रतिवेदन भी सभा-पटल पर रखा जायेगा।

अब इसका एक दूसरा पहलू लीजिये। माध्यमिक शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा के मामले में सभी राज्यों में एक ही एकरूप नीति अपनाई जानी चाहिये। सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक ही नहीं, यदि माध्यमिक स्कूलों के भी विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा लेने की मांग करे, तो राज्य सरकार को अनिवार्यतः उसका प्रबन्ध करना चाहिये। लेकिन इस दिशा में किसी ने कुछ नहीं किया। आयुक्त ने इसके बारे में भी क्यों कुछ नहीं कहा?

इससे भी महत्वपूर्ण एक और पहलू है। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि संविधान की गारंटी है कि व्यापार या व्यवसाय के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। और यदि किया जाता है तो उसके लिये न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

लेकिन उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में तो वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास उतनी गुंजाइश हो। और जब राज्य ही भाषाई अल्पसंख्यकों के सभी अधिकारों को कुचलने पर तुला हो, तो वे इनकी शरण कैसे ले सकते हैं? इसलिये आयुक्त का कर्त्तव्य था कि वह बताते कि भाषाई अल्तसंख्यकों के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है।

इसका एक उदाहरण लीजिये। बिहार सरकार ही उड़िया अध्यापकों की नियुक्ति करती है। उनकी एक अपनी पदालि है। वे अध्यापक उड़िया भाषा के अतिरिक्त और भी विषय पढ़ाते हैं। अब एक एक करने उनके तबादिले किये जा रहे हैं, और उनकी जगह हिन्दी अध्यापक रखे जा रहे हैं। और फिर, सरकार कहती है कि उड़िया अध्यापक मिलते ही नहीं। सरायकेला और खारस्वान सब डिवीजनों के माध्यमिक स्कूलों के उड़िया विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं लेने दी जाती।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त इन तथ्यों की जांच तो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं की। वह बिहार गये ही नहीं। और फिर, आयुक्त की सारी कार्यवाही गुप्त ढंग से की जाती है। मैं जानबूझ कर 'गुप्त' शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आयुक्त ने संबंधित भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने

[श्री महन्ती]

निर्देश पदों के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी, केवल राज्य सरकारों को ही किसी तरह का एक परिपत्र जारी कर दिया था। भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी कठिनाइयां पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया। और जब राज्य सरकार खुद ही भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेद-भाव बरतती है, तो फिर वे आयुक्त के प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर क्यों जुटाती। कई राज्य सरकारों ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। आयुक्त को अपने निर्देश पदों को प्रकाशित और प्रचारित कराना चाहिये था। तभी अच्छी तरह से कोई जांच की जा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।

यह समस्या आयुक्तों की नियुक्ति या राष्ट्रपति के निदेशों से हल नहीं की जा सकती। इसका हल तो तभी किया जा सकता है जब, मद्रास और आंध्र प्रदेश के तरीके से, महाराष्ट्र तथा मैसूर और उड़ीसा तथा बिहार के भाषाई राज्यों के सीमा विवादों को गांव की एक यूनिट मानकर हल किया जाये। सरकार को इसमें अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिये।

आयुक्त मध्य प्रदेश के रायपुर जिले की महासमुद्र तहसील में रहने वाली, उड़िया भाषी जनता की दशा के बारे में बिलकुल चुप क्यों हैं ? वहां उनकी संख्या ५० प्रतिशत से भी अधिक है।

मेरा अनुरोध है आयुक्त को उनकी दशा की जांच करने का आदेश दिया जाये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : यह प्रतिवेदन बड़ा निराशाजनक है। मैं तो समझता था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जब यह दायित्व सौंपा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त बनाया गया है, तो वह अवश्य ही इस समस्या को सोच विचार के लिये कुछ अधिक समय देंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में साफ कहा है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद पैदा होने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों को जबतक उचित संरक्षण नहीं दिया जायेगा वे सन्तुष्ट नहीं होंगे।

मैसूर और बम्बई की सीमाओं की एक समस्या देखिये। कन्नड़ राज्य का एक हिस्सा भूतपूर्व बम्बई राज्य में था। वहां की जनता भी सांस्कृतिक रूप से मराठी-भाषी जनता के साथ घुलमिल गई थी। राज्य पुनर्गठन की सहूलियत के मुताबिक उसके एक बड़े भाग को मैसूर में मिला दिया गया था। और उसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा आन्ध्र और मध्य प्रदेश में मिलाया जा रहा है।

अब ऐसी दशा में आयुक्त का कर्तव्य था कि वह अल्पसंख्यकों के पास जाते और, एक व्यापक पैमाने पर जांच-पड़ताल करके, उनकी आवश्यकताओं और असुविधाओं का पता लगाते। लेकिन उन्होंने इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार से प्राप्त कुछ शिकायतों की एक सूची देने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है।

सभी माननीय सदस्यों के भाषणों से यही नतीजा निकलता है कि बंगाल तथा बिहार और बिहार तथा उड़ीसा और बम्बई तथा मैसूर राज्यों के बीच के, भाषाई अल्पसंख्यकों के सभी क्षेत्रों में बड़ी तनातनी है। यह बड़ी गम्भीर चीज है। सरकार ने इन अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को दूर करने का दायित्व अपने कंधों पर लिया था, और अब यदि आयुक्त उस दायित्व को नहीं निभा

†मूल अंग्रेज़ी में

सकते तो उनके कार्यालय से कोई लाभ ही नहीं। यह कार्यालय भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने में असमर्थ रहा है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पूर्वी यूरोप में भी अल्पसंख्यकों की ऐसी ही समस्यायें खड़ी हो गई थीं। 'लीग आफ नेशन्स' ने उनको हल किया था। आयुक्त को उनका अध्ययन करना चाहिये और उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। तभी वह अपना दायित्व निभा सकेंगे।

आज स्थिति क्या है ? आयुक्त को जो शिकायतें मिलती हैं, उनकी जांच के लिये उनका उस स्थान पर जाना जरूरी नहीं है। वह उन शिकायतों को राष्ट्रपति या सम्बन्धित राज्य सरकार के पास भेज देते हैं। और राज्य सरकारें तो स्वयं ही भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा, उनके व्यापार और उनकी सांस्कृतिक कार्यवाहियों के दमन में लगी रहती हैं। प्राथमिक स्कूलों और प्रशासन के मामलों में भी उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है। माननीय मंत्री इसे भली भांति जानते हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में तनातनी है।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार, हर राज्य को अनिवार्य रूप से अपने यहां के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उनकी ही भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें जुटानी चाहिये। लेकिन राज्य सरकारें यह बहाना बना देती हैं कि ऐसे अध्यापक ही नहीं मिलते।

मैंने बेलगाम में जाकर खुद पता लगाया है कि वहां के ट्रेनिंग कालेज में मराठी क्षेत्र के अध्यापकों को लिया ही नहीं जाता, इसलिये मराठी के अध्यापक भी नहीं मिलते।

कन्नड़ क्षेत्र के एक हिस्से को बम्बई से निकाल कर मैसूर में मिलाने और एक को बम्बई राज्य में ही रखने और दो छोटे-छोटे हिस्सों को आन्ध्र और मध्य प्रदेश में मिलाने का कोई भी न्याय संगत आधार नहीं है।

जब सिद्धान्त यह रक्खा जा रहा है कि मैसूर राज्य एक-भाषीय राज्य बनाया जा रहा है, तो फिर उसमें मराठी-भाषी क्षेत्र को क्यों शामिल किया जा रहा है ? इसीलिये वहां इतनी ज्यादा तनतनी है।

इसके विपरीत आन्ध्र और मध्य प्रदेश के उन कन्नड़ क्षेत्रों में तनातनी नहीं है। इसका कारण यही है कि उन राज्य सरकारों ने स्थानीय प्रशासकीय व्यवस्था को ज्यों का त्यों रहने दिया है। दूसरी ओर मैसूर क्षेत्र में अब छोटे-छोटे अधिकारी भी अब कन्नड़ भाषी ही रखे गये हैं।

बेलगाम एक सीमावर्ती नगर है। वहां मराठी-भाषी लोग ही अधिक हैं। वहां माध्यमिक शिक्षा की अन्तिम कक्षा के लिये कुल ३,००० विद्यार्थी बैठ रहे थे, जिनमें से २,३०० बम्बई राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठना चाहते थे। उनको ऐन परीक्षा के दिनों तक अनुमति नहीं दी गई थी। तब तक मैसूर राज्य सरकार ने उनसे परीक्षा की फीस ले ली थी। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों के कोई अधिकार ही नहीं माने जाते। वहां हर साल यही होता है। इसके विरुद्ध उस क्षेत्र में १०,००० व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया, कुछ उनमें से अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, लेकिन हमारे शिकायत भेजने पर भी आयुक्त ने उस क्षेत्र में आना जरूरी नहीं समझा। **स्टेट्समैन** के एक विषेश प्रतिनिधि ने वहां जाकर समस्या का अध्ययन किया था और एक लेख माला भी लिखी थी। उसने अपने एक लेख में कहा है कि मुख्य समस्या यही है कि पर्यवेक्षण, जांच-पड़ताल और मध्यस्थ-निर्णय के लिये एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाय जिससे सभी अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया जा सके कि उनके कष्ट दूर किये जायेंगे।

इसी तरह का एक और उदाहरण है। बेलगाम में एक बड़ा प्रसिद्ध पार्वती देवी कालेज है, उसे पहले बम्बई राज्य से आर्थिक सहायता मिलती थी लेकिन अब मैसूर सरकार उसकी कोई भी सहा-

[श्री खाडिलकर]

यता नहीं करती। उसे पूना या बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की अनुमति भी नहीं दी जाती। क्या यही लोकतांत्रिकता है ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारण के समय जो वचन दिया गया था, यह उसे भंग करना है।

जब यह सब हो रहा है तो फिर पता नहीं आयुक्त के कार्यालय, इस डाकघर की उपयोगिता भी क्या समझी जा रही है। यह बिल्कुल बेकार है। हमें भाषाई अल्पसंख्यकों के सभी छोटे-छोटे क्षेत्रों को उचित ढंग से समायोजित करना चाहिये। जिस राज्य में भी भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ न्याय न किया जा रहा हो, केन्द्रीय सरकार को उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इस कार्यवाही का दायित्व जोनीय परिषदों को सौंपा जाना चाहिये। इसे राज्य सरकारों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। राज्य सरकारें तो आम तौर पर इन अल्पसंख्यकों को राज्य भक्त ही नहीं समझतीं।

व्यापार के क्षेत्र में भी इन अल्पसंख्यकों के लिये ऐसी कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री को कम से कम इन क्षेत्रों की तनातनी दूर करने का तो प्रयत्न करना ही चाहिये। भाषाई अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देना ही लोकतांत्रिकता का तकाजा है। आज भाषा का मसला राजनीतिक साधन बन गया है। इसलिये इसका जल्द से जल्द हल किया जाना अत्यावश्यक है।

लेकिन इसे हल करने के लिये आवश्यक है कि आयुक्त अपने संवैधानिक दायित्वों की ओर इससे अधिक ध्यान दें और इसके लिये एक उचित वातावरण बनाने में सहायता दें।

†**श्री बी० दास गुप्त** (पुरूलिया) : मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वह यह, कि बिहार के बंगाली भाषी अल्पसंख्यक गत १० वर्षों से भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पता नहीं वह समय कब आयेगा जब वे अनुभव करेंगे कि इस देश में उन्हें मूल अधिकार प्राप्त हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बावजूद पुरूलिया का इलाका बंगाल में सम्मिलित नहीं किया गया। १,१२,००० बंगाली भाषी लोग बिहार में रह गये। बिहार के सिंहभूम जिले में बंगालियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। जिस जिले में शत प्रतिशत आबादी बंगालियों की है, वहां भी सभी सरकारी दस्तावेज हिन्दी में ही प्रकाशित किये जाते हैं। एक भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है जहां शिक्षा का माध्यम बंगला हो। इसी प्रकार की व्यवस्था धनबाद, घलभूम और संथाल परगना में भी है। गृह-कार्य मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को आदेश दिया जाना चाहिये कि वह उपरोक्त स्थानों पर जा कर उनकी दशा की पूरी जांच करे ताकि पता लग सके कि वे किस अवस्था में रह रहे हैं। यदि उनकी अवस्था में परिवर्तन लाने की कोई व्यवस्था न की गई तो उनका आर्थिक जीवन भी खतरे में पड़ जायेगा। उस खतरे से उनकी रक्षा की जानी चाहिये।

बिहार के मुख्य मंत्री को बहुत बार इस बारे में लिखा गया तो उन्होंने यह कहा कि जो कोई बंगला में किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि मांगेगा उसे दे दी जायेगी। अब प्रत्येक के लिये बंगला प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र देना व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी सम्भव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही बुरी अवस्था है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बहुत प्राइमरी स्कूल आरम्भ किये गये हैं, परन्तु किसी में बंगला नहीं पढ़ाई जाती। आप लोग वहां जाकर हालत देख सकते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रियों के गत सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि प्रत्येक बालक के लिये प्रारम्भिक अवस्था में अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने

†मूल अंग्रेजी में

की व्यवस्था की जायेगी। गृह-कार्य मंत्री का कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को इस क्षेत्र में जाने का आदेश दे ताकि वह स्वयं वहां की अवस्था का अध्ययन कर, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार शेष बिहार की अवस्था है और सभी स्थानों की एक ही कहानी है। मैं गृह-कार्य मंत्री पर इस बात के लिये जोर दूंगा कि वह बिहार सरकार को कहें कि जिन क्षेत्रों में बंगालियों की आबादी २० से २५ प्रतिशत है, वहां बंगला को क्षेत्रीय भाषा स्वीकार किया जाये, जिस प्रकार कि आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद में मराठी को क्षेत्रीय भाषा मान लिया गया है। इस क्षेत्र में मराठी भाषियों की संख्या २० प्रतिशत है। परन्तु मेरा कहना तो यह है कि बिहार में जहां ५० प्रतिशत भी बंगाली हैं, वहां भी सरकारी नोटिस बंगाली में नहीं निकाले जाते। जो गरीब अशिक्षित लोग हिन्दी नहीं जानते उन्हें दर-दर के धक्के खाने पड़ते हैं।

मेरा मत यह है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये जो संरक्षणों की व्यवस्था है वह सब संविधान के पृष्ठों पर ही है। उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। सरकार को चाहिये कि वह उन्हें देश के विभिन्न भागों में समुचित ढंग से कार्यान्वित करे। इसके अतिरिक्त सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने जो प्रश्नावलि बिहार सरकार को भेजी थी, उसका उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया। मनीपुर और हिमाचल प्रदेश की ओर से भी उत्तर न आने की जांच की जानी चाहिये।

†**श्री मनायन** (दार्जिलिंग) : भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन में कोई ऐसी नई बात नहीं कही गई है जिसे हम पहले से न जानते हों। वही बातें हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कही गई थीं। यह ठीक है कि विभिन्न राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों का संक्षेप से सर्वेक्षण करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस बात को भी मानता हूं कि यह समस्या बहुत जटिल है और आयुक्त महोदय को ठीक ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उनकी कठिनाइयों का भी हमें पूरा ज्ञान है।

देश के विभिन्न भागों में ऐसे लोग रहते हैं, जो अल्पसंख्या में होते हुये भी अपनी अलग भाषा और संस्कृति रखते हैं। इनके लिये व्यवस्था होनी ही चाहिये। आज राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन राज्यों का निर्माण हुआ है उनमें उपरोक्त प्रकार की अनेक भाषाई इकाइयां हैं। उनके लिये अलग-अलग राज्य निर्माण करना तो सम्भव नहीं है परन्तु इन अल्पसंख्यकों के लिये संविधान के अनुच्छेद २९ के अन्तर्गत समुचित संरक्षण की व्यवस्था है।

राज्यों के सीमा-विवादों के संबंध में जो पागलपन देखने को मिला था उसकी स्मृति अभी भी ताजी है। यह एक सराहनीय बात है कि विभिन्न भाषा भाषियों के मामले खटाई में नहीं डाले गये। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाली साम्प्रदाय को भी राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निमन्त्रण दिया था। उन्हें पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की भाषाई अन्य अल्पसंख्यक जाति स्वीकार किया गया है। परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को इस तथ्य का पता नहीं है। पश्चिमी बंगाल में सन्थाली, नेपाली, हिन्दी और उर्दू बोलने वाली अल्पसंख्यक इकाइयां हैं, परन्तु आयुक्त महोदय ने किसी को भी उनका दृष्टिकोण अथवा शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए निमन्त्रित नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनायत]

इसके अतिरिक्त इन अल्पसंख्यक लोगों के क्षेत्र में जाकर उनकी स्थिति देखने का कष्ट भी आयुक्त महोदय ने नहीं किया। वह कलकत्ता से बाहर कहीं गये ही नहीं। हमें तो आशा थी कि इस आयुक्त का प्रतिवेदन भी उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने प्रस्तुत किया है। परन्तु ऐसा नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि गृह-कार्य-मंत्रालय को व्यवस्था करनी चाहिये कि आगामी प्रतिवेदन व्यापक तथा वास्तविकतापूर्ण हो। इसके साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों की अनुसूची भी तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में सूत्र तो निर्धारित हो चुका है। अतः सूची तैयार करने म कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आयुक्त महोदय को उन समस्त स्थानों पर जाना चाहिए जहां ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं और इस बात की जांच करनी चाहिए कि जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, क्या इस से समुचित रूप में हम उनके (अल्प-संख्यकों) हितों की रक्षा कर सकगे। आयुक्त महोदय को इन लोगों के प्रतिनिधियों से मिल कर उनका दृष्टिकोण जानना चाहिए।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अल्पसंख्यक भाषायी इकाइयां के हितों के संरक्षण के लिए हमें राज्यों के राज्यपालों की सेवाय प्राप्त करनी चाहिये। परन्तु, मेरा मत यह है कि इस से लाभ के मुकाबले में हानि होने की अधिक संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भाषायी अल्प-संख्यकों को संरक्षण देने का काम काफी अच्छे ढंग सेपकिया गया है। शिक्षा संस्थाओं में नेपालियों को काफी सुविधायें प्राप्त हैं और इसी प्रकार अन्य भाषायी अल्प संख्यकों को भी सुविधायें दी गयी हैं। परन्तु मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करवा चाहता हूं कि यह निर्णय हो चुका था कि दार्जिलिंग की अदालती भाषा नेपाली होगी परन्तु फिर भी अभी वहां अंग्रेजी ही चलाई जाती है। सामुदायिक विकास खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की मंत्रणादाता परिषदों की कार्यवाही भी अंग्रेजी में निकाली जाती है। इस से देहात के लोगों को असुविधायें होती हैं। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाये। क्योंकि भारत के नेपाली भाषी लोगों के लिए यह बड़ी स्फूर्ति का काम देती रही है। केवल संरक्षणों से ही तो भाषा जीवित नहीं रहेगी। आर्थिक और सेवाओं के क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक भाषाइयों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। बंगाल के मुख्य मंत्री श्री विधान चन्द्र राय प्रयत्न कर रहे हैं कि दार्जिलिंग के जिले में राज्य सेवाओं में पहाड़ी लोगों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाये।

एक और बड़े महत्व की बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। आज भारत की उत्तरी सीमा में जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति भी नेपाली लोग काफी सचेत हैं। दार्जिलिंग, सिक्कम में रहने वाले लोगों में बहुमत नेपालियों का ही है। मेरा अनुरोध है कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए ताकि ये लोग अपनी नयी जिम्मेदारियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभा सकें। इसके अतिरिक्त आयुक्त के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण तो दिया जाना चाहिए, परन्तु इस से किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि आसाम के नेपालियों के सम्बन्ध में आयुक्त के प्रति-वेदन में कुछ नहीं कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अच्छा काम किया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फ़तेहपुर) : मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के ही एक जेष्ठ न्यायाधीश, भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त हैं। उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

†मूल अंग्रेजी में

है उस में उन्होंने विभिन्न राज्यों के भाषायी अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है, तथापि वह कार्य ऐसा नही है जिसके लिये उनकी प्रसंशा की जा सके, वस्तुतः वैसा कार्य तो गृह-मंत्रालय का कोई भी अवर सचिव कर सकता था।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में यह भावना बढ़ती जा रही है कि यदि कोई किसी प्रादेशिक भाषा के विकास का समर्थन करता है तो उसे हिन्दी का विरोध समझा जाता है। यह बहुत घातक प्रवृति है। वस्तुतः हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है अतः इस संबंध में हमारा कोई विरोध नहीं है। इसी संबंध में यह भी कहा जाता है कि हिन्दी उर्दू में कोई भेद नहीं है। निसंदेह संविधान सभा में जिस हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था वह उर्दू के बहुत निकट थी, लेकिन पिछले बारह वर्षों में हिन्दी का विकास जिस रूप में हुआ है वह आम लोगों की भाषा से बहुत दूर हो गई है और इसी प्रकार वह उर्दू से भी बहुत दूर हो गई है।

मेरा अपना यह मत है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक परि-पत्र भेजा है जिस में कहा गया है कि उर्दू भाषा भाषियों को उपयुक्त सुविधायें दी जांय। इसी संबंध में यह निदेश है कि यदि किसी स्कूल में उर्दू पढ़ने वालों की संख्या ४० से अधिक हो या किसी कक्षा में उनकी संख्या १० से अधिक हो तो संस्था को उर्दू अध्यापक का प्रबन्ध करना चाहिये। लेकिन इस से व्यवहारतः क्रियान्वित नहीं किया जाता है। वस्तुतः यह भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का कर्तव्य है कि वह यह पता लगाये कि स्कूलों में ऐसी सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं या नहीं। तथापि इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जहां अधिकांश जिलों की भाषा उर्दू थी वहां अब हिन्दी काम में लायी जा रही है। फल यह होता है कि इससे न केवल वहां की जनता को, अपितु वहां के उर्दू पढ़े लिखे कर्मचारियों को भी असुविधा होती है। और यदि कोई व्यक्ति वहां उर्दू में लिखी अर्जी पेश करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके स्थान पर हिन्दी में जो परिपत्र इत्यादी प्रकाशित किये जाते हैं उनकी भाषा इत्यादि इतनी क्लिष्ट होती है कि वह मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की भी समझ में नहीं आती है तब भला कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की समझ में किस प्रकार आ सकती है।

इसी प्रकार दिल्ली को उर्दू का केन्द्र कहा जाता है। यहां की अधिकांश शरणार्थी जनता उर्दू जानती है तथापि कहीं भी उर्दू का कोई बोर्ड या संकेत चिन्ह नहीं दिखाई देता है। उर्दू के माध्यम से यहां हिन्दी का प्रचार किया जाता है। मैं दिल्ली प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं कि वे हिन्दी के साथ-साथ उर्दू को भी स्थान दें। तभी सच्चे लोकतंत्र का विकास संभव है। मुझे यह कहते दुख होता है कि दिल्ली में बच्चों के लिये उर्दू पढ़ने की सुविधायें भी प्राप्त नहीं हैं इसका यह फल होगा कि थोड़े समय में वे उर्दू को भूल जायेंगे।

अतः मैं गृह-मंत्रालय से यह निवेदन करता हूं कि वे केवल परिपत्र जारी करने में ही अपने कार्य की इतिश्री न समझें अपितु यह देखें कि व्यवहारिक सुविधायें किस मात्रा में दी जा रही हैं। इस के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बिहार और दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या उर्दू भाषा भाषी है। अतः हमें तत्काल इस प्रकार का विधान बनाना चाहिये कि उर्दू को इन राज्यों में संरक्षण मिल सके।

कुछ महीनों पूर्व राज्य सभा के सदस्य श्री कुंजरू की अध्यक्षता में हजारों उर्दू भाषा भाषियों ने राष्ट्रपति से यह आग्रह किया था कि उर्दू को भारत की प्रादेशिक भाषा मान लिया जाये। केवल आन्ध्र ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया अतः मैं राष्ट्रपति और गृह-मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि उर्दू अन्य राज्यों की भी प्रादेशिक भाषा घोषित कर दी जाये।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह निराशाजनक है। आयुक्त ने कहा है कि उन्हें इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कठिनाइयां क्या थीं, और उनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। विवाद के दौरान श्री मिश्रा ने यह आरोप लगाया है कि उड़ीसा में बिहारियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः बिहार में भी उड़िया भाषा भाषियों को इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही शिकायत बंगला भाषा भाषियों के सम्बन्ध में वि० दास गुप्त ने भी की है। इस सम्बन्ध में मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के निम्न कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं। पहिला यह है कि वे यह देखें कि प्रारम्भिक शिक्षा भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में दी जाये। उनकी शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये। तीसरे इस बात का ध्यान रखा जाये कि शिक्षा संस्थाओं की कम से कम इतनी संख्या हो कि वे अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे सकें। इस के साथ-साथ राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों को नौकरियां देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाये। तथा परीक्षा के माध्यम और नौकरियों में नियुक्ति के समय उनकी भाषा को मान्यता प्रदान की जाये।

तथापि आयुक्त ने प्रश्नावलि भेज कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली। कई राज्यों ने जिन में बिहार भी है कई पत्रों के बावजूद भी इस प्रश्नावलि का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः आयुक्त को चाहिये था कि वे स्वयं इन प्रदेशों का दौरा करते और जा कर देखते कि वहां भाषायी अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

यह समस्या बहुत व्यापक है और लाखों व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्ध रखती है। मैं भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त से यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली जैसे स्थान में जहां सभी प्रादेशिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उन के लिये क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं? क्या उन के लिये पर्याप्त स्कूल खोले गये हैं, जहां वे अपनी मातृभाषा सीख सकें? क्या उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाती है। इसी प्रकार भिलाई दुर्गापुर इत्यादि स्थानों में नये नगर विकसित होते जा रहे हैं। वहां भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग आकर बसते हैं ऐसे स्थानों में उनकी मातृभाषा के विकास या प्रसार के लिये क्या व्यवस्था की गई है।

इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि संविधान में उनकी सुरक्षा के लिये सभी प्रकार के उपबन्ध हैं तथापि उनकी नितांत उपेक्षा की जाती रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर गौर करें कि अल्पसंख्यक भाषा भाषी लोगों को जो परित्राण दिये गये हैं उनको पूरी तरह अमल में लाया जाये। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार में बंगाल और उड़िया भाषा भाषी लोगों को एक भी सुविधा नहीं दी गई है। प्रतिवेदन में इस बात

†मूल अंग्रेजी में

का जिक्र तक नहीं है। इस से यह ज्ञात होता है कि आयुक्त ने इस सम्बन्ध में उपेक्षा बरती है। जब कि संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) के अधीन अल्पसंख्यक भाषायी आयुक्त को यह अधिकार है कि वह इन बातों की जांच करे और पता लगाये कि विलम्ब या उपेक्षा का क्या कारण है और इसका दायित्व किस पर है। इस के आधार पर इसे दूर करने के सुझाव दे। तथापि प्रतिवेदन में इस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

तेतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९/१८ भाद्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५९

[१७ भाद्र, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	.	३४४९—७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१६	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 'पाइल फाउन्डेशन्स' में नुक्स	३४४९—५४
१२१७	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हतायें	३४५४—५६
१२१८	अखिल भारतीय शहीद स्मारक	३४५६–५७
१२२०	भारत-विद्या संस्था	३४५७–५८
१२२१	सेना पशुजनन प्रक्षेत्र . .	२४५८–५९
१२२२	भारत-स्टानवक करार के अधीन तेल की खोज	३४५९—६२
१२२३	देहली फायर सर्विस	३४६२–६३
१२२४	जापानी उधार संस्थायें	३४६३
१२२५	जहाज की खरीद	३४६३—६५
१२२६	टैगोर जन्म शताब्दी समारोह . .	३४६५—६७
१२२८	कानपुर के मिल-मालिकों से वसूल की जाने वाली धनराशि	३४६७–६८
१२२९	अफीम का तस्कर व्यापार .	३४६८–६९
१२३०	छावनी क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियां	३४६९–७०
१२३१	घटिया किस्म का कोयला	३४७०–७१
१२३२	करगली का कोयला धोने का कारखाना	३४७१–७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१९	मंडारा में युद्ध-सामग्री कारखाना	३४७२—८१
१२२७	सोने का तस्कर व्यापार	३४७२–७३
१२३३	आसाम में भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय	३४७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२३४ महिला छाता सैनिक ३४७३
१२३५ वेदों का हिन्दी में अनुवाद ३४७३–७४
१२३६ नागा राष्ट्रीय झंडा . . ३४७४
१२३७ आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश . ३४७४–७५
१२३८ जीवन बीमा निगम . . . ३४७५
१२३९ विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारी ३४७५
१२४० निर्वाचन-व्यय में वृद्धि . ३४७६
१२४१ रुमानिया से छिद्रण के लिये बेमें ३४७६
१२४२ ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण ३४७६–७७
१२४३ बच्चों के लिये अवकाश-निकेतन . . ३४७७–७८
१२४४ तेल कम्पनियों के स्थिति-विवरण . . ३४७८
१२४५ वायु सेना के प्रशिक्षणार्थियों के लिये जीवन बीमा निगम का प्रीमियम . . . ३४७८–७९
१२४६ डोलोमाइट की इंटों का कारखाना . ३४७९
१२४७ लंढोर छावनी में मकान . . ३४७९
१२४८ पंजाब और दिल्ली की पुलिस पदाली का पृथक्करण . ३४७९
१२४९ इस्पात कारखानों पर व्यय ३४८०
१२५० जेट इंजन सम्बन्धी अनुसंधाद केन्द्र ३४८०
१२५१ कोयले के निर्यात में कमी . ३४८०
१२५२ केन्द्रीय रेत भरण योजनायें . . ३४८१

अतारांकित
प्रश्न सख्या

२३२६ गैर-सरकारी व्यवसाय में सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी ३४८१
२३२७ दिल्ली की सेट्रल जेल में बन्दी . ३४८१
२३२८ विदेशों के सम्बन्ध में भुगतान-शेष की स्थिति . ३४८२
२३२९ जम्मू तथा काश्मीर में प्रविधिक शिक्षा ३४८२
२३३० बच्चों का अपहरण ३४८३
२३३१ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का पंजाब का दौरा . . . ३४८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२३३२ डलहौजी और बकलोह छावनी बोर्ड . . ३४८३
२३३३ पंजाब में शिक्षा परियोजनायें . . . ३४८४
२३३४ बम्बई की शिक्षा संस्थायें ३४८४
२३३५ शिक्षा मंत्रालय के अधीन आयोग व समितियां . . ३४८५
२३३६ उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को अनुदान ३४८५
२३३७ बम्बई राज्य में लोक सहायक सेना का शिविर ३४८५
२३३८ सिकन्दराबाद में वायु सेना का स्टोरेज यूनिट ३४८५–८६
२३३९ आयुद्ध कारखानों में निष्कार्य काल भुगतान ३४८६
२३४० परिवहन सहकारी समिति, त्रिपुरा ३४८६
२३४१ त्रिपुरा के सदर सब डिवीजन में आग ३४८६–८७
२३४२ एकीकृत निवेली लिग्नाइट परियोजना ३४८७
२३४३ सोने का तस्कर व्यापार . . ३४८७
२३४४ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५७–५८ का प्रतिवेदन ३४८८
२३४५ दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी ३४८८
२३४६ चलचित्र वित्त निगम ३४८८
२३४७ पठानकोट का हवाई अड्डा ३४८९
२३४८ पंजाब में स्कूल अध्यापकों के वेतन-क्रम ३४८९
२३४९ लन्दन के वेस्टमिंस्टर बैंक में हैदराबाद का धन ३४८९
२३५० स्त्री शिक्षा . . . ३४८९–९०
२३५१ भारत के राज्य बैंक की शाखायें ३४९०
२३५२ जम्मू तथा काश्मीर में तेल संसाधन ३४९०–९१
२३५३ पंजाब में ग्रामीण संस्था ३४९१
२३५४ भ्रष्टाचार के मामले . ३४९१
२३५५ दिल्ली में नकली साधु ३४९१
२३५६ दिल्ली प्रशासन में हिन्दी . ३४९२
२३५७ भारत में विदेशी औद्योगिक उपक्रम ३४९२
२३५८ प्राथमिक शिक्षा . . ३४९२
२३५९ किराया नियंत्रण अधिनियम . ३४९२–९३
२३६० पंजाब में ग्राम ऋण सुविधायें ३४९३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२३६१ तेल की खोज में प्रशिक्षण ३४९३
२३६२ पाकिस्तानियों द्वारा अवैध प्रवेश ३४९३–९४
२३६३ तिब्बत सीमा पर विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक ३४९४
२३६४ सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज ग्रहण ३४९४
२३६५ भारत-पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र सीमा पर तस्कर व्यापार ३४९४
२३६६ निजी थैलियां ३४९५
२३६७ चण्डीगढ़ छावनी ३४९५
२३६८ मनीपुर में आदिवासी छात्र ३४९५–९६
२३६९ मनीपुर में मिशनरी स्कूल ३४९६
२३७० फरीदाबाद विधवा आश्रम ३४९६
२३७१ दिल्ली नगर निगम को अनुदान ३४९६–९७
२३७२ कर्मचारियों का विदेशों में प्रशिक्षण ३४९७
२३७३ हिमाचल प्रदेश में वकील ३४९७
२३७४ हिमाचल प्रदेश के न्याय आयुक्त ३४९८
२३७५ राजस्थान के स्मारक ३४९८—३५००
२३७६ राजस्थान और पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार ३५००
२३७७ ढलाई का कच्चा लोहा ३५००
२३७८ मेरठ छावनी बोर्ड कर्मचारियों के वेतन क्रम और महंगाई भत्ता ३५०१
२३७९ नव वर्ष दिवस ३५०१
२३८० मध्य प्रदेश की राजधानी ३५०१
२३८१ स्क्रैप का निर्यात ३५०१–०२
२३८२ बहरों और गूंगों को छात्रवृत्तियां ३५०२
२३८३ दिल्ली में प्रादेशिक न्यायालय ३५०२
२३८४ पश्चिम बंगाल के स्कूलों के हिन्दी अध्यापक ३५०२–०३
२३८५ केरल पाठ्यक्रम पुस्तक परिनिरीक्षा समिति ३५०३
२३८६ हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल ३५०३
२३८७ दिल्ली में विदेशियों की मूर्तियां ३५०३
२३८८ आयकर अपील कार्यालय का जलपाइगुरी ले जाया जाना ३५०३–०४
२३८९ अल्प बचत योजना ३५०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों क लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२३९० क्रूड आयल (अशोधित तेल) का उत्पादन ३५०४

२३९१ फूलपुर छिगा के पास दुर्घटना ३५०५

२३९२ सरकारी मुकदमों के गवाहों को भत्ते की व्यवस्था ३५०५

२३९३ अगरताला में स्वीकृत समाचार-पत्र ३५०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५०६—०७

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रतिः—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन माइनिंग एन्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७—५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार की समीक्षा ।

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधायें) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८३ की एक प्रति ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३५०७

सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३५०९—०८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राज बहादुर ने ७ सितम्बर, १९५९ को हुगली नदी में कलकत्ता पत्तन आयुक्त के छोटे जहाज, "एम्पायर ओबेरोन" और एक लाइटर की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३५०८—२४

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। ७ सितम्बर,

विषय पृष्ठ

जीवन बीमा निगम जांच के सम्बन्ध में विवियन बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव---(क्रमशः)

१९५९ को प्रस्तुत एक स्थानापन्न प्रस्ताव पर लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में १२१, विपक्ष में ४७; स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ३५२४---३९

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित---

तैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ३५३९

बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९/१८ भाद्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि---

त्रावनकोर-कोचीन गाड़ियां कराधान (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना; भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।